محرمات استهان بها الناس باللغة الهندية

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

लेखक

शैख़ मुहम्मद सालेह अल्मुनज्जिद

अनुवादक

ज़ाकिर हुसैन वरासतुल्लाह

सम्पादना

मक्तब दअ्वा रबवा

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 ARRIYADH 11457

TEL 4454900 – 4916065 FAX 4970126

-e-mail:rabwah@islamhouse.com

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
भूमिका	7
अल्लाह के साथ शिर्क करना	19
बद शुगूनी	32
ग़ैरुल्लाह की क़सम खाना	35
मुनाफ़िक़ों या फ़ासिक़ों (बहुमुखीयों या पापीयों) के साथ उनसे क़रीब होने के लिए अथवा उनको क़रीब करने लिए उठना-बैठना	39
नमाज़ में इत्मीनान न रखना	40
नमाज़ में फ़ुज़ूल काम तथा ज़्यादा हरकत करना	43
जान-बूझकर मुक़्तदी का अपने इमाम पर सबक़त ले जाना	44
पियाज़, लहसुन या कोई बदबू (कुबास) वाली चीज़ खाकर मस्जिद में आना	48
ज़िना (व्यभिचार)	49
लिवातत (समलिंगी व्यभिचार)	53
बीवी का बिना किसी शरई उज़्र के शौहर के बिस्तर पर आने से इनकार करना	54
बीवी का बिना किसी शरई उज़्र के अपने शौहर से तलाक़ तलब करना	56
ज़िहार	57
हैज़ (माहवारी) की हालत में हम्बिस्तरी (संभोग) करना	59
बीवी की सुरीन (मलद्वार) में सहवास करना	61

बीवीयों के बीच इंसाफ़ (न्याय) न करना ---------- 63
परनारी के साथ निर्जनता (अजूनबी औ़रत के साथ तनूहाई में रहना) ---------- 64
अजनबी औ़रत से मुसाफ़हा करना ---------- 66
घर से निकलते समय औ़रत का ख़ुशूबू लगाना तथा सुगंधी लगाकर मर्दों के पास से गुज़रना ---------- 68
औ़रत का महरम के बिना सफ़र करना ---------- 70
अ़म्दन (जान बूझकर) अजनबी औ़रत की ओर देखना --- 71
बेग़ैरती ---------- 73
बच्चे का अपने आपको अपने बाप के अ़लावा की ओर मंसूब करने में झूट का सहारा लेना तथा आदमी का अपने बच्चे का इंकार करना ---------- 74
सूदख़ोरी ---------- 76
सामान का ऐब छिपाना और बेचते समय उसे न बताना 80
दलाली करना ---------- 82
जुमुआ़ की दूसरी अज़ान के बाद ख़रीद व फ़रोख़्त (क्रय-विक्रय) करना ---------- 84
जुआ ---------- 85
चोरी ---------- 87
रिश्वत लेना तथा देना ---------- 90
ज़मीन ग़स्ब (अपहरण) करना ---------- 93
सिफ़ारिश करने के कारण हदिया क़बूल करना --------- 94
मज़दूर से काम पूरा लेना मगर उसकी मज़दूरी न अदा करना ---------- 97

अ़तीया (दान-प्रदान) में बच्चों के बीच अ़दल व इंसाफ़ (समता तथा न्याय) न करना ---------- 100
बग़ैर ज़रूरत के लोगों से माँगना ---------- 103
अदा न करने की नियत से क़र्ज़ लेना ---------- 105
हराम भक्षण (खाना) ---------- 107
शराब पीना चाहे एक क़त्रा ही क्यों न हो ---------- 108
सोने चाँदी के बर्तन इस्तेमाल (प्रयोग) करना और उसमें खाना पीना ---------- 113
झूटी गवाही ---------- 114
गाना-बजाना (गीत-म्यूज़िक) सुनना ---------- 116
ग़ीबत ---------- 118
चुग़लख़ोरी ---------- 121
बग़ैर इजाज़त के दूसरों के घरों में झाँकना ---------- 123
तीसरे को छोड़कर दो आदमी का आपस में सरगोशी (कानाफूसी) करना ---------- 125
टख़ने के नीचे कपड़ा लटकाना ---------- 125
मर्दों के लिए किसी भी प्रकार के सोने का सामान इस्तेमाल करना ---------- 128
औ़रतों का छोटा (शॉर्ट), पतला तथा तंग (टाइट) कपड़ा पहनना ---------- 129
मर्द व औ़रत का अपने बाल में दूसरे इंसान का या इंसान के अ़लावा किसी और का बाल लगवाना ---------- 131
वेश-भूषा, बात-चीत तथा चाल-चलन में नारी-पुरुष का एक दूसरे की मुशाबहत (अनुरूपता) अख़्तियार करना --- 132

बालों को काले रंग से रंगना ---------- 134
कपड़े, दीवार तथा काग़ज़ इत्यादि में प्राणी (ज़ी रूह) की तस्वीर उतारना ---------- 136
गढ़ करके झूटे ख़्वाब (सपना) बयान करना ---------- 139
क़ब्रों पर बैठना, उनको रौंदना तथा क़ब्रिस्तान में पेशाब-पाख़ाना करना ---------- 141
पेशाब से न बचना ---------- 143
चोरी-छिपे किसी की बात सुनना जबकि वह इसे नापसंद करता हो (जासूसी करना) ---------- 145
पड़ोसीयों के साथ बद सुलूकी (कुआचरण) करना ------- 146
वसीयत में हक़्दार का हक़ मारकर या घटाकर उसे नुक़्सान पहूँचाना ---------- 149
नर्द (चौसर) क खेल ---------- 150
मोमिन तथा उस व्यक्ति को शाप (लानत) करना जो इसका मुस्तहिक़ न हो ---------- 151
नौहा करना (मैयत पर रोना पीटना) ---------- 152
चेहरे पर मारना और दाग़ लगाना ---------- 153
किसी शरई उ़ज़्र के बिना तीन दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से बात न करना (संबंध न रखना) --------- 154
परिसमाप्ति (ख़ातिमा) ---------- 157

مقدمة

भूमिका

प्रशंसा केवल अल्लाह के लिए है। हम उसकी तअ़रीफ़ करते हैं, उससे मदद तलब करते हैं, उससे माफी चाहते हैं और अपने नफ़्सों (आत्माओं) की बुराईयों से तथा अपने करतूतों के अनिष्टों से उसकी पनाह माँगते हैं। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और वह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मा'बूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं। और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उसके बंदे तथा रसूल हैं।

अम्मा बा'द (तत्पश्चात):

अल्लाह तआ़ला ने जिन चीज़ों को फ़र्ज़ किया है उनको बर्बाद करना जायज़ नहीं है, जो सीमाएं निर्धारण (हदें मुक़र्रर) कर दी है उनका उल्लंघन (तजाउज़) करना हराम है, और जिन चीज़ों को हराम किया है उनमें पतित होना नाजायज़ है। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوْا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾». [سورة مريم: ٦٤]. [رواه الحاكم: ٢/ ٣٧٥، وحسنه الألباني في غاية المرام:١٤].

«अल्लाह ने अपनी किताब में जो हलाल किया वह हलाल है, तथा जो हराम किया वह हराम है, और जिससे ख़ामोशी अख़्तियार किया वह कल्याण (आ़फ़ियत) है, अतः तुम अल्लाह की ओर से कल्याण को क़बूल करो, बेशक अल्लाह तआ़ला भूलने वाला नहीं है, फिर आप ﷺ ने यह आयत पढ़ी जिसका अर्थः ''और तेरा रब भूलने वाला नहीं है।''» {सूरह मरयमः ६४} {इस हदीस को हाकिम ने रिवायत किया हैः २/३७५, और अल्बानी ने ग़ायतुल मराम पृष्ठ १४ में इसे हसन कहा है।}

मुहर्रमात (हराम की गई चीज़ें) अल्लाह तआ़ला की सीमाएं हैं:

﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧].

''यह अल्लाह की सीमाएं हैं, तुम इनके क़रीब भी न जाओ।'' {अल्बक़राः १८७} अल्लाह तआ़ला ने सीमा उल्लंघन करने वालों को धमकी देते हुए फ़रमायाः

﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾ [النساء: ١٤].

''और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा (नाफ़रमानी) करे और उसके (निर्धारित) सीमाओं का उल्लंघन करे उसे वह आग (नरक) में दाख़िल करेगा, जिसमें वह हमेशा हमेश (सदा सर्वदा) रहेगा, और उसके लिए है अपमानजनक शास्ति (रुसवाकुन अ़ज़ाब)।'' {अन्निसाः १४}

हराम चीज़ों से दूर रहना तथा उनसे परहेज़ करना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْـهُ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ». [رواه مسلم: كتاب الفضائل، حديث رقم: ١٣٠، ط. عبد الباقي].

«मैंने तुम्हें जिन चीज़ों से रोका उनसे रुक जाओ, और जिनके करने का हुक्म दिया वह साध्य अनुसार करो।» {इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल फ़ज़ाइल में रिवायत किया है, हदीस नम्बरः १३०}

लक्षित (देखा जाता) है कि कुछ ख़ाहिश की पैरवी करने वाले, कम्ज़ोर नफ़्स वाले तथा कम ज्ञान रखने वाले लोग जब हराम वस्तुओं के बारे में बार बार सुनते हैं, तो तंगी महसूस करते हैं और गुस्से से कहते हैंः हर चीज़ हराम है? तुमने सारी चीज़ों को हराम कर दिया, हमारी ज़िन्दगी अजीरन बना दिया, जीवनयात्रा को दूभर कर दिया और हमारे दिलों को तंग कर दिया। ''हराम! हराम!'' इसके सिवाय तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, हालाँकि दीन आसान है, विषय प्रशस्त (वसीअ्) है, और अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाला तथा रहम करने वाला है। हम उनकी इन बातों का जवाब देते हुए कहेंगेः

बेशक अल्लाह तआला जो चाहे आदेश करता है, उसके आदेश पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, वह हिक्मत वाला है और हर चीज़ की ख़बर रखने वाला है। वह जो चाहे हलाल करता है और जो चाहे हराम करता है। हमारी बंदगी का तक़ाज़ा है कि हम अल्लाह के हुक्म से संतुष्ट रहें और उसको मान लें।

अल्लाह के आदेश ज्ञान तथा हिक्मत पर प्रतिष्ठित हैं, बेकार तथा खेल-तमाशा नही हैं। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: ١١٥]

''आपके रब के कलाम सच्चाई तथा इन्साफ में पूर्ण हो गये, उसके कलाम को कोई परिवर्तन करने वाला नहीं, और वह भली-भाँति सुनने वाला जानने वाला है।'' {अल्अनआ़मः ११५}

अल्लाह तआ़ला ने हमारे लिए ऐसा नियम-नीति भी बयान कर दिया है जिस पर हलाल तथा हराम निर्भरित (का दारो मदार) है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَـٰٓئِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]

''वह उनके लिए पवित्र वस्तुओं को हलाल करता है तथा उन पर गंदी चीज़ों को हराम करता है।'' {अल्आ'राफ़ः १५७} अतः पाक चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम हैं। किसी चीज़ को हलाल तथा हराम करने का अधिकार केवल अल्लाह को है। अतः अगर किसी ने अपने लिए इस अधिकार का दावा किया अथवा दूसरे के लिए इसका इक़रार किया तो वह काफ़िर होगा और दीने इस्लाम से निकल जाएगा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]

''क्या उनके ऐसे साझीदार (देवता) हैं जिन्होंनें उनके लिए वह

धर्म मुक़र्रर किया है जिसकी अनुमति अल्लाह ने नहीं दी है।'' {अश्शूराः २१}

इसके अतिरिक्त (यह बात भी है कि) हलाल व हराम में किताब व सुन्नत के जानकार (उ़लमा) के सिवाय किसी का ज़ुबान खोलना जायज़ नहीं है। बग़ैर इल्म के हलाल तथा हराम क़रार देने वालों के लिए सख़्त धमकी आई है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦]

''किसी चीज़ को अपनी ज़ुबान से झूट-मूट न कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम है कि अल्लाह पर झूट बुहतान बाँध लो।'' {अन्नह्लः ११६} जो चीज़ें निश्चित रूप से हराम हैं उनका उल्लेख तो क़ुरआन व हदीस में मौजूद है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ﴾ [الأنعام: ١٥١]

''आप कहिये कि आओ मैं तुम को वह चीज़ें पढ़कर सुनाऊँ जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दिया है, वह यह कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक मत करो, और पिता-माता के साथ इहसान करो, और अपनी संतान को इफ़्लास (दरिद्रता) के कारण हत्या न करो।'' {अल्अनआ़मः १५१}

अनुरूप हदीस में भी बहुत सारी हराम चीज़ों का

उल्लेख किया गया है। जैसे नबी ﷺ का फ़रमानः

«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْـمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ». [رواه أبـو داود: ٣٤٨٦، وهو في صحيح أبي داود: ٩٧٧، متفق على صحته (ز)].

«अल्लाह तआ़ला ने शराब (दारू), मुर्दार, सूअर तथा मूर्तियों के बेचने को हराम क़रार दिया।» {अबू दाऊद, हदीस नम्बर ३४८६, सहीह अबू दाऊद, नम्बर ९७७, इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फ़रमायाः इस हदीस के सहीह होने पर इत्तिफ़ाक़ है} और नबी ﷺ का फ़रमानः

«إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ». [رواه الدارقطني: ٣/ ٧، وهو حديث صحيح].

«जब अल्लाह तआ़ला किसी चीज़ को हराम करता है तो उसकी मूल्य को भी हराम करता है।» {दाराकुतनी ३/७, और यह हदीस सहीह है}

कुछ प्रमाण ऐसे भी हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के ख़ास ख़ास हराम चीज़ों का उल्लेख है। जैसे कि खाई जाने वाली चीज़ों के बारे में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِ﴾ [المائدة: ٣]

‘‘तुम पर हराम किया गया मुर्दार और ख़ून और सूअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो और जो गला घुटने से मरा हो और जो किसी चोट से मरा हो और जो ऊँची जगह से गिरकर मरा हो और जो

किसी के सींघ मारने से मरा हो और जिसे दरिंदों (हिंस्र जन्तुओं) ने फाड़कर खाया हो, लेकिन उसे तुम ज़बह कर डालो तो हराम नहीं, और जो थानों पर ज़बह किया गया हो और यह भी कि पाँसे द्वारा भाग्य मालुम करो।'' {अल्माइदाः ३}

और अल्लाह तआ़ला ने शादी-ब्याह में मुहर्रमात (हराम की गई औ़रतों) का उल्लेख करते हुए फ़रमायाः

﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ﴾ [النساء: ٢٣]

''हराम की गईं तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी लड़कियाँ और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी ख़ालाएँ और भाई की लड़कियाँ और बहन की लड़कियाँ और तुम्हारी वह माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी सास।'' {अन्निसाः २३}

इसी तरह अल्लाह तआ़ला ने कमाइयों (उपार्जनों) के बारे में हराम चीज़ों का उल्लेख करते हुए फ़रमायाः

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

''अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया तथा सूद को हराम किया।'' {अल्बक़राः २७५}

बेशक अपने बंदों पर दयावान अल्लाह ने अत्यधिक (बहुत ज़्यादा) तथा विभिन्न प्रकार की पवित्र चीज़ों को हलाल

किया है जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि मुबाह अर्थात जायज़ चीज़ों की तफ़्सील नहीं बताई, क्योंकि वह बहुत तथा बेशुमार हैं। अलबत्ता हराम चीज़ों की तफ़्सील बता दी है, क्योंकि वह सीमित हैं, ताकि हम उन्हें जानकर उनसे बचे रहें। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]

''अल्लाह ने उन सब जानवरों की तफ़्सील बता दी है जिनको तुम पर हराम किया है, मगर वह भी जब तुमको सख़्त ज़रूरत पड़े तो हलाल है।'' {अलअनआ़मः ११९} लेकिन हलाल चीज़ों को -अगर वह पाक हैं- तो सार्विक रूप से उन्हें जायज़ क़रार दिया है। जैसाकि उसका फ़रमान हैः

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا﴾ [البقرة: ١٦٨]

''लोगो! ज़मीन पर जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हें खाओ पियो।'' {अलबक़राः १६८}

अतः यह उसकी रहमत है कि उसने बुनयादी तौर पर चीज़ों को हलाल ठहराया है, जब तक कि उसके हराम होने पर कोई दलील न हो। और यह उसका अपने बंदों पर करम तथा उदारता है। इस लिए हमें उसकी फर्माबरदारी तथा उसका शुक्र अदा करना चाहिए।

कुछ लोग जब उनके सामने हराम चीज़ों का परिसंख्यान (गिनती) तथा विवरण पेश किया जाता है तो उनके दिल शरई अहकाम (विधि-विधान) से कुढ़ (तंग हो) जाते हैं। यह उनके ईमान की कम्ज़ोरी तथा शरीअ़त के बारे में उनके

कम अनुधावन (समझ) की दलील है। क्या यह लोग चाहते हैं कि उनके सामने हलाल चीज़ों की क़िस्मों को एक एक करके बयान किया जाए, ताकि वह तुष्ट हो जाएं कि दीन हक़ीक़त में आसान है? क्या यह लोग चाहते हैं कि पाकीज़ा चीज़ों की लिस्ट उनके सामने पेश की जाये, ताकि वह निश्चिंत हो जायें कि शरीअ़त उनकी मज़ा की ज़िंदगी में कोई तल्ख़ी नहीं घोलती।

क्या वह चाहते हैं कि उन से कहा जाये कि ज़बह किया गया ऊँट, गाय, भेड़, ख़रगोश, हिरन, पहाड़ी बकरा, मुर्ग़, कबूतर, बत्तख़, हंस, शुतुरमुर्ग़ इत्यादि का गोश्त और मरी हुई टिड्डी तथा मछली हलाल है?

और यह कि सबज़ियाँ, तरकारियाँ, सारे ग़ल्ले और उपकारी फल-फ्रूट हलाल हैं?

और यह कि पानी, दूध, शहद, तेल तथा सिरका हलाल है?

और यह कि नमक एवं मसाले (जैसे लौंग, मिर्च, ज़ीरा, तेजपत्ता आदी) हलाल हैं?

और यह कि लकड़ी, लोहा, बालू, कंकरी, प्लास्टिक, काँच तथा रबर का प्रयोग हलाल है?

और यह कि चौपायों, गाड़ियों, ट्रेनों, पानी जहाज़ों तथा हवाई जहाज़ों पर सवार होना हलाल है?

और यह कि एयर कन्डीशन, फ्रीज, वाशिंग मशीन, ड्राई मशीन, चक्की, आटा गोंधने वाली मशीन, कूटने वाली मशीन, जूस मशीन और डाक्टरी, इंजीनियरिंग, हिसाब, फ़लक

(कक्ष) संबंधी विषयों के ज्ञान हासिल करने, तामीर के सारे आलात और पानी, पेट्रोल, धात (खनीज पदार्थ) निकालने तथा परिशोधन करने वाली मशीन और प्रिन्टिंग प्रेस एवं कम्पयूटर आदि हलाल है?

और यह कि रुई, कॉटन, ऊन, पशम, जायज़ चमड़ा, नाइलोन और पॉलिस्टर इत्यादि का लिबास हलाल है?

और यह कि शादी-ब्याह, ख़रीद व फ़रोख़्त (क्रय बिक्रय), किसी के देख-भाल की ज़िम्मेदारी, क़र्ज़ अदा करने की ज़िम्मेवारी किसी पर सौंपना, किराया देना, और बढ़ई, लोहार, मशीनों की मरम्मत तथा बकरी चराने आदि का पेशा हलाल है?

आप ही ज़रासा सोचें कि अगर इसी तरह हम गिनाते जायें तो आख़िर कहाँ पहुँच कर रुकेंगे? लोगों को क्या हो गया, वे समझते क्यों नहीं?

और उनका दलील के तौर पर यह पेश करना कि 'दीन तो आसान है' तो यह बात सही है लेकिन इसका बातिल मतलब लिया गया है। क्योंकि दीन में आसानी लोगों की ख़ाहिशात और ख़्याल-ख़ुशी अनुसार नहीं है, बल्कि शरीअ़त अनुसार है। 'दीन आसान है' -और वह निःसंदेह आसान है- का बहाना बना कर हराम काम करने और शरीअ़त की लाई हुई रुख़्सतों (छूटों) पर अ़मल करने के दरमियान बड़ा अंतर है। शरीअ़त की रुख़्सतें जैसेः सफ़र में दो नमाज़ का जमा करके (इकट्ठी) तथा चार रकअ़त वाली नमाज़ों को दो दो रकअ़त पढ़ना, और रोज़ा छोड़ना, मुक़ीम का एक दिन एक रात और मुसाफ़िर का तीन दिन तीन रात मोज़ों पर मसह

करना, पानी के इस्तेमाल से ख़तरे का अंदेशा होने पर तयम्मुम करना, बारिश या बीमारी की वजह से दो नमाज़ों को मिला कर पढ़ना, शादी की ख़ातिर पैग़ाम देने वाले के लिए अजनबी औरत (मँगेतर) को देखना, क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करने के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने, कपड़े पहनाने तथा खाना खिलाने में अख़्तियार देना और मजबूरी में हराम चीज़ों का खाना प्रभृति।

इसके अलावा मुसलमानों को जानना चाहिए कि हराम चीज़ों को हराम करने में बहुत सारी हिक्मतें हैं, जैसेः अल्लाह तआ़ला अपने बंदों को इन मुहर्रमात (हराम की हुई चीज़ों) के ज़रीया आज़माता है ताकि देखे कि वे कैसे अ़मल करते हैं। और इससे जन्नती तथा जहन्नमी के दरमियान अंतर सूचित होता है, क्योंकि जहन्नमी लोग ऐसी शहवतों में डूबे होते हैं जिनसे जहन्नम घिरी हुई है। और जन्नती लोग ऐसी नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र करते हैं जिनसे जन्नत घिरी हुई है। अगर यह आज़माइश न होती तो फ़रमाबर्दार और नाफ़रमान के दरमियान अंतर न रह जाता। ईमानदार लोग शरीअ़त के हुक्म-अहकाम की मशक़्क़त को अज्र व सवाब की निगाह से देखते हैं और अल्लाह की रिज़ामंदी हासिल करने के लिए उसके आदेश को बजा लाते हैं, इस लिए उन पर मशक़्क़त आसान हो जाती है। और मुनाफ़िक़ लोग शरीअ़त के हुक्म-अहकाम की मशक़्क़त को दुख, परेशानी और महरूमी की निगाह से देखते हैं, जिसकी वजह से अ़मल करना उन पर कठिन हो जाता है और फ़रमाबर्दारी मुश्किल हो जाती है।

फ़रमाबर्दार लोग हराम चीज़ों को छोड़ते हुए उस चीज़

की मिठास अनुभव करते हैं कि जो अल्लाह के वास्ते कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह तआ़ाला उसे इससे बेहतर प्रदान करता है, और वह अपने दिल में ईमान की लज़्ज़त पाता है।

पाठक महोदय (क़ारेईने किराम) इस पुस्तिका में चंद ऐसे हराम विषयों का मुशाहदा करेंगे जिनका हराम होना किताब व सुन्नत की दलीलों से प्रमाणित है।[1] यह वह हराम विषय हैं जो मुसलमानों में आ़म हो चुके हैं। इनके उल्लेख से मेरा मक़्सद वज़ाहत व नसीहत (स्पष्टिकरण तथा सदुपदेश) है। मैं अपने लिए और मुसलमान भाईओं के लिए अल्लाह तआ़ाला से हिदायत, तौफ़ीक़ और उसके हुदूद (सीमारेखा) पर रुक जाने का तलबगार हूँ। वह हमें हराम विषयों तथा बुराइयों से बचाये। वही सबसे बेहतर हिफ़ाज़त करने वाला और रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है।[2]

---

[1] हराम चीज़ों या उसके चंद प्रकारों (जैसे कबायेर) से मुतअ़ल्लिक़ कुछ उलमा ने किताबें लिखीं हैं। मुहर्रमात (हराम चीज़ों) के सिलसिले में अच्छी किताबों में से एक किताब 'तम्बीहुल ग़ाफ़िलीन अ़न् आ़'मालिल् जाहिलीन' है, जिसके लेखक इब्नुन्नुहास अद्दिमश्क़ी हैं।

[2] चंद उलमाये किराम -अल्लाह तआ़ाला उनके अज्र व सवाब को ज़्यादा करे- ने इस पुस्तिका का सम्पादना किया है जिन में सरे फ़ेहरिस्त अ़ल्लामा अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन बाज़ रहेमहुल्लाह हैं। उनके टीकाओं को मैं ने ब्राकेट में अक्षर (ز ज़) द्वारा स्पष्ट किया है।

अल्लाह के साथ शिर्क करना

हराम चीज़ों में सबसे बड़ा हराम यही है। क्योंकि अबू बक्रा ﷺ से वर्णित (मर्‌वी) हदीस में रसूल ﷺ ने फ़रमायाः «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» (ثَلَاثًا) قَالُوا: قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ» [متفق عليه، البخاري رقم (٢٥١١)].

«क्या मैं तुम्हें गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूँ?» (आप ﷺ ने यह बात तीन बार दोहराई) सहाबए किराम ने कहाः हमने कहाः क्यों नहीं, आप ज़रूर फ़रमायें ऐ अल्लाह के रसूल! आप ﷺ ने फ़रमायाः «अल्लाह के साथ शिर्क करना।» {बुख़ारी व मुस्लिम, बुख़ारी हदीस नम्बरः २५११} शिर्क के अ़लावा हर पाप अल्लाह तआ़ला क्षमा कर सकता है, क्योंकि इसके लिए विशिष्ट (मख़्सूस) तौबा ज़रूरी है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾

[النساء: ٤٨]

''निःसंदेह अल्लाह तआ़ला अपने साथ शरीक किये जाने को क्षमा नहीं करता, इसके अ़लावा जिसे चाहे क्षमा कर देता है।'' {अन्निसाः ४८}

शिर्क अगर बड़ा (शिर्के अक्बर) हो तो उसके करने वाले को इस्लाम धर्म से निकाल देता है, और अगर उसी पर उसकी मौत हो गई तो वह हमेशा के लिए जहन्नमी है।

बहुत से मुस्लिम मुल्कों में यह शिर्के अक्बर फैला हुआ है, इसके चंद नमूने पेश किये जा रहे हैं:

क़ब्रों की पूजाः

मरे हुए औलिया के बारे में यह अ़क़ीदा रखना कि वे ज़रूरतें पूरी तथा परेशानियाँ दूर कर सकते हैं, और उनसे मदद तथा फ़रयाद तलब करना। हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]

''और तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया कि तुम लोग उसके अ़लावा किसी की इबादत न करो।'' {अल्इस्राः २३}

इसी तरह अम्बिया अथवा नेक लोग वग़ैरा जिनकी वफ़ात हो चुकी है उन्हें सिफ़ारिश के लिए या कठिनाइयाँ दूर करने के लिए पुकारना। हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ﴾ [النمل: ٦٢]

''बेकस की पुकार को जबकि वह पुकारे कौन क़बूल करके कठिनाई को दूर कर देता है? और तुम्हें ज़मीन का ख़लीफ़ा बनाता है। क्या अल्लाह के साथ और माबूद है?'' {अन्नम्लः ६२}

कुछ लोग उठते बैठते चलते फिरते पीर या वली का नाम जपना अपनी आ़दत बना लेते हैं। जब भी किसी संकट, मुसीबत या परेशानी में पड़ते हैं तो कोई 'ऐ मुहम्मद!' कहकर पुकारता है, कोई 'ऐ अ़ली!' कहकर, कोई 'ऐ हुसैन!' कहकर,

कोई 'ऐ बदवी!' कहकर, कोई 'ऐ जीलानी!' कहकर, कोई 'ऐ ग़ौस!' कहकर, कोई 'ऐ शाज़ली!' कहकर, कोई 'ऐ रिफ़ाई!' कहकर, कोई 'ऐ अल्ईद्रोस!' कहकर, कोई 'ऐ सय्येदा ज़ैनब!' कहकर और कोई 'ऐ इब्ने अ़ल्वान!' प्रभृति कहकर। हालाँकि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡ﴾ [الأعراف: ١٩٤]

''निश्चय तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वह भी तुम ही जैसे बंदे हैं।'' {अल्आ'राफ़: १९४}

कुछ क़ब्रों के पुजारी क़ब्रों का तवाफ़ करते हैं, उनके गोशों को स्पर्श करते हैं, उन पर हाथ फेरते हैं, उनकी चौखटों को चूमते हैं, वहाँ की मिट्टी में अपने चेहरों को रगड़ते हैं, उनको देखते ही उनका सज्दा करते हैं, उनके सामने बिल्कुल आ़जिज़ी, इंकिसारी, ख़ाकसारी तथा नम्रता के साथ खड़े होकर अपनी हाजतों और ज़रूरतों -जैसे बीमारी की शिफ़ा, औलाद की प्राप्ति तथा मुश्किल आसान करने- का मुतालबा करते हैं। और कभी कभी क़ब्र का पुजारी यह कहकर पुकारता है कि ऐ मेरे आक़ा! मैं आपके पास दूर दराज़ से आया हूँ, आप मुझे महरूम न करें। हालाँकि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ﴾ [الأحقاف: ٥]

''और उससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा? जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क़ियामत तक उसकी दुआ़ क़बूल

न कर सकें बल्कि वे उनके पुकारने से बिल्कुल बेख़बर हों।'' {अल्अह्क़ाफ़: ५} और नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» [رواه البخاري، الفتح (٨/ ١٧٦)].

«जिसकी मौत इस हालत में हुई कि वह अल्लाह के अ़लावा किसी और को पुकारता रहा हो तो वह दोज़ख़ में जायेगा।» {बुख़ारी, देखिए फ़त्हुल् बारी: ८/१७६}

और उनमें से कुछ लोग क़ब्रों के पास अपने सरों को मुंडाते हैं। और उनमें से कुछ लोगों के पास 'मज़ारों का हज्ज करने के नियम-नीति (तरीक़े)' जैसे उ़नवान (विषय) की किताबें होती हैं। और कुछ लोग यह अ़क़ीदा रखते हैं कि औलिया कायेनात में तसर्रुफ़ कर सकते हैं (यानी जग में कल्याण अकल्याण करने की क्षमता रखते हैं) और वे नफ़ा तथा नुक़्सान (लाभ तथा हानि) पहूँचा सकते हैं। हालाँकि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ﴾ [يونس: ١٠٧]

''और अगर तुमको अल्लाह कोई तक्लीफ़ पहुँचाये तो उसके सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं है और अगर वह तुमको कोई भलाई पहुँचाना चाहे तो उसकी कृपा को कोई हटाने वाला नहीं।'' {यूनुस: १०७}

इसी तरह ग़ैरुल्लाह (अल्लाह के अ़लावा दूसरों) के लिए मिन्नत मानना भी शिर्क है, जैसाकि मिन्नत मानने वाले

लोग क़ब्र वासियों (वालों) के लिए रोशनियों तथा चिराग़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं।

ग़ैरुल्लाह के लिए ज़बह करनाः

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ [الكوثر:٢]

''पस अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुर्बानी कीजिए।'' {अल्कौसरः २} यानी अल्लाह के लिए और अल्लाह के नाम पर ज़बह कीजिए। और रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ» [رواه مسلم: ١٩٧٨].

«उस व्यक्ति पर अल्लाह की लानत हो जो ग़ैरुल्लाह के लिए ज़बह करे।» {मुस्लिमः १९७८} कभी कभी ज़बीहा (ज़बह किये गये जानवर) में दो हराम चीज़ें जमा हो जाती हैंः एक ग़ैरुल्लाह के लिए ज़बह करना और दूसरा ग़ैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करना। और यह दोनों चीज़ें उसके खाने को हराम कर देती हैं। जाहिलियत के ज़बीहों में से जो हमारे इस ज़माने में आ़म तथा मुंतशिर है वह 'जिन्नात के लिए ज़बह करना' यानी घर द्वार ख़रीदते या बनाते समय अथवा कुँआ खोदते समय उसके पास या उसके चौखट पर जिन्नात की तक्लीफ़ के डर से ज़बह करते हैं। {तैसीरुल अज़ीज़िल हमीदः १५८}

शिर्के अक्बर की अ़ज़ीम तथा आ़म मिसालों में से अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को हलाल करना अथवा अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम करना है, या

यह अ़कीदा रखना कि इसका अधिकार अल्लाह के अ़लावा किसी और को भी है, अथवा रिज़ामंद होकर, अपनी ख़ुशी से तथा हलाल व जायज़ समझते हुए फ़ैसला करवाने के लिए जाहिली क़ानून (मानव रचित आईन) तथा अ़दालतों का सहारा लेना। अल्लाह तआ़ला ने इसे बड़ा कुफ़्र गरदानते हुए इर्शाद फ़रमायाः

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١]

''उन्हों (यहूद और नसारा) ने अल्लाह को छोड़ कर अपने आ़लिमों और दरवेशों को रब बना लिया है।'' {अत्तौबाः ३१} अ़दी बिन हातिम ﷺ ने जब नबी ﷺ को यह आयत तिलावत फ़रमाते हुए सुना तो कहाः वह लोग तो उनकी इबादत नहीं करते। आप ﷺ ने फ़रमायाः «हाँ, लेकिन वे अल्लाह ने जिसे हराम किया उसे हलाल कहते तो यह लोग भी उसे हलाल समझने लगते, और अल्लाह ने जिसे हलाल किया वे उसे हराम कहते तो यह लोग भी उसे हराम समझने लगते, यही तो है उनकी इबादत।» {बैहक़ी अस्सुननुल कुब्रा (१०/११६), तिरमिज़ी (३०६५), अलबानी रहिमहुल्लाह ने ग़ायतुल मराम (पृष्ठ १६) में इसे हसन क़रार दिया है} और अल्लाह तआ़ला ने मुशरिकों की हालत बयान करते हुए फ़रमायाः

﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ﴾ [التوبة: ٢٩]

''वे अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ को हराम नहीं जानते और न दीने हक़ (सत्य धर्म) को क़बूल

करते हैं।'' {अत्तौबाः २६} और अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩]

''आप कहिए कि यह तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिज़्क़ भेजा था फिर तुमने उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हिस्सा हलाल क़रार दे लिया। आप पूछिये कि क्या तुमको अल्लाह ने इसका हुक्म दिया था या तुम अल्लाह पर बुहतान आरोप करते हो?'' {यूनुसः ५९}

शिर्क की फैली हुई क़िस्मों में जादू, कहानत और भविष्यद वाणी (गणना, इल्मे नुजूम, ज्योतिष) हैः

जादू कुफ़्र है और सात हलाक करने वाले बड़े गुनाहों में से एक है। वह नुक़्सान पहुँचाता है फ़ायदा नहीं। अल्लाह तआ़ला ने उसके सीखने के बारे में इर्शाद फ़रमायाः

﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ﴾ [البقرة: ١٠٢]

''और वे ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो उन्हें नुक़्सान पहुँचाती हैं नफ़ा नहीं।'' {अलबक़राः १०२} दूसरी जगह इर्शाद फ़रमायाः

﴿وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ﴾ [طه: ٦٩]

''और जादूगर कहीं से भी आये कामयाब नहीं होता'' {ताहाः ६९} और जादू सीखने सिखाने वाला काफ़िर है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ

وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]

''सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने तो कुफ़्र न किया था, बल्कि यह कुफ़्र शैतानों का था, वह लोगों को जादू सिखाया करते थे। और बाबिल में हारूत और मारूत दो फ़रिश्तों पर जो उतारा गया था, वह दोनों भी किसी शख़्स को उस वक़्त तक नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह देते कि हम तो एक आज़माइश (परीक्षा) हैं, पस तू कुफ़्र न कर।'' {अलबक़राः १०२}

जादूगर के बारे में (शरई) हुक्म है उसे हत्या करना। उसकी कमाई हराम तथा ख़बीस है। जाहिल, ज़ालिम और कम्ज़ोर ईमान के लोग दूसरों पर अन्याय करने या उनसे इंतिक़ाम (प्रतिशोध) लेने के लिए जादूगरों के पास जाते हैं। और कुछ लोग जादू ख़त्म कराने (छुड़ाने) के लिए जादूगरों की पनाह लेकर (शरणापन्न होकर) यह हराम काम कर बैठते हैं। हालाँकि उन पर ज़रूरी है कि अल्लाह की पनाह लें और उसके कलाम -जैसे मुअ़व्वज़ात आदि- से शिफ़ा तलब करें।

नुजूमी और गुमशुदा चीज़ों का पता बताने वाले (गणक और ज्योतिषी) अगर ग़ैब (परोक्ष) का दावा करें तो दोनों के दोनों काफ़िर हैं। क्योंकि ग़ैब का इल्म (परोक्ष का ज्ञान) सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं है। इनमें से बहुत से लोग सीधे-सादे लोगों का माल भक्षण करने (खाने) के लिए धांदली करते हैं और विभिन्न प्रकार के माध्यम (मुख़्तलिफ़ क़िस्म के वसायेल) -जैसे रेत में लकीरें खींचना, कोड़ी चलाना, हथेली की

लकीरें देखकर तथा पियाला या शीशा और आयना का गेंद पढ़कर भविष्यद वाणी करना (मुस्तक़बिल की ख़बरें बताना) इत्यादि। यह लोग अगर एक सच कहें तो निन्नानवे झूट कहते हैं। लेकिन बेवक़ूफ़ लोग झूठों की एक सच को मान कर (और ९९ झूटों को भूल कर) मुस्तक़बिल (भविष्य), शादी या तिजारत में ख़ुश नसीबी और बद नसीबी और गुमशुदा चीज़ों की जानकरी के लिए उनके पास जाते हैं।

जो शख़्स उनके पास जाता है और उनकी बातों की तस्दीक़ (पुष्टि) करता है तो वह काफ़िर तथा मिल्लते इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। इसकी दलील नबी ﷺ का यह फ़रमानः

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

[رواه الإمام أحمد:٢/ ٤٢٩، وهو في صحيح الجامع: ٥٩٣٩].

«जो शख़्स किसी नुजूमी या ज्योतिषी (गुमशुदा चीज़ों का पता बताने वाले) के पास आये और उसकी तस्दीक़ करे तो उसने मुहम्मद ﷺ पर उतारी गई शरीअ़त का कुफ़्र किया।» {मुस्नद अहमदः २/४२९, सहीहुल जामेअ़ः ५९३९} परंतु जो शख़्स उनके पास तजुरबा (परीक्षा) वग़ैरा के लिए जाता है और इस बात की तस्दीक़ नहीं करता है कि वे ग़ैब जानते हैं तो वह काफ़िर नहीं है, लेकिन उसकी चालीस दिन की नमाज़ें क़बूल नहीं हूँगी। इसकी दलील नबी ﷺ का यह फ़रमानः

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». [رواه مسلم: ٤/ ١٧٥١].

«जो शख़्स किसी गुमशुदा चीज़ों का पता बताने वाले के पास आये और उससे किसी चीज़ के बारे में पूछे तो उसकी चालीस दिन की नमाज़ क़बूल नहीं होती।» {मुस्लिमः ४/१७५१} इसके साथ साथ उस पर नमाज़ की क़ज़ा वाजिब और तौबा ज़रूरी है।

सितारों तथा ग्रहों (सय्यारों) का हवादिस और लोगों की ज़िंदगी में असर अंदाज़ होने (प्रभाव विस्तार करने) का अ़क़ीदा रखनाः

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ -عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ- فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٢/ ٣٣٣].

ज़ैद बिन ख़ालिद अलजुहनी ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रात में बारिश होने के बाद रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें लेकर फज्र की नमाज़ अदा की। सलाम फेरने के बाद लोगों की ओर रुख़ करके फ़रमायाः «क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे रब ने क्या कहा?» लोगों ने कहाः अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमायाः «मेरे बंदों में से कुछ ने मुझ पर ईमान लाने वाले और कुछ ने कुफ़्र करने वाले बनकर सुबह की। पस

जिसने कहा कि अल्लाह की कृपा व रहमत से हम पर बारिश हुई तो वह मुझ पर ईमान लाने वाला और सितारों का कुफ़्र करने वाला है। और जिसने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ सितारों के कारण हम पर बारिश हुई तो वह मेरा कुफ़्र करने वाला और सितारों पर ईमान लाने वाला ठहरा।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः २/३३३} मेगज़ीनों तथा अख़्बारों में बताये गए भाग्यराशि (राशिचक्र) का आश्रय लेना भी इसी के अंतर्गत है। पस अगर अ़क़ीदा रखे कि उनमें फ़लकों (कक्षों) और सितारों का असर (प्रभाव) है तो वह मुशरिक होगा। और अगर मनोरंजन (दिल बहलाने) के लिए पढ़े तो वह नाफ़रमान पापी होगा। क्योंकि शिर्किया चीज़ें पढ़कर मनोरंजन करना जायज़ नहीं है। इसके अ़लावा यह भी हो सकता है कि शैतान उसके दिल में इसका विश्वास डाल दे जो शिर्क का वसीला (माध्यम) बन जाए।

जिन चीज़ों में अल्लाह ने नफ़ा नहीं रखा है उनमें नफ़ा का अ़क़ीदा रखना शिर्किया काम हैः जैसे कि कुछ लोग काहिन (गणक) या जादूगर के इशारा को बुनियाद बना कर अथवा बाप दादा के परम्परा की भित्ति पर तावीज़-गंडे, शिर्किया कर्मों, सीपियों, घूंगों अथवा लोहे के कड़ों इत्यादि में नफ़ा का अ़क़ीदा रखते हैं। लिहाज़ा वे नज़र से बचने के लिए उन्हें अपने या अपने बच्चों के गले में लटकाते हैं, अपने शरीरों पर बाँधते हैं, अपनी गाड़ियों में और अपने घरों में टांगते हैं, अथवा तरह तरह के नगीने वाली अंगूठियाँ पहनते हैं, और अ़क़ीदा रखते हैं कि यह बलाओं को दूर करते या

टालते हैं। हालाँकि यह अ़क़ीदा निःसंदेह अल्लाह पर तवक्कुल (आस्था) के ख़िलाफ़ है। इससे इंसान की कम्ज़ोरी ही बढ़ती है। यह हराम के ज़रीया इलाज करना है। और यह तावीज़-गंडे जो लटकाये जाते हैं उनमें के बहुतों में स्पष्ट शिर्क होता है तथा कुछ जिन्नात और शैतानों से मदद मांगी जाती है, अस्पष्ट नक़्शे होते हैं या न समझी जाने वाली बातें लिखी हुई होती हैं। कुछ भेलकीबाज़ (मदारी) कुरआन की आयतें लिखते हैं और उन्हें दुसरी शिर्किया चीज़ों के साथ मिला देते हैं। और कुछ भेलकीबाज़ कुरआन की आयतें गंदगी या हैज़ के ख़ून से लिखते हैं। मज़कूरा (उल्लिखित) सारी चीज़ें लटकाना या बाँधना हराम है। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ عَلَّقَ تَـمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ». [رواه أحمد: ٤/ ١٥٦، وهو في السلسلة الصحيحة رقم: ٤٩٢].

«जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया।» {मुस्नद अह्मद ४/१५६, सिलसिला सहीहाः ४९२}

इसका करने वाला अगर अ़क़ीदा रखे कि यह चीज़ें अल्लाह के बग़ैर नफ़ा या नुक़्सान पहुँचाती हैं तो बड़ा शिर्क करने वाला होगा। और अगर अ़क़ीदा रखे कि यह चीज़ें नफ़ा या नुक़्सान के माध्यम हैं तो वह छोटा शिर्क करने वाला होगा तथा यह माध्यम के शिर्क में दाख़िल होगा, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें माध्यम नहीं बनाया ।

इबादत में रिया (दिखावा):

नेक अ़मल की शर्तों में से है कि वह रिया से रिक्त

व मुक्त हो तथा सुन्नत के मुताबिक़ हो। जो शख़्स इस ग़र्ज़ से इबादत करे कि लोग उसे देखें तो वह छोटा शिर्क करने वाला होगा और उसका अ़मल बरबाद हो जायेगा, जैसे वह व्यक्ति जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़े। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [النساء: ١٤٢]

''बेशक मुनाफ़िक़ लोग अल्लाह से चालबाज़ियाँ कर रहे हैं और वह उन्हें इस चालबाज़ी का बदला देने वाला है, और जब वे नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी काहिली की हालत में खड़े होते हैं सिर्फ़ लोगों को दिखाते हैं, और अल्लाह की याद तो यूँ ही नाम के वास्ते करते हैं।'' {अन्निसाः १४२}

इसी तरह अगर इस ग़र्ज़ से अ़मल करे कि उसकी ख़बर फैल जाये और लोग आपस में उसका चर्चा करे तो वह शिर्क में पड़ जायेगा। और जो ऐसा करेगा उसके बारे में सख़्त धमकी आई है। जैसाकि इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मरवी (वर्णित) हदीस में है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ» [رواه مسلم: ٤/ ٢٢٨٩]

«जो शख़्स लोगों को सुनाने के लिए नेक काम करेगा अल्लाह तआ़ला भी (क़ियामत के दिन उसकी ज़िल्लत लोगों को) सुना देगा, और जो शख़्स दिखावे के लिए अ़मल करेगा अल्लाह तआ़ला भी उसको दिखला देगा।» {मुस्लिमः ४/२२८६}

और जिसने कोई ऐसी इबादत की जिसमें उसका मक़्सद अल्लाह और लोग दोनों हों तो उसका अ़मल बातिल होगा। जैसाकि हदीसे क़ुदसी में आया है:

«أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» [رواه مسلم برقم: ٢٩٨٥]

«मैं शरीकों से सबसे ज़्यादा बेनियाज़ हूँ। जिसने कोई ऐसा अ़मल किया जिसमें मेरे साथ किसी को शरीक किया तो मैं उसको और उसके शिर्क को छोड़ दूँगा।» {मुस्लिम, नम्बरः २६८५}

और जो अल्लाह के लिए अ़मल शुरू करे फिर उसमें रिया दाख़िल हो जाये, पस अगर वह इसे नापसंद करते हुये हटाने की कोशिश करे तो उसका अ़मल सही होगा, लेकिन अगर उसका दिल इस पर मुतमइन तथा संतुष्ट हो तो अधिकांश विद्वानों (अक्सर उलमा) की राय अनुसार उसका यह अ़मल बातिल होगा।

बद शुगूनी

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَإِذَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَٰذِهِۦۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ﴾ [سورة الأعراف: ١٣١]

''यदि उनके पास भलाई आती है तो कहते हैं कि यह हमारे लिए होना ही चाहिए, और अगर उनको कोई बुराई पेश आती है तो मूसा तथा उनके साथियों से बद शुगूनी लेते हैं।'' {अलआराफ़ः १३१}

जब अ़रब के लोग कोई काम -जैसे सफ़र वग़ैरा- करने का इरादा करते तो एक चिड़या पकड़ कर उसे उड़ा देते, अगर वह दायें ओर जाती तो इससे नेक फ़ाल लेते हुए (इसे शुभ लक्षण समझते हुए) उस काम को कर गुज़रते, और अगर बायें ओर जाती तो इससे बद शुगूनी लेते हुए (इसे कुलक्षण समझते हुए) उस काम से बाज़ आ जाते। नबी ﷺ ने इस काम का हुक्म बयान करते हुए इर्शाद फ़रमायाः

«الطِّيَرَةُ شِرْكٌ» [رواه الإمام أحمد: ١/ ٣٨٩، وهو في صحيح الجامع: ٣٩٥٥].

«बद शुगूनी शिर्क है।» {मुस्नद अहमदः १/३८६, सहीहुल जामेअ़ः ३६५५}

उक्त हराम एतिक़ाद -जो तौहीद के कमाल (एकत्ववाद के पूर्णता) के ख़िलाफ़ है- में निम्नलिखित चीज़ें भी शामिल हैं:

महीनों से बद शुगूनी लेना, जैसे सफ़र के महीना में शादी ब्याह न करना। और दिनों से बद शुगूनी लेना, जैसे हर महीना के आख़िरी बुध को मनहूस (अशुभ) समझना। अथवा संख्या से बद शुगूनी लेना, जैसे संख्या १३ को मनहूस समझना। अथवा बाज़ नामों या बाज़ ऐबदार (व्याधिग्रस्त) लोगों को देख कर बद शुगूनी लेना, जैसे दूकान खोलने के लिए जाते समय रास्ते में किसी एकाक्ष (काना) को देखने पर बद फ़ाली लेते हुए दूकान न खोल कर वापस आ जाना। यह सब के सब हराम हैं तथा शिर्क के अंतर्गत (शामिल) हैं। ऐसे लोगों से नबी ﷺ ने बराअत (मुक्तता) का एलान किया है। इम्रान बिन हुसैन رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، وَلاَ تُطُيِّرَ لَهُ، وَلاَ تَكَهَّنَ وَلاَ تُكُهِّنَ لَهُ، (وَأَظُنُّهُ قَالَ:) أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ». [رواه الطبراني في الكبير: ١٨/ ١٦٢، انظر صحيح الجامع: ٥٤٣٥]

«वह शख़्स हम में से नहीं जो बद फ़ाली करे या जिसके लिए बद फ़ाली की जाए, या कहानत (भविष्यद वाणी) करे या जिसके लिए कहानत की जाए, (रावी ने कहाः मेरा गुमान है कि यह भी फ़रमायाः) या जादू करे या जिसके लिए जादू किया जाए।» {तबरानी कबीरः १८/१६२, सहीहुल जामेअ़ः ५४३५}

जो व्यक्ति इन ग़लतियों में से किसी में वाक़ेअ़ (पतित) हो जाए तो उसका कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) वह है जो अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा की हदीस में उल्लेख हुआ है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». [رواه الإمام أحمد: ٢/ ٢٢٠، السلسة الصحيحة: ١٠٦٥. هذا الحديث فيه ضعف، ويحسن أن يذكر بصيغة التمريض (ز)]

«जो व्यक्ति बद शुगूनी (अशुभ लक्षण) के कारण किसी काम से बाज़ रहता है वह शिर्क करता है।» लोगों ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! इसका कफ़्फ़ारा क्या है? आप ﷺ ने फ़रमायाः «वह यह दुआ पढ़ेः ''अल्लाहुम्म ला ख़ैर इल्ला ख़ैरुक, वला त़ैर इल्ला त़ैरुक, वला इलाह ग़ैरुक।'' (अर्थात) ऐ अल्लाह! तेरी भलाई के अ़लावा और कोई भलाई नहीं है, और

नहीं हो सकती कोई चीज़ मगर जो तू ने अपने बंदे पर निर्धारित कर रखा है, और तेरे अ़लावा कोई सच्चा माबूद नहीं है।» {मुस्नद अहमदः २/२२०, सिलसिला सहीहाः १०६५, (अ़ल्लामा इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फ़रमायाः इस हदीस में ज़अ़फ़ यानी दूर्बलता है, अतः तमरीज़ के सेग़े -अर्थात शिथिल शब्दों में जैसे फ़लाँ से रिवायत किया गया या कहा गया कि फ़लाँ ने कहा वग़ैरा- के साथ उल्लेख करना बेहतर है)}

और बद शुगूनी के अ़क़ीदा का जनम लेना इंसान का फ़ितरी विषय है, जो घटता बढ़ता है। इसका सबसे बेहतर इलाज (चिकित्सा) है अल्लाह तआ़ला पर भरोसा रखना, जैसाकि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ ने फ़रमायाः

«وَمَا مِنَّا إِلَّا (أَيْ: إِلَّا وَيَقَعُ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ». [رواه أبو داود رقم: ٢٩١٠، وهو في السلسلة الصحيحة: ٤٣٠].

«हम में से हर एक के दिल में ऐसी चीज़ वाक़ेअ़ होती है, लेकिन अल्लाह तआ़ला तवक्कुल (भरोसा) के ज़रीया उसे दूर फ़रमा देता है।» {अबू दाऊदः २६१०, सिलसिला सहीहाः ४३०}

ग़ैरुल्लाह की क़सम (अल्लाह के अ़लावा किसी और की सौगंध) खाना

अल्लाह तआ़ला अपनी मख़लूक़ात (सृष्टि) में से जिसकी चाहे क़सम खाए, लेकिन सृष्टि के लिए अल्लाह के अ़लावा किसी और की क़सम खाना जायज़ नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत से लोग ग़ैरुल्लाह की क़सम खाते रहते हैं, हालाँकि क़सम एक प्रकार की ताज़ीम व भक्ति का विषय है, अतः वह अल्लाह के अ़लावा किसी और के लिए लायक़ व

ज़ेबा (योग्य) नहीं है। इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ١١/ ٥٣٠].

«सुनो! अल्लाह तआ़ला तुम्हें अपने बापों की क़सम खाने से मना फ़रमाता है, (अतः) जो क़सम खाना चाहता है वह अल्लाह की क़सम खाये या ख़ामोश (चुप) रहे।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः ११/५३०} और इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने इरशाद फ़रमायाः

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ». [رواه الإمام أحمد: ٢/ ١٢٥، انظر صحيح الجامع: ٦٢٠٤].

«जिसने ग़ैरुल्लाह की क़सम खाई उसने शिर्क किया।» {मुस्नद अहमदः २/१२५, सहीहुल जामेअ़ः ६२०४} नबी ﷺ ने और इरशाद फ़रमायाः

«مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا». [رواه أبو داود: ٣٢٥٣، وهو في السلسلة الصحيحة رقم: ٩٤].

«जिसने अमानत की क़सम खाई वह हम में से नहीं है।» {अबू दाऊदः ३२५३, सिलसिला सहीहाः ६४}

अतः काबा, अमानत, शरफ़ व इ़ज़्ज़त (मान मर्यादा), फ़लाँ की बरकत, फ़लाँ की ज़िंदगी, नबी ﷺ की जाह व हश्मत (मरतबा व वैभव), वली की जाह, पिता माता और बच्चों के सिर इत्यादि की क़सम खाना नाजायज़ तथा हराम है। अगर

किसी से इन में से कुछ सरज़द (वाक़ेअ़) हो जाये तो उसका कफ़्फ़ारा यह है कि वह 'ला इलाह इल्लल्लाह' पढ़े, जैसाकि सहीह हदीस में आया है:

«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». [رواه البخاري، الفتح: ١١/٥٣٦].

«जो व्यक्ति क़सम खाते हुए यह कहे कि लात व उ़ज़्ज़ा की क़सम, तो उसे चाहिए कि वह 'ला इलाह इल्लल्लाह' पढ़े।» {बुख़ारी, फ़त्हुल बारीः ११/५३६}

इस तरह के और भी बहुत से हराम तथा शिर्किया अल्फ़ाज़ (शिर्कसूचक शब्द) हैं जो कुछ मुसलमानों की ज़ुबानों पर चढ़े हुये होते हैं, जैसेः 'मैं अल्लाह की और आपकी पनाह (आश्रय) चाहता हूँ', 'मैं अल्लाह पर और आप पर भरोसा करता हूँ', 'यह अल्लाह की ओर से तथा आपकी ओर से है', 'अल्लाह और आपके अ़लावा मेरा कोई सहारा नहीं है', 'मेरे लिए आसमान में अल्लाह और ज़मीन पर आप हैं', 'अगर अल्लाह और फ़लाँ न होता',[1] 'मैं इस्लाम से बरी हूँ', 'हाय ज़माने की नाकामी तथा असफलता', (और इस प्रकार का हर वाक्य जिसमें ज़माने को बुरा भला कहा जाये जैसे, 'यह काल अकाल है', 'यह मनहूस (अशुभ) घड़ी है' तथा 'ज़माना ग़द्दार व बेवफ़ा है' इत्यादि, क्योंकि ज़माने को बुरा भला कहना

[1] अ़ल्लामा इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फ़रमायाः इस क़िस्म के जुमलूँ (वाक्यों) में सही बात यह है कि 'और' की जगह 'फिर' का शब्द लाया जाए, यानी यूँ कहा जाएः मेरा सहारा अल्लाह है फिर आप हैं।

ज़माना के ख़ालिक़ (स्रष्टा) अल्लाह को बुरा भला कहना होता है), और 'तबीअ़त चाही' कहना, और हर ऐसे नाम जिसका अर्थ ग़ैरुल्लाह का बंदा हो जैसे 'अ़ब्दुल मसीह' यानी मसीह ईसा का बंदा, 'अ़ब्दुन नबी' यानी नबी का बंदा, 'अ़ब्दुर्रसूल' यानी रसूल का बंदा और 'अ़ब्दुल हुसैन' यानी हुसैन का बंदा।

इसी तरह तौहीद विरोधी नये मुस्तलहात (आधुनिक परिभाषाओं) में से चंद यह हैंः इस्लामी इश्तिराकियत (समाजतंत्र), इस्लामी जमहूरियत (गणतंत्र), अ़वाम की इच्छा अल्लाह की इच्छा है, दीन (धर्म) अल्लाह के लिए है और वतन (देश) सबके लिए है, अ़रब जातीयतावाद (क़ौमियत) के नाम पर, इनक़लाब (विद्रोह) के नाम पर।

और हराम अलफ़ाज़ (निषिद्ध शब्दों) में से चंद यह हैंः इंसान में से किसी को 'शहिंशाह' (अर्थात 'राजाधिराज') कहना, या इस जैसा कोई कलिमा (शब्द) इस्तेमाल करना जैसे क़ाज़ियों का क़ाज़ी (विचारकों का विचारक)। और काफ़िर तथा मुनाफ़िक़ के लिए 'सैयद' (सर्दार) का शब्द (चाहे अ़रबी में या दूसरी ज़ुबानों में हो) इस्तेमाल करना। तथा शब्द 'अगर' (यानी किसी चीज़ के फ़ौत हो जाने पर यह कहना कि 'अगर' ऐसा करता तो ऐसा होता) का प्रयोग करना, जो नाराज़गी और अफ़सोस व हसरत की दलील होती है तथा शैतान के कर्म का द्वार खोल देता है। इसी तरह यह कहना कि 'ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे।' {अधिक जानकारी के लिए शैख़ बक्र अबू ज़ैद रचित 'मोजमुल मनाहिल लफ़्ज़िया' नामी पुस्तक का मुताला (अध्यायन) करें}

मुनाफ़िक़ों या फ़ासिक़ों (बहुमुखीयों या पापीयों) के साथ उनसे क़रीब होने के लिए अथवा उनको क़रीब करने लिए उठना-बैठना

जिनके दिलों में ईमान ने अच्छी तरह जगह नहीं ली है, ऐसे बहुत से लोग कुछ पापीयों तथा दूराचारीयों के साथ उठते बैठते हैं, बल्कि कभी कभी बाज़ ऐसे लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं जो अल्लाह की शरीअ़त (विधान) में ताना ज़नी (कटाक्ष) करते हैं, तथा उसके दीन और उसके औलिया का मज़ाक़ उड़ाते हैं, निःसंदेह यह ऐसा हराम काम है जो अ़क़ीदा में ख़लल (बिगाड़) पैदा करने वाला है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَإِذَا رَأَيۡتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨]

''और जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयतों में कुरेद कर रहे हैं तो उन लोगों से अलग हो जायें, यहाँ तक कि वह किसी और बात में लग जायें, और अगर आपको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे ज़ालिम लोगों के साथ मत बैठें।'' {अलअनआ़मः ६८}

अतः इस हालत में उनके साथ उठना बैठना जायज़ नहीं है, गरचे (यद्यपि) क़रीबी रिश्तेदार ही क्यों न हों, या

उनका व्यवहार मनोहर (सुंदर) तथा उनकी जुबान सुमधुर (मीठी) क्यों न हो। हाँ जो शख़्स उनको दावत देने के लिए, या उनके बातिल का खंडन (रद) करने के लिए, या उनका प्रतिवाद (विरोध) करने के लिए उनके साथ बैठे तो कोई हरज नहीं है। और अगर उनसे राज़ी (संतुष्ट) हो या ख़ामोशी अख़्तियार करे तो नहीं। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَإِن تَرۡضَوۡاْ عَنۡهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرۡضَىٰ عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾ [التوبة: ٩٦]

''तो अगर तुम उनसे राज़ी हो भी जाओ तो अल्लाह ऐसे फ़ासिक़ों (दुराचारियों) से राज़ी नहीं होता।'' {अत्तौबाः ६६}

नमाज़ में इतमीनान न रखना (एकाग्रता परित्याग करके जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना)

नमाज़ में चोरी करना चोरी के महान अपराधों (अ़ज़ीम जुर्मों) में से एक है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «لَا يَتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا». [رواه الإمام أحمد: ٥/ ٣١٠، وهو في صحيح الجامع: ٩٩٧].

«लोगों में बदतर (निकृष्ट) चोर वह है जो अपनी नमाज़ में चोरी करता है।» सहाबए किराम ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ में कैसे चोरी करता है? आप ﷺ ने फ़रमायाः «नमाज़ में पूरे तौर पर न रुकूअ़ करता है और न सज्दा।» {मुस्नद अहमदः ५/३१०, सहीहुल जामेअ़: ६६७}

नमाज़ में इतमीनान (एकाग्रता) छोड़ देना, रुकूअ् और सज्दा में पीठ को सीधा न रखना, रुकूअ् से उठने के बाद पूरे तौर पर खड़ा न होना और दो सज्दे के दरमियान बराबर न बैठना, यह सब ऐसी चीज़ें हैं जो मशहूर हैं तथा अकसर (अधिकांश) नमाज़ियों में देखी जाती हैं, और ऐसे नमाज़ियों से शायद ही कोई मस्जिद ख़ाली हो। हालाँकि इतमीनान (एकाग्रता) नमाज़ का एक रुक्न है, उस्के बग़ैर नमाज़ सही नहीं होती, अतः मामला बड़ा संगीन है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». [رواه أبو داود: ١/ ٥٣٣، وهو في صحيح الجامع: ٧٢٢٤].

«आदमी की नमाज़ उस वक़्त तक सही नहीं होती, जब तक कि रुकूअ् और सज्दा में अपना पीठ सीधा न कर ले।» {अबू दाऊदः १/५३३, सहीहुल जामेअ्ः ७२२४}

निःसंदेह यह मुन्कर (निंदित) काम है, इसका करने वाला सज़ा तथा धमकी का मुस्तहिक़ (हक़्दार) है। अबू अ़ब्दुल्लाह अशअ़री ﷺ से मरवी है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ाकर उनके किसी गरोह (दल) में बैठ गए। इसी दौरान एक आदमी (मस्जिद में) दाख़िल होकर नमाज़ पढ़ना शुरू किया और अपने रुकूअ् तथा सज्दे में ठोकर मारने लगा। यह देखकर नबी ﷺ फ़रमायाः

«أَتَرَوْنَ هَذَا؟ مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا

التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، فَمَاذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ؟» [رواه ابن خزيمة في صحيحه: ١/ ٣٣٢، وانظر صفة صلاة النبي للألباني: ١٣١].

«तुम इसे देख रहे हो? इस हालत में जिसकी मौत होगी, वह मुहम्मद की मिल्लत के अ़लावा पर मरेगा। यह अपनी नमाज़ में वैसे ठोकर मारता है जैसे कौवा ख़ून में ठोकर मारता है। जो व्यक्ति रूकूअ़ सज्दा में ठोकर मारता है, उसकी मिसाल उस भूके की सी है जो एक ही दो खजूर खाता है, तो वह उसे क्या फ़ायदा देंगे? (यानी क्या इससे उसकी भूक दूर हो सकती है?)» {सहीह इब्नु ख़ुज़ैमाः १/३३२, अल्बानी की 'सिफ़तु सलातिन्नबी': १३१} और ज़ैद बिन वहब से रिवायत है, उन्होंने कहाः हुज़ैफ़ा ﷺ ने एक आदमी को अपूर्ण (ग़ैर मुकम्मल) रुकूअ़ सज्दा करते हुए देखकर फ़रमायाः तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी, अगर इस हालत में तुम्हारी मौत हो गई, तो उस फ़ित्रत पर नहीं होगी जिस पर अल्लाह ने मुहम्मद ﷺ को पैदा फ़रमया। {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः २/२७४}

नमाज़ में इत्मीनान (एकाग्रता) छोड़ने वाले पर हुक्म जानने के बाद वाजिब है कि वह उस फ़र्ज़ को दोहरा ले जिसका वक़्त बाक़ी है। और जिस नमाज़ का वक़्त गुज़र चुका है उसके लिए अल्लाह से तौबा करे। साबिक़ा (गुज़री हुई) नमाज़ों का दोहराना उस पर लाज़िम (ज़रूरी) नहीं है। (क्योंकि आप ﷺ ने इतमीनान के साथ नमाज़ न पढ़ने वाले व्यक्ति को सिर्फ़ वह नमाज़ दोहराने का हुक्म दिया था जिसमें उसने इतमीनान को छोड़ दिया था, साबिक़ा नमाज़ें दोहराने का हुक्म

नहीं दिया था।) जैसाकि आप ﷺ ने फ़रमाया:

«اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». [رواه البخاري: ٧٥٧]

«वापस जाकर दोबारा नमाज़ पढ़ो, क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी।» {बुख़ारीः ७५७}

नमाज़ में फ़ुज़ूल काम तथा ज़्यादा हरकत करना

यह भी वह आफ़त (व्यधि) है जिससे शायद ही कोई नमाज़ी महफ़ूज़ हो। क्योंकि न वह अल्लाह के निम्नोक्त हुक्म की पाबंदी करते हैं:

﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

''और अल्लाह तआ़ला के लिए बा अदब (नम्रता पूर्वक) खड़े रहा करो।'' {अल्बक़राः २३८} और न अल्लाह के निम्नोक्त वाणी (फ़रमान) के सही अर्थ को समझते हैं:

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۝١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١-٢]

''यक़ीनन (निश्चय) ईमान वालों ने फ़लाह हासिल (सफलता प्राप्त) कर ली, जो अपनी नमाज़ में ख़ुशूअ़ (विनय) करते हैं।'' {अलमोमिनूनः १,२}

और जब नबी ﷺ से नमाज़ की हालत में सज्दा की जगह की मिट्टी बराबर करने के बारे में पूछा गया, तो आपने फ़रमाया:

«لَا تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الْحَصَى». [رواه أبو داود: ١/ ٥٨١، وهو في صحيح الجامع: ٧٤٥٢].

«नमाज़ की हालत में तुम कुछ न छूओ, और अगर कंकर बराबर करना ज़रूरी ही हो तो बस एक मरतबा।» {अबू दाऊदः १/५८१, सहीहुल जामेअ़ः ७४५२} उ़लमा किराम ने फ़रमाया कि बग़ैर ज़रूरत के लगातार ज़्यादा हरकत नमाज़ को बातिल कर देती है। तो नमाज़ के दौरान फ़ुज़ूल हरकत करने वालों का क्या होगा जो अल्लाह के सामने खड़े होकर कभी अपनी घड़ी की तरफ़ देखते हैं, या कपड़े ठीक करते हैं, या नाक में उंगली डालते हैं, और कभी दायें बायें तथा आसमान की ओर ताकते हैं। और वह इस बात से नहीं डरते कि उनकी निगाहें उचक ली जाएं और यह कि शैतान उनकी नमाज़ छीन ले।

जान-बूझकर मुक़्तदी का अपने इमाम पर सबक़त ले जाना (इमाम से पहले कुछ करना)

जल्द बाज़ी इंसान की तबीअ़त (स्वभाव) में से है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ عَجُولٗا﴾ [الإسراء: ١١]

''और इंसान है ही बड़ा जल्द बाज़।'' {अलइस्राः ११} और नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«التَّأَنِّي مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». [رواه البيهقي في السنن الكبرى: ١٠/ ١٠٤، وهو في السلسلة: ١٧٩٥].

«बुर्दबारी (सहिष्णुता) अल्लाह की तरफ़ से तथा जल्द बाज़ी शैतान की तरफ़ से होती है।» {बैहक़ी की किताब अस्सुननुल कुबराः १०/१०४, सिलसिलाः १७९५}

आदमी जमाअ़त में खड़ा होकर बहुधा यह लक्ष्य करता (अक्सर यह देखता) होगा कि उसके दायें बायें नमाज़ पढ़ने वाले बहुत से लोग और कभी कभी ख़ुद भी रुकूअ़ या सज्दे में, और उमूमन (प्रायः) तक्बीरे तह्रीमा के अ़लावा दीगर तक्बीरों में, यहाँ तक कि सलाम फेरने में भी अपने इमाम पर सबक़त ले जाते हैं। यह वह अ़मल है जो बहुतों के नज़दीक अहम (महत्वपूर्ण) नहीं है, हालाँकि इस बारे में नबी ﷺ की ज़ुबानी सख़्त धमकी आई है:

«أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ».

[رواه مسلم: ١/ ٣٢٠-٣٢١].

«क्या वह शख़्स जो इमाम से पहले अपना सर उठाये इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह तआ़ला उसके सर को गधे के सर में बदल दे?» {मुस्लिमः १/३२०, ३२१} नमाज़ी को नमाज़ के लिए आते हुए अगर सुकून व वक़ार (शांति व गांभीर्य) के साथ आने का हुक्म है, तो भला नमाज़ के दौरान उसका क्या हाल होना चाहिए?!

कभी कभी कुछ लोगों के यहाँ इमाम पर सबक़त ले जाने का विषय इमाम से पीछे रहने के विषय के साथ ख़लत मलत हो जाता है (यानी कुछ लोग यह ख़्याल करते हैं कि इमाम से पहले कुछ करना उसके बाद करने की तरह है), तो जान लेना चाहिए कि फ़ुक़हा ने इस मसले में एक अच्छा क़ायदा उल्लेख किया है, वह यह कि मुक़्तदी को उस वक़्त हरकत शुरू करनी चाहिए जब इमाम की तक्बीर ख़त्म हो जाए,

अर्थात इमाम जब अल्लाहु अक्बर के 'र' से फ़ारिग़ हो जाए तो मुक़्तदी हरकत शुरू करे, न उससे पहले न उसके बाद। और इस तरह से मामला सुलझ (समस्या दूर हो) जाएगा। रसूलुल्लाह ﷺ के सहाबा ﷺ बहुत ज़्यादा हरीस (आग्रही) थे कि आप पर सबक़त न ले जाएं। बरा बिन आज़िब ﷺ फ़रमाते हैं:

«إِنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخِرُّ مَنْ وَرَاءَهُ سُجَّدًا». [رواه مسلم برقم: ٤٧٤، ط. عبد الباقي].

«वह लोग (सहाबए किराम) अल्लाह के रसूल ﷺ के पीछे नमाज़ पढ़ते थे। जब आप रुकूअ् से अपना सर उठाते, तो मैं किसी को उस वक़्त तक अपना पीठ झुकाते हुए न देखता, जब तक रसूलुल्लाह ﷺ अपनी पेशानी ज़मीन पर न रख लेते, फिर आपके पीछे के लोग सज्दा में जाते।» {मुस्लिम, हदीस नम्बरः ४७४}

और जब नबी ﷺ की उ़म्र ज़्यादा हो गई और आपकी हरकत में कुछ धीमापन (धीरता) आ गया, तो आपने अपने पीछे नमाज़ पढ़ने वालों को तम्बीह करते (चेतावनी देते) हुए फ़रमायाः

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». [رواه البيهقي: ٢/ ٩٣، وحسنه في إرواء الغليل: ٢/ ٢٩٠].

«ऐ लोगो! मैं उ़म्र दराज़ हो गया हूँ, अतः तुम रुकूअ् व सज्दा

में मुझ पर सबक़त न ले जाओ (यानी मुझसे पहले रुकूअ् सज्दा न करो)।» {बैहक़ी: २/६३, अलबानी ने इसे इरवाउल ग़लील में हसन कहा है: २/२६०}

और इमाम को चाहिए कि वह नमाज़ के दौरान तक्बीर (अल्लाहु अक्बर कहने) में उस सुन्नत पर अ़मल करे, जो अबू हुरैरा ﷺ से मरवी (वर्णित) हदीस में आया है:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ .. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ». [رواه البخاري برقم: ٧٥٦، ط. البغا].

«रसूलुल्लाह ﷺ जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो तक्बीर कहते। फिर जब रुकूअ् करते तो तक्बीर कहते। -- फिर जब सज्दा के लिए झुकते तो तक्बीर कहते। फिर जब सज्दा से सर उठाते तो तक्बीर कहते। फिर जब सज्दा करते तो तक्बीर कहते। फिर जब सज्दा से सर उठाते तो तक्बीर कहते। फिर अपनी पूरी नमाज़ में ऐसा ही करते, यहाँ तक कि नमाज़ पूरी फ़रमाते। और दूसरी रकअ़त के तशहहुद के बाद उठते हुए तक्बीर कहते।» {बुख़ारी, हदीस नम्बर: ७५६}

अगर इमाम अपनी हरकत के साथ साथ तक्बीर कहे, और मुक़्तदी मज़कूरा कैफ़ियत (उल्लिखित नियम) की पाबंदी करे, तो नमाज़ के सिलसिले में पूरी जमाअ़त का मामला दुरुस्त हो जाएगा।

पियाज़, लहसुन या कोई बदबू (कुबास) वाली चीज़ खाकर मस्जिद में आना

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ [الأعراف: ٣١].

''ऐ आदम की औलाद! तुम हर नमाज़ के समय ज़ीनत अपनाओ (यानी सुंदर लिबास पोशाक पहनो)।'' {अल्आराफ़: ३१}

जाबिर ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا» أَوْ قَالَ: «فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ٢/ ٣٣٩].

«जो लहसुन या पियाज़ खाए वह हमसे अलग रहे।» या आपने फ़रमायाः «वह हमारी मस्जिद से अलग रहे और अपने घर में बैठा रहे।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः २/३३६} और मुस्लिम की एक रिवायत में है:

«مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْـمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِـمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». [رواه مسلم: ١/ ٣٩٥].

«जो पियाज़, लहसुन या लीक (Leek पियाज़ जैसा पौदा) खाए, वह हमारी मस्जिद से क़रीब न हो, क्योंकि जिन चीज़ों से आदम की औलाद को तक्लीफ़ होती है, उन चीज़ों से फ़रिश्तों को भी तक्लीफ़ होती है।» {मुस्लिमः १/३६५} और उ़मर

बिन ख़त्ताब ﷺ ने जुमुआ़ के दिन ख़ुत्बा देते हुए अपने ख़ुत्बे में फ़रमायाः

«ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ: هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْـمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا». [رواه مسلم: ١/٣٩٦].

«फिर ऐ लोगो! तुम दो दरख़्त (सब्ज़ी) खाते हो, मैं समझता हूँ कि वह गंदी हैं: वह पियाज़ और लहसुन हैं। मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा कि अगर मस्जिद में किसी के मुँह से इसकी बदबू आती, तो आप उसे निकालने का हुक्म देते, पस उसे बक़ीअ़ की तरफ़ निकाल दिया जाता। अतः जो उसे खाना चाहे, उसे चाहिए कि पका कर उसकी बू ख़त्म कर दे।» {मुस्लिमः १/३९६}

इसी के ज़िम्न में वह लोग भी हैं जो अपने कामों से फ़ारिग़ होने के फ़ौरन बाद मस्जिदों में दाख़िल होते हैं, इस हाल में कि उनके बग़लों तथा मोज़ों से बदबू आती रहती है।

इससे भी बदतर (जघन्य) वह धूमपायी हैं जो हराम धूमपान करके मस्जिदों में दाख़िल होते हैं और अल्लाह के बंदों यानी फ़रिश्तों तथा नमाज़ियों को तक्लीफ़ देते हैं।

ज़िना (व्यभिचार)

इस्लामी शरीअ़त के अग़राज़ व मक़ासिद (लक्ष्य तथा उद्देश्यों) में से इ़ज़्ज़त व आबरू तथा नस्ल व वंश की हिफ़ाज़त करना है। इसी लिए शरीअ़त ने ज़िना की हुर्मत (हराम होने) का एलान किया। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا﴾ [الإسراء: ٣٢]

''सावधान! ज़िना के क़रीब भी न जाना, क्योंकि वह बड़ी बेहयाई (निर्लज्जता) और बहुत ही बुरी राह (मार्ग) है।'' {अल्इस्राः ३२} बल्कि शरीअ़त ने पर्दा करने तथा निगाहें नीची रखने का हुक्म देकर और अजनबी औ़रत (परनारी) के साथ तनहाई अख़्तियार करने आदि के हराम होने का फ़रमान जारी करके ज़िना तक पहूँचाने वाले सारे अस्बाब व माध्यमों तथा रास्तों को बंद कर दिया है।

ज़ानी (व्यभिचारी) अगर शादी शुदा (विवाहित) हो, तो उसको सख़्त तथा कठिन सज़ा दी जाएगी, यानी उसे संगसार किया (पत्थरों से मारा) जाएगा यहाँ तक कि वह मर जाए, ताकि वह अपने किये का मज़ा चख ले, और उसके शरीर का हर अंग उस तरह तक्लीफ़ महसूस (कष्ट अनुभव) करे जिस तरह कि वह हराम काम (ज़िना) से तृप्ति भोग किया (लुत्फ़ अंदोज़ हुआ) था। और अगर ज़ानी (व्यभिचारी) ग़ैर शादी शुदा (अविवाहित) हो, तो उसे शरई हुदूद (दंडविधि) में कोड़े के सिलसिले में वारिद (प्रमाणित) संख्या में सबसे ज़्यादा संख्या यानी सौ कोड़े मारे जायेंगे। साथ साथ उसे अपमान (रुसवा) किया जाएगा, क्योंकि मोमिनों की एक जमाअ़त की उपस्थिति (मैजूदगी) में उसे दंडित किया जाएगा (सज़ा दी जाएगी), और पूरे एक साल के लिए उसे उसके शहर से तथा अपराध स्थल (जुर्म की जगह) से निकाल दिया (जला वतन किया) जाएगा।

बरज़ख़ (मरने के वक़्त से दोबारा उठने तक का

ज़माना) में ज़ानी व ज़ानिया (व्यभिचारी तथा व्यभिचारीणी) की सज़ा यह होगी कि वह एक ऐसे तन्नूर (तंदूर) में हूँगे जिसका ऊपरी हिस्सा तंग और निचला हिस्सा कुशादा होगा। उसके नीचे आग जलती होगी इस हाल में कि वह नंगे हूँगे। जब उन्हें दग्ध किया जाएगा (उन पर आग जलाई जाएगी), तो वह इस ज़ोर से चीख़ेंगे कि क़रीब है कि बाहर निकल आयें। फिर जब आग बुझ जाएगी तो वह उसी में दोबारा लौट जायेंगे। और क़ियामत तक उनके साथ ऐसा ही मामला किया जाएगा।

और उस आदमी का मामला बड़ा ही बदतर (जघन्य) है जो उम्र दराज़ होने तथा क़ब्र से क़रीब पहुँचने और अल्लाह की तरफ़ से मुहलत (अवकाश) पाने के बावजूद ज़िना करता रहता है। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ولَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ». [رواه مسلم: ١/١٠٢-١٠٣].

«तीन आदमी हैं, क़ियामत के दिन न अल्लाह उनसे बात करेगा, न उनको पाक करेगा और न उनकी तरफ़ देखेगा, तथा उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब होगाः बूढ़ा ज़ानी, झूठा बादशाह और घमंडी फक़ीर।» {मुस्लिमः १/१०२-१०३}

निकृष्ट तथा जघन्य (बदतरीन) कमाई में से वह कमाई है जो ज़ानिया (व्यभिचारीणी) ज़िना के मुक़ाबिल में लेती है। शर्मगाह को कमाई का ज़रीया बनाने वाली औ़रत (ज़ानिया) उस समय की दुआ़ के क़बूल होने से महरूम तथा वंचित रहती

है जब आधी रात को आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ज़रूरत और मुहताजी कभी भी अल्लाह की हदों को पामाल करने के लिए शरई उ़ज़्र नहीं बन सकती। पहले ज़माना में लोग कहते थेः आज़ाद औ़रत भूकी रहना गवारा करे, लेकिन दूध बेचके न खाए (यानी उजरत लेकर भी दूसरे बच्चे को दूध पिलाए), तो कैसे वह अपना शर्मगाह बेचके खा सकती है?!

मौजूदा दौर में बदकारी के सारे दरवाज़े खोल दिए गए हैं। और शैतान ने अपने तथा अपने चेलों के मक्र व फ़रेब के ज़रीया उसका रास्ता आसान कर दिया है। और नाफ़रमानों तथा पापाचारों ने उसकी इत्तिबा (अनुसरण) की, जिसके नतीजा में बेपर्दगी और बेहयाई आ़म हो गई, निगाह तथा हराम दृष्टि आवारा हो गई, समागम (इख़तिलात) मुंतशिर हो गया, घृणास्पद पत्र-पत्रिकाओं (हया सोज़ मेगज़ीनों) तथा बेहया फ़िल्मों का प्रचलन (दौर दौरा) हो गया, पाप के मुल्कों में अधिकाधिक (कसरत से) सफ़र किया जाने लगा, वेश्यावृत्ति (रंडीगीरी) का बाज़ार गरम हो गया, इ़ज़्ज़तों का लूटना आ़म हो गया, हरामी औलाद (जारज संतानों) की संख्या बढ़ गई और भ्रूण (गर्भस्थ बच्चों) का हत्या ज़्यादा हो गया।

अतः ऐ अल्लाह! हम तेरी रहमत, तेरी मेहरबानी, तेरी पर्दापोशी और तेरी हिफ़ाज़त की तुझसे भीक माँगते हैं। बेहयाई तथा बदकारी से तू हमारी हिफ़ाज़त फ़रमा। हमारे दिलों को पाक-पवित्र कर दे, हमारे शर्मगाहों की हिफ़ाज़त फ़रमा और हमारे दरमियान तथा हराम के दरमियान ज़बरदस्त आड़ और मज़बूत पर्दा खड़ा कर दे।

लिवातत (समलिंगी व्यभिचार)

लूत عليه السلام की क़ौम का जुर्म यह था कि वह मर्दों से अपनी ख़ाहिश पूरी करते थे। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٨-٢٩].

''और लूत عليه السلام का भी ज़िक्र करो जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि तुम तो उस बदकारी पर उतर आए हो जिसे तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने नहीं किया। क्या तुम मर्दों के पास बद फ़ेली (कुकर्म) के लिए आते हो और रास्ते बंद करते हो, और अपनी आ़म मजलिसों में बेहयाइओं का काम करते हो? इसके जवाब में उसकी क़ौम ने इसके अ़लावा और कुछ नहीं कहा कि बस जा अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह तआ़ला का अ़ज़ाब ले आ।'' {अलअ़नकबूतः २८-२९}

उक्त अपराध के निकृष्ट, जघन्य तथा विपज्जनक (क़बीह व बदतर और ख़तीर) होने के कारण अल्लाह तआ़ला ने उन्हें चार क़िस्म की सज़ाओं से दोचार किया, जबकि एक साथ चार क़िस्म की सज़ाएं उनके अ़लावा किसी और पर नाज़िल नहीं की गईं। सज़ाएं यह हैंः अल्लाह तआ़ला ने उनकी दृष्टि ज्योति विलुप्त (आँखों की रोशनी ख़त्म) कर दिया। और

उनकी बस्ती को उलट पलट कर दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया। और उन पर कंकड़ीले पत्थरों की बारिश बरसाई जो तह पर तह थे। तथा उन पर चीख़ (ज़ोर की कड़क) भेजा।

इस्लामी शरीअ़त में -राजेह क़ौल के मुताबिक़/ प्राबल्य मतानुसार- लिवातत करने और कराने वाले दोनों की सज़ा तलवार से हत्या है, अगर वह दोनों की रिज़ामंदी और अख़्तियार से हुई हो। इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ».

[رواه الإمام أحمد: ١/ ٣٠٠، وهو في صحيح الجامع: ٦٥٦٥].

«अगर तुम किसी को लूत की क़ौम जैसा फ़ेल (कुकर्म) करते हुए पाओ तो करने तथा कराने वाले दोनों की हत्या कर दो।» {मुस्नद अहमदः १/३००, सहीहुल जामेअ़ः ६५६५}

मौजूदा दौर में फ़ुहश और बदकारी के कारण महामारी (प्लेग) तथा मुख़्तलिफ़ क़िस्म की बीमारियाँ जनम ले रही हैं, जो हमारे पूर्वजों में नहीं थीं, जैसे एड्स् जैसी क़ातिल बीमारी। विधानदाता (शारेअ़) ने इस बदकारी की जो सख़्त सज़ा मुक़र्रर की है, वह उसकी हिक्मत पर दलालत करती है।

बीवी का बिना किसी शरई उ़ज़्र के शौहर के बिस्तर पर आने से इनकार करना

अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहाः नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْـمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ٦/ ٣١٤].

«जब शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वह आने से इनकार करे, जिसके सबब शौहर नाराज़ होकर रात गुज़ारे, तो फ़रिश्ते सुबह होने तक उस पर लानत भेजते रहते हैं।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः ६/३१४}

अगर मियाँ बीवी में तू तू मैं मैं हो जाता है तो बहुत सी बीवी -अपने गुमान में- अपने शौहर को उसके बिस्तर में न जाकर तथा उसका हक़ न देकर सज़ा देती है। हालाँकि इससे बड़ी बड़ी ख़राबियाँ सामने आती हैं, जैसेः शौहर का हराम में वाक़ेअ् (व्यभिचार में पतित) होना। और कभी कभी मामले बीवी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, पस शौहर बज़िद होकर (हठ में आकर) उस पर दूसरी शादी करने के बारे में सोचता है।

अतः नबी ﷺ के निम्नोक्त फ़रमान को बजा लाते हुए बीवी पर वाजिब है कि शौहर के बुलावे पर लब्बैक कहे यानी फ़ौरन् हाज़िर हो। नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ». [انظر زوائد البزار: ٢/ ١٨١، وهو في صحيح الجامع: ٥٤٧].

«अगर शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए, तो चाहिए कि वह उसे क़बूल करे, अगरचे वह हौदा पर हो।» {देखें ज़वाइदुल बज़्ज़ारः २/१८१, सहीहुल जामेअ्ः ५४७} तथा शौहर को

चाहिए कि बीवी अगर बीमार, हामिल (गर्भवती) अथवा व्याकुल (बेचैन) हो, उसका ख़्याल रखे, ताकि मुहब्बत का बंधन अटूट रहे तथा अनबन की नौबत न आए।

बीवी का बिना किसी शरई उ़ज़्र के अपने शौहर से तलाक़ तलब करना

बहुत सी बीवी छोटी मोटी बातों पर अपने शौहरों से तलाक़ तलब करने में जल्दी करती हैं। अथवा बीवी तलाक़ का मुतालबा करती है जब शौहर उसे उसकी इच्छानुसार धन (ख़ाहिश के मुताबिक़ माल) न दे। और कभी कभी बीवी इस पर अपने बाज़ फ़सादी रिश्तेदारों या पड़ोसियों की तरफ़ से उदबुद्ध की (उकसाई) जाती है। और बीवी कभी शौहर को ऐसा जुम्ला (वाक्य) कहकर ललकारती है कि उसके पट्ठे जोश में आ जाते हैं, जैसेः अगर तुम मर्द हो तो मुझे तलाक़ दे दो।

यह बात किसी से मख़फ़ी (पोशीदा) नहीं कि तलाक़ के कारण बहुत सारे नुक़्सानात (क्षतियाँ) सामने आते हैं, जैसेः ख़ानदान का बिखर जाना, बच्चों का विक्षिप्त (तितर बितर) हो जाना। और फिर बाद में वह उस वक़्त पछताती है जब पछतावा किसी काम में नहीं आता। मज़कूरा (उल्लिखित) नुक़सानात तथा दीगर नुक़सानात को मद्दे नज़र रखते हुए शरीअ़त ने बग़ैर किसी उ़ज़्र के तलाक़ तलब करने को हराम क़रार दिया है। सौबान ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ

الْجَنَّةِ». [رواه أحمد: ٥/ ٢٧٧، وهو في صحيح الجامع: ٢٧٠٣].

«कोई भी औरत अपने शौहर से बग़ैर किसी सबब के तलाक़ माँगे, तो उस पर जन्नत की ख़ुशबू भी हराम है।» {मुस्नद अहमदः ५/२७७, सहीहुल जामेअ़ः २७०३} और उक़्बा बिन आ़मिर ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«إِنَّ الْـمُخْتَلِعَاتِ وَالْـمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْـمُنَافِقَاتُ». [رواه الطبراني في الكبير: ١٧/ ٣٣٩، وهو في صحيح الجامع: ١٩٣٤].

«ख़ुल्अ़ा लेने वाली तथा तलाक़ चाहने वाली औरतें ही मुनाफ़िक़ हैं।» {तबरानी कबीरः १७/३३६, सहीहुल जामेअ़ः १६३४}

हाँ, अगर कोई शरई कारण हो, जैसेः शौहर का नमाज़ न पढ़ना, मादक द्रव्य सेवन (नशीली चीज़ें इस्तेमाल) करना, शौहर का बीवी को किसी हराम काम पर मजबूर करना, या उसे कष्ट देकर अथवा उससे उसके शरई हुक़ूक़ (अधिकार) रोककर उस पर अन्याय करना। और शौहर को नसीहत करने के बावजूद भी अगर कोई फ़ायदा न हो तथा उसके इस्लाह (संशोधन) की कोई कोशिश कार आमद (लाभ दायक) न हो, तो ऐसी स्थिति में बीवी का अपने दीन व नफ़्स की हिफ़ाज़त की ख़ातिर शौहर से तलाक़ का मुतालबा करने में कोई हरज नहीं है।

ज़िहार

पहली जाहिलियत के अलफ़ाज़ (शब्दों) में से जो इस उम्मत में आ़म तथा प्रचलित है 'ज़िहार' है। जैसेः शौहर का

अपनी बीवी से कहना कि 'तू मुझ पर मेरी माँ के पीठ की तरह है' या 'तू मुझ पर उसी तरह हराम है जिस तरह कि मेरी बहन है'। इनके अ़लावा और भी अन्य जघन्य (दीगर बुरे) अलफ़ाज़ हैं जो शरीअ़त की दृष्टिकोण (नुक़्तए नज़र) से नापसंदीदा है, क्योंकि इसमें औ़रत पर ज़ुल्म है। अल्लाह तआ़ला ने इसका वस्फ़ (गुण) बयान करते हुए फ़रमायाः

﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ﴾ [المجادلة: ٢].

''तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं (यानी उन्हें माँ कह बैठते हैं) वह वास्तव में उनकी माएं नहीं बन जातीं, उनकी माएं तो वही हैं जिनके पेट से वह पैदा हुए, निश्चय यह लोग एक अनुचित (नामाक़ूल) और झूटी बात कहते हैं, बेशक अल्लाह तआ़ला क्षमा करने वाला और माफ़ करने वाला है।'' {अल्मुजादलाः २}

शरीअ़त ने इसका मुग़ल्लज़ा (सख़्त तथा कठिन) कफ़्फ़ारा मुक़र्रर किया है, जो कि ग़लती से क़त्ल करने के कफ़्फ़ारा के मुशाबिह (सदृश) तथा रमज़ान के महीने के दिन में हम्बिस्तरी (संभोग) करने के कफ़्फ़ारा के मिस्ल है। ज़िहार करने वाला जब तक कफ़्फ़ारा न अदा कर दे तब तक उसके लिए अपनी बीवी के पास जाना जायज़ नहीं है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ۝٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٣-٤].

''और जो लोग अपनी बीवीयों से ज़िहार करें, फिर अपनी कही हुई बात वापस लें, तो उनके ज़िम्मा आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करना है, इसके ज़रीया तुम नसीहत किए जाते हो, अल्लाह तआ़ला तुम्हारे तमाम आमाल से बाख़बर (ज्ञाता) है। हाँ, जो शख़्स न पाए उसके ज़िम्मा दो महीनों के लगातार रोज़े हैं इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं, और जिस शख़्स को यह ताक़त भी न हो उस पर साठ मिसकीनों का खाना खिलाना है। यह इस लिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। यह अल्लाह तआ़ला की मुक़र्रर कर्दा हदें (निर्धारित की हुई सीमाएं) हैं, और काफ़िरों ही के लिए दर्दनाक अ़ज़ाब है।'' {अलमुजादलाः ३-४}

हैज़ (माहवारी) की हालत में हम्बिस्तरी (संभोग) करना

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِۖ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

''और वह आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए वह गंदगी है, हैज़ की हालत में औ़रतों से अलग रहो, और जब तक वह पाक न हो जाएं उनके क़रीब न जाओ।'' {अलबक़राः २२२} पाकी के बाद जब तक वह ग़ुस्ल न कर ले, उससे संभोग करना हलाल नहीं है। क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

''हाँ जब वह पवित्र हो जायें, तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें आज्ञा प्रदान की है।'' {अलबक़राः २२२}

आप ﷺ की निम्नोक्त वाणी इस नाफ़रमानी के घिनावने होने पर दलालत करती हैः

«مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

[رواه الترمذي: ١/ ٢٤٣، وهو في صحيح الجامع: ٥٩١٨].

«जो हैज़ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करे, अथवा उसकी सुरीन (मलद्वार) में सहवास करे, या किसी काहिन (ज्योतिषी) के पास जाये, तो उसने उस चीज़ का कुफ़्र किया जो मुहम्मद पर उतारा गया।» {तिर्मिज़ीः १/२४३, सहीहुल जामेअ़ः ५६१८}

जो शख़्स अनिच्छाकृत (बिला क़स्द) ग़लती से तथा अज्ञता (लाइल्मी) में हैज़ वाली औ़रत से हमबिस्तरी कर ले उस पर कोई कफ़्फ़ारा नहीं है। लेकिन जो शख़्स इच्छाकृत (अ़म्दन) तथा जानबूझ कर उससे हमबिस्तरी करे तो उस पर उ़लमा में से उन उ़लमा के क़ौल के मुताबिक़ (मतानुसार)

जिन्होंने कफ़्फ़ारा की हदीस को सहीह क़रार दिया है, एक दीनार या आधा दीनार कफ़्फ़ारा है। बाज़ उ़लमा ने कहाः उसे अख़्तियार है दोनों में से जो चाहे दे। और बाज़ उ़लमा ने कहाः अगर हैज़ की शुरूआ़त में जब ख़ून का बौछार हो हमबिस्तरी करे तो उस पर एक दीनार है। और अगर हैज़ के अंत (अख़ीर) में जब ख़ून आना कम हो जाए, या हैज़ से पाकी हासिल करने का ग़ुस्ल करने से पहले हमबिस्तरी करे तो उस पर आधा दीनार कफ़्फ़ारा है। आजकल एक दीनार बराबर ४,२५ ग्राम सोना है। या उक्त मिक़्दार सोना सदक़ा करेगा या मौजूदा क़रंसी में उसकी क़ीमत अदा करेगा।[1]

बीवी की सुरीन (मलद्वार) में सहवास करना

कमज़ोर ईमान वालों में से कुछ उल्टा चलने वाले लोग अपनी बीवी की सूरीन में सहवास करने से परहेज़ नहीं करते हैं, जबकि यह कबीरा गुनाहों में से है, और नबी ﷺ ने इसके करने वाले पर लानत फ़रमाई है। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». [رواه الإمام أحمد: ٢/ ٤٧٩، وهو في صحيح الجامع: ٥٨٦٥].

---

[1] अ़ल्लामा इब्ने बाज़ रहेमहुल्लाह ने फ़रमायाः सही यह है कि उसे एक दीनार तथा आधा दीनार के दरमियान अख़्तियार है, चाहे हमबिस्तरी हैज़ के शुरू में हुई हो या अख़ीर में। और एक दीनार बराबर चार बटा सात सऊ़दी पाउंड है, और उसका आधा दो बटा सात सऊ़दी पाउंड है, क्योंकि सऊ़दी पाउंड पौने दो दीनार का होता है।

«जो शख़्स अपनी बीवी की सूरीन में सहवास करे वह मल्ऊ़न (अभिशप्त) है।» {मुस्नद अह्मदः २/४७६, सहीहुल जामेअ़ः ५८६५} बल्कि नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

[رواه الترمذي: ١/ ٢٤٣، وهو في صحيح الجامع: ٥٩١٨].

«जो हैज़ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करे, अथवा उसकी सुरीन (मलद्वार) में सहवास करे, या किसी काहिन (ज्योतिषी) के पास जाये, तो उसने उस चीज़ का कुफ़्र किया जो मुहम्मद पर उतारा गया।» {तिर्मिज़ीः १/२४३, सहीहुल जामेअ़ः ५६१८}

बहुत सी सुशीला (सलीमुल फ़ितरत) बीवी इससे इनकार करती हैं, मगर बाज़ शौहर उन्हें तलाक़ की धमकी देते हैं अगर वह उनकी बात न मानें। और बाज़ शौहर कभी कभी अपनी बीवी को -जो इस बारे में उ़लमा से सवाल करने से शरमाती है- यह कहकर धोका तथा भ्रम (वह्म) में डाल देते हैं कि यह अ़मल जायज़ है। और बसा औक़ात (कभी कभी) अपनी बात की ताईद व समर्थन में अल्लाह तआ़ला का यह फ़रमान पेश करते हैं:

﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

''तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ।'' {अल्बक़राः २२३} हालाँकि यह बात मालूम है कि सुन्नत (हदीस) क़ुरआन की शरह तथा व्याख्या करती है। इसकी शरह करते हुए नबी ﷺ ने फ़रमाया कि शौहर जैसे

चाहे अपनी बीवी से मिले, शर्त यह है कि वह बच्चा पैदा होने की जगह में हो। और यह किसी से मख़फ़ी (गोपन) नहीं कि सुरीन तथा पाख़ाना का रास्ता बच्चा पैदा होने की जगह नहीं है। इस जुर्म के अस्बाब में से हराम अनोखी महारत के साथ -जो गंदी जाहिलियत सभ्यता (तहज़ीब) की देन है-, या फ़ुहश फ़िल्मों की तस्वीरों से भरा ज़ेहन व दिमाग़ के साथ तौबा किए बिना पाक साफ़ इज़दिवाजी (वैवाहिक) ज़िंदगी में प्रवेश करना है। और यह बात मालूम है कि यह काम हराम है, गरचे दोनों सहमत (राज़ी) हूँ, क्योंकि हराम पर उभय पक्ष की सम्मति (तरफ़ैन की रिज़ामंदी) उसे हलाल नहीं कर सकती।

बीवियों के दरमियान इंसाफ़ (न्याय) न करना

अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब क़ुरआन में जिन चीज़ों की वसीयत की है, उनमें से एक बीवियों के दरमियान अ़दल् व इंसाफ़ करना है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾ [النساء: ١٢٩].

‘‘तुमसे यह तो कभी न हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में हर तरह अ़दल् व इंसाफ़ करो, गो तुम इसकी कितनी ही ख़ाहिश व कोशिश कर लो। इस लिए बिल्कुल ही एक की तरफ़ झुक कर दूसरी को अधड़ लटकती हुई न छोड़ो। और अगर तुम सुधार कर लो तथा परहेज़गारी अख़्तियार करो तो बेशक

अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाला और दया करने वाला है।'' {अन्निसाः १२६}

अ़दल् व इंसाफ़ करने का मतलब यह है कि शौहर अपनी बीवियों के दरमियान रात गुज़ारने, खिलाने-पिलाने और पहनाने में हर एक का हक़ अदा करने में इंसाफ़ करे। दिली मुहब्बत में अ़दल् व इंसाफ़ करना मुराद नहीं है। क्योंकि दिल बंदे के बस में नहीं है। और बाज़ लोग जिनकी एकाधिक बीवियाँ हैं किसी एक की तरफ़ झुक जाते हैं और दूसरी बीवियों का ख़्याल नहीं रखतें हैं। एक ही के पास ज़्यादा रात गुज़ारते हैं, या एक ही पर ख़र्च करते हैं और दूसरी को छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा करना हराम है। और ऐसा शख़्स क़ियामत के दिन उस अवस्था में आयेगा जिसका ज़िक्र (उल्लेख) हदीस में यूँ आया है। अबू हुरैरा ﷺ से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहाः नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ».

[رواه أبو داود: ٢/ ٦٠١، وهو في صحيح الجامع: ٦٤٩١].

‹‹जिसकी दो बीवियाँ हूँ, और वह उन दोनों में से किसी एक की तरफ़ मायल हो, तो वह क़ियामत के दिन इस हाल में आयेगा कि उसका एक हिस्सा झुका हुआ होगा।›› {अबू दाऊदः २/६०१, सहीहुल जामेअ़ः ६४६१}

परनारी के साथ निर्जनता (अजनबी औ़रत के साथ तनहाई में रहना)

शैतान लोगों को फ़ित्ना में डालने और हराम में पतित

करने पर बड़ा हरीस (तत्पर तथा लालची) है। इसी लिए अल्लाह तआ़ला ने हमें सतर्क (तम्बीह) करते हुए फ़रमायाः

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ وَمَن يَتَّبِعۡ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ﴾ [النور: ٢١].

''ऐ ईमान वालो! शैतान की इत्तिबाअ़ (अनुसरण) न करो, जो शैतान की पदांक अनुसरण करेगा (क़दम बक़दम चलेगा), तो वह तो बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म करेगा।'' {अन्नूरः २१}

शैतान आदम संतान के रग व रेशे में दौड़ता है। और बुरे कामों में पतित (वाक़ेअ़) करने वाले शैतान के रास्तों में से एक अजनबी औ़रत के साथ तनहाई में रहना है। इसी लिए शरीअ़त ने इस रास्ता को बंद कर दिया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ». [رواه الترمذي: ٣/ ٤٧٤، انظر مشكاة المصابيح: ٣١١٨].

«कोई आदमी किसी औ़रत के साथ तनहाई में नहीं होता मगर उन दोनों का तीसरा शैतान होता है।» {तिरमिज़ीः ३/४७४, देखें मिश्कातुल मसाबीहः ३११८} और इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहाः नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ». [رواه مسلم: ٤/ ١٧١١].

«आज के बाद कोई मर्द किसी औ़रत के पास उसके शौहर की

अनुपस्थिति (ग़ैर मौजूदगी) में न जाए, मगर यह कि उसके साथ एक या दो आदमी हो।» {मुस्लिमः ४/१७११}

अतः किसी मर्द के लिए किसी अजनबी औ़रत के साथ घर में, या कमरे में या गाड़ी में तनहाई में रहना जायज़ नहीं है, जैसे भाई की बीवी के साथ अथवा नौकरानी के साथ, या किसी बीमार ख़ातून का डाक्टर के साथ रहना इत्यादि।

बहुत से लोग इस मामले में अपने पर या दूसरों पर भरोसा करते हुए सुस्ती से काम लेते हैं, जिसके कारण बुराई में या उसके भूमिका में वाक़ेअ् (पतित) होने का सानिहा (हादिसा) सामने आता है, और नस्ल के इख़्तिलात (वंश के संमिश्रण) तथा हराम बच्चों के जनम लेने के दुःखजनक (अफ़सोसनाक) घटनाएं कसरत से (अधिकाधिक) रूनुमा (प्रकट) होते हैं।

अजनबी औ़रत से मुसाफ़हा करना

यह उन विषयों में से है जिसमें बाज़ समाज का सामाजिक प्रथा (मुआ़शरती निज़ाम) अल्लाह की शरीअ़त पर बग़ावत किया है, और लोगों के बातिल चाल-चलन तथा रस्मो रिवाज अल्लाह के विधान (हुक्म) पर हावी (ग़ालिब) हो गए हैं। यहाँ तक कि अगर आप उनमें से किसी को शरीअ़त का हुक्म याद दिलाते हुए हुज्जत क़ायम करें और दलील पेश करें, तो वह आपको प्राचीनपंथी (पुराने ज़माने का), कट्टरपंथी, संपर्क विच्छेदकारी (नाता-रिश्ता तोड़ने वाला) तथा नेक नियत में संदेह करने वाला कहकर आरोप (इलज़ाम) लगाता है। हमारे समाज

में चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, ख़लेरी बहन, भाभी, चाची तथा मामी से मुसाफ़हा करना पानी पीने से भी ज़्यादा आसान हो गया है। अगर शरई नुक़्तए नज़र (दृष्टिकोण) से इस मामले की भयावहता (ख़तरनाकी) पर ग़ौर करते, तो ऐसा करने की हिम्मत न करते। मुस्तफ़ा ﷺ ने फ़रमायाः

«لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ». [رواه الطبراني: ٢٠/ ٢١٢، وهو في صحيح الجامع: ٤٩٢١].

«तुम में से किसी के सर में लोहे की सूई चुभोया जाना इस बात से बेहतर है कि वह किसी ऐसी औरत को छूए जो उसके लिए हलाल नहीं है।» {तबरानीः २०/२१२, सहीहुल जामेअ़ः ४६२१}

और इसमें कोई शक नहीं कि यह हाथ का ज़िना है, जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يَزْنِي». [رواه الإمام أحمد: ١/ ٤١٢، وهو في صحيح الجامع: ٤١٢٦].

«दोनों आँखें ज़िना करती हैं, दोनों हाथ ज़िना करते हैं, और दोनों पैर ज़िना करते हैं तथा शर्मगाह ज़िना करती है।» {मुस्नद अहमदः १/४१२, सहीहुल जामेअ़ः ४१२६} क्या नबी ﷺ से भी ज़्यादा पाक किसी का दिल है? इसके बावजूद आप ﷺ ने फ़रमायाः

«إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ». [رواه الإمام أحمد: ٦/ ٣٥٧، وهو في صحيح الجامع: ٢٥٠٩].

«बेशक मैं औरतों से मुसाफ़हा नहीं करता।» {मुस्नद अहमदः ६/३५७, सहीहुल जामेअ़ः २५०६} और आप ﷺ ने यह भी फ़रमायाः

«إِنِّي لَا أَمَسُّ أَيْدِي النِّسَاءِ». [رواه الطبراني في الكبير: ٢٤/ ٣٤٢، وهو في صحيح الجامع: ٧٠٥٤، وانظر الإصابة: ٤/ ٣٥٤. ط. دار الكتاب العربي].

«बेशक मैं औ़रतों के हाथों को नहीं छूता।» {तबरानी कबीरः २४/३४२, सहीहुल जामेअ़ः ७०५४, और देखें अलइसाबाः ४/३५४} इसी तरह आ़इशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने फ़रमायाः

«وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ». [رواه مسلم: ٣/ ١٤٨٩].

«नहीं, अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह ﷺ के हाथ ने कभी भी किसी औ़रत के हाथ को स्पर्श नहीं किया। हाँ आप उनसे ज़ुबान से बैअ़त (शपथ) लेते थे।» {मुस्लिमः ३/१४८६}

सावधान! उन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए जो अपनी नेक बीवियों को तलाक़ की धमकी देते हैं, अगर वह उनके भाईयों से मुसाफ़हा न करें। और यह भी जान लेना चाहिए कि हाथ पर कपड़े आदि रखकर उसके ऊपर से मुसाफ़हा किया जाये या बिना आवरक (पर्दा) के मुसाफ़हा किया जाये, दोनों हालत में वह हराम है।

घर से निकलते समय औ़रत का ख़ुशबू लगाना तथा सुगंधी लगाकर मर्दों के पास से गुज़रना

यह भी उन चीज़ों में से एक है जो मौजूदा दौर में आ़म तथा मुंतशिर है। हालाँकि नबी ﷺ से इस सिलसिले में

सख़्त धमकी आई है। आप ﷺ ने फ़रमायाः

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ». [رواه الإمام أحمد: ٤/ ٤١٨، انظر صحيح الجامع: ١٠٥].

«जो कोई औ़रत ख़ुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुज़रे ताकि वे उसकी ख़ुशबू (सुवास) पायें, तो वह ज़ानिया (व्यभिचारीणी) है।» {मुस्नद अहमदः ४/४१८, देखें सहीहुल जामेअ़ः १०५}

बाज़ औ़रतों की ग़फ़लत (अचेतना) अथवा इस विषय को तुच्छज्ञान करने (हल्का समझने) ने ड्राईवर, विक्रेता तथा स्कूल के गेटमैनों के पास इसे आसान बना दिया है। हालाँकि शरीअ़त ने ख़ुशबू लगाकर घर से निकलने का इरादा करने वाली औ़रत को जनाबत (अपत्रिता) के ग़ुस्ल की तरह ग़ुस्ल करने का सख़्ती से हुक्म दिया है, गरचे मस्जिद ही जाने का इरादा करे। नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْـمَسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ». [رواه الإمام أحمد: ٢/ ٤٤٤، وانظر صحيح الجامع: ٢٧٠٣].

«जो कोई औ़रत ख़ुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ़ निकले, ताकि उसकी ख़ुशबू (सुवास) पाई जाये, तो उसकी नमाज़ उस वक़्त तक क़बूल नहीं होगी जब तक कि वह जनाबत से ग़ुस्ल करने की तरह ग़ुस्ल न कर ले।» {मुस्नद अह़मदः २/४४४, और देखें सहीहुल जामेअ़ः २७०३}

शादी ब्याह और औ़रतों की महफ़िलों तथा उत्सव

अनुष्ठानों में निकलने से पहले धूप-धूनी और चंदन की लकड़ी का जो इस्तेमाल होता है; और मार्किटों में, कारों, बसों, ट्रेनों तथा फ़्लाइटों आदि में, मर्द व औ़रत के संमिश्रण स्थलों (मिलने की जगहों) में, यहाँ तक कि रमज़ान की रातों में मस्जिदों के अंदर जो महक फैलाने वाली ख़ुशबूओं का व्यवहार होता है, उनके बारे में मत पूछिए, इसका शिकवा (अभियोग) अल्लाह ही से है। हालाँकि शरीअ़त ने बताया कि औ़रतों की ख़ुशबू वह है जिसका रंग ज़ाहिर हो लेकिन उसकी महक दबी रहे।

हम अल्लाह तआ़ला से सवाल (कामना) करते हैं कि वह हम पर नाराज़ (असंतुष्ट) न हो। और निर्बोध (नासमझ) मर्द व औ़रतों के कर्मों के कारण नेक मर्द व औ़रतों का मुआख़ज़ा (पकड़ाव) न करे। और सबको सीधी तथा सच्ची राह दिखाए।

औ़रत का महरम (शौहर और वह क़रीबी रिश्तेदार जिनके साथ हमेशा के लिए विवाह हराम हो जैसे बाप, भाई, चचा वग़ैरा) के बिना सफ़र करना

बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«لَا تُسَافِرِ الْـمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». [رواه البخاري: ١٨٦٢].

«औ़रत महरम के बग़ैर सफ़र न करे।» {बुख़ारीः १८६२} और

यह सारे सफ़रों को आ़म तथा शामिल है, यहाँ तक कि हज्ज के सफ़र को भी। बग़ैर महरम के सफ़र करने से फ़ासिक़ों (पापाचारों) को उसके साथ छेड़छाड़ करने पर उभारता और उकसाता है। और चूँकि वह बेचारी कमज़ोर है, इस लिए वह अपने आपको उनकी ख़ाहिशात हवाले कर भी सकती है। अथवा कम से कम इतना हो सकता है कि वह अपनी इ़ज़्ज़त व आबरू या मान मर्यादा में सताई जाए। इसी तरह उसका जहाज़ में सवार होने का मसला भी ऐसा ही है, अगरचे कोई महरम उसको बिठाकर आए और दूसरा इस्तिक़बाल (रीसीव) करे, लेकिन बताएं तो सही कि वह कौन होगा जो उसके बग़ल में बाजू की सीट पर बैठेगा? और अगर कोई अघटन घटने के कारण फ़्लाइट किसी दूसरे एयरपोर्ट में लैंड करे (उतर जाए), या लेट करने के कारण राइट टाइम में न पहुँच सके, तो क्या अवस्था होगा? और ऐसे वाक़िआ़त आये दिन होते रहते हैं।

महरम में चार शर्तें पाई जानी चाहिए। और वह यह हैं: यह कि वह मुसलमान हो, बालिग़ (वयस्क) हो, आ़क़िल (समझदार) हो और पुरुष हो। जैसाकि नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«... أَبُوهَا أَوِابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا». [رواه مسلم: ٢/ ٩٧٧].

«--- या उसका बाप, या उसका बेटा, या उसका शौहर, या उसका भाई होगा, या वह पुरुष होगा जिसके साथ उसकी शादी हमेशा के लिए हराम हो।» {मुस्लिमः २/९७७}

आ़म्दन (जान बूझकर) अजनबी औ़रत की ओर देखना

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠].

''मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें, और अपने शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें। यही उनके लिए पाकीज़गी (पवित्रता) है, लोग जो कुछ करें अल्लाह तआ़ला सबसे बाख़बर (अवगत) है।'' {अन्नूरः ३०} और नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١١/٢٦].

«आँख का ज़िना देखना है।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः ११/२६} यानी उन चीज़ों की ओर देखना जिन्हें अल्लाह ने हराम किया है। अलबत्ता शरई ज़रूरत के तहत देखना जायज़ है, जैसे शादी का पैग़ाम देने वाले का अपनी मँगेतर को और डाक्टर का बीमार औ़रत को देखना।

इसी तरह औ़रत का अजनबी मर्द को फ़ित्ना की निगाह से देखना भी हराम है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣١].

''और ईमानदार औ़रतों से कह दीजिए कि वह भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें।'' {अन्नूरः ३१} अनुरूप किशोर (कम सिन) और ख़ूबसूरत बच्चों को शहवत की निगाह (काम दृष्टि) से देखना भी हराम है। और मर्दों का मर्दों की शर्मगाह की ओर देखना तथा औ़रतों का औ़रतों की शर्मगाह की ओर देखना हराम है। और जिस

शर्मगाह की ओर देखना हराम है, उसका छूना भी हराम है, अगरचे आवरण (पर्दा) के ऊपर से हो।

शैतान ने बाज़ लोगों को धोका में डाल रखा है कि वह मजल्लों (पत्र-पत्रिकाओं) तथा फ़िल्मों में तस्वीरें देखते हैं, और यह कहकर हुज्जत व दलील पेश करते हैं कि यह तस्वीरें हैं, हक़ीक़त (वास्तव) तो नहीं। हालाँकि इसमें फ़साद तथा कामोत्तेजना (शहवत अंगेज़ी) का जो पहलू है, वह बिल्कुल वाज़ेह तथा स्पष्ट है।

बेग़ैरती

इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ». [رواه الإمام أحمد: ٢/ ٦٩، وهو في صحيح الجامع: ٣٠٤٧].

‹‹तीन क़िस्म के लोगों पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दिया हैः मुसलसल शराब पीने वाला, वालिदैन का नाफ़रमान, और ऐसा बेग़ैरत जो अपने परिवार में ख़बासत (बुराई) देखकर ख़ामोश रहता है।›› {मुस्नद अहमदः २/६६, सहीहुल जामेअ़ः ३०४७}

मौजूदा दौर में बेग़ैरती की चंद सूरतेंः घर में बेटी या बीवी को अजनबी आदमी से टेलीफ़ोन पर बातचीत करते हुए देखकर ख़ामोश रहना। अपने घर की किसी औ़रत को किसी अजनबी मर्द के साथ तनहाई में देखते हुए भी कुछ न कहना। इसी तरह घर वालों में से किसी औ़रत को किसी अजनबी मर्द

जैसे ड्राईवर वग़ैरा के साथ गाड़ी में अकेली जाने देना। शरई पर्दा के बग़ैर उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त देना कि वह जाने आने वालों के नज़्ज़ारा (दर्शन) के शिकार बनें। अनुरूप फ़ित्ना-फ़साद तथा बेहयाई व उ़रयानियत (नग्नता) फैलाने वाले मजल्ले (पत्र-पत्रिकाएं) और फ़िल्में घर में लाना।

बच्चे का अपने आपको अपने बाप के अ़लावा की ओर मंसूब करने में झूट का सहारा लेना तथा आदमी का अपने बच्चा का इनकार करना

शरीअ़त में किसी मुसलमान का अपने आपको अपने बाप के अ़लावा की ओर मंसुब करना तथा अपने आपको उस जाति (क़ौम) के साथ संयोजन करना (मिलाना) जिस में से वह नहीं है जायज़ नहीं है। बाज़ लोग माली फ़ायदे की ख़ातिर यह काम करते हैं, और सरकारी काग़ज़ात (पेपरों) में झूटा नसब साबित करते हैं। और बाज़ लोग ऐसा करते हैं अपने बाप से नफ़रत करते हुए जिसने उसे उसके बचपन में छोड़ दिया था। हालाँकि यह सब कुछ हराम है। इसके कारण विभिन्न विषय (मुख़्तलिफ़ उमूर) में बड़ी बड़ी समस्यायें दिखाई देती हैं, जैसे महरम, निकाह तथा मीरास आदि के मसाएल। सहीह बुख़ारी में सअ़द और अबू बकरा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मरवी (वर्णित) हदीस में आया है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٨/ ٤٥].

«जो शख़्स जानते हुए दूसरे के बाप होने का दावा करे उस पर जन्नत हराम है।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः ८/४५}

हर वह विषय जिसमें नसब तथा वंश के साथ खेला जाए, अथवा उसमें झूट का सहारा लिया जाए हराम है। बाज़ शौहर अपनी बीवी से झगड़ते हुए बिना किसी दलील व प्रमाण के उस पर ज़िना की तुहमत देते हैं, और अपने बच्चे के बारे में कहते हैं कि वह मेरा बच्चा नहीं है, हालाँकि वह उसी के बिस्तर पर जनम लिया है। और बाज़ औरतें अमानत की ख़ियानत करते हुए ज़िना से हामिल (गर्भवती) होती हैं, और (बच्चा जनकर) अपने शौहर के नसब में शामिल (दाख़िल) करा देती हैं जो हक़ीक़त में उससे नहीं है। इस बारे में हदीस में सख़्त सज़ा की बात आई है। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि जब लिआ़न की आयत नाज़िल हुई तब उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना किः

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ». [رواه أبو داود: ٢/ ٦٩٥، انظر مشكاة المصابيح: ٣٣١٦].

«जो कोई औरत किसी क़ौम (वंश) में (बच्चे को) दाख़िल (शामिल) करा दे जो उस में से नहीं है, तो वह अल्लाह की रहमत से कुछ भी नहीं पाएगी, तथा अल्लाह उसे अपनी जन्नत में हरगिज़ दाख़िल नहीं करेगा। और जो व्यक्ति अपने बच्चे का

इंकार करे हालाँकि वह उसकी तरफ़ ताकता है, तो अल्लाह तआ़ला उससे आड़ कर लेगा, तथा उसे अगलों पिछलों के सामने रुस्वा (लांछित) करेगा।» {अबू दाऊदः २/६६५, देखें मिश्कातुल मसाबीहः ३३१६}

सूदख़ोरी

अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब में सूदख़ोरों के अ़लावा किसी और के साथ युद्ध घोषणा (जंग का एलान) नहीं किया है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩]

''ऐ ईमानवालो! अल्लाह से डरो और जो सूद बाक़ी रह गया है उसे छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमानवाले हो। अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।'' {अलबक़राः २७८, २७९} अल्लाह के पास इस जुर्म के निन्दनीय तथा जघन्य (क़बीह) होने के लिए उक्त धमकी ही काफ़ी है।

अ़वाम तथा मुल्क पर ग़ौर करने वाला यह प्रत्यक्ष करेगा (देखेगा) कि सूदी कारोबार ने उन्हें किस तरह हलाक व बरबाद किया है। ग़ुर्बत व इफ़्लास (दरिद्रता व निर्धनता) का पाया जाना, तिजारत का मंदा तथा ठप पड़ जाना, क़र्ज़ अदा करने से आ़जिज़ (असमर्थ) होना, आर्थिक (इक़्तिसादी) पतन, बेरोज़गारी की अधिकता, बहुत सी कम्पनियों तथा संस्थाओं का दिवालिया होना, रोज़ाना की सख़्त मेहनत की कमाई तथा

पसीना बहा कर अर्जित राशि लामुतनाही (अपार) सूद की अदाएगी की ख़ातिर सूदख़ोर को देना, समाज में तबक़ा बन्दी (वर्गीकरण) का वजूद में आना, जिसके नतीजा में अढेल संपद समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में सीमावद्ध (महदूद) होकर रह जाता है। इन सबका कारण अभिशप्त (मलऊ़न) सूद है। और शायद उल्लिखित सूरतें ही जंग के कुछ कारण हैं जिसकी अल्लाह तआ़ला ने सूदी कारोबारियों को धमकी दी है।

सूदी मामला में शरीक हर व्यक्ति चाहे लेने वाला हो या देने वाला, और चाहे एजेंट हो या सहायक व सहयोगी, सबके सब मुहम्मद ﷺ की ज़ुबानी अभिशप्त हैं।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ» وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». [رواه مسلم: ٣/١٢١٩]

जाबिर ﷺ से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहाः «अल्लाह के रसूल ﷺ ने सूद खाने वाले, उसके खिलाने वाले, उसके लिखने वाले तथा उसके दोनों गवाहों पर लानत की है।» और आपने फ़रमायाः «वह सब बराबर हैं।» {मुस्लिमः ३/१२१६} अतः सूद के बारे में लिखने, उसके फिक्स (निर्धारण) करने, खाता-पत्र नियंत्रण करने, उसके लेने तथा देने, उसके डिपोज़िट (जमा) करने तथा उसकी गार्डिंग (निगरानी) करने की नोकरी करना हराम (नाजायज़) है। सारांश (ख़ुलासा) यह है कि उसमें हिस्सा लेना तथा हाथ बटाना किसी भी रूप में हो हराम है।

नबी ﷺ ने इस महा पाप की निकृष्टता (क़बाहत) बयान करते हुए अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ से मरवी (वर्णित) हदीस में फ़रमायाः

«الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْـمُسْلِمِ». [رواه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٧، وهو في صحيح الجامع: ٣٥٣٣]

«सूद के तिहत्तर दरवाज़े हैं, उनमें सबसे कमतर आदमी का अपनी माँ से शादी करने की तरह है, और सबसे बड़ा मुस्लिम आदमी की इ़ज़्ज़त व आबरू (पर हमला करना) है।» {मुस्तदरक हाकिमः २/३७, सहीहुल जामेअ़ः ३५३३} इसी तरह अ़ब्दुल्लाह बिन हन्ज़ला रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मरवी हदीस में फ़रमायाः

«دِرهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً». [رواه الإمام أحمد: ٥/ ٢٢٥، انظر صحيح الجامع: ٣٣٧٥]

«आदमी का जान बूझ कर सूद का एक दिरहम खाना छत्तीस मरतबा ज़िना करने से भी सख़्त (गुनाह) है।» {मुस्नद अह्मदः ५/२२५, सहीहुल जामेअ़ः ३३७५}

सूद की हुर्मत (निषिद्धि) आ़म है, मालदार और ग़रीब के लिए ख़ास नहीं है, जैसाकि बाज़ लोग ख़्याल करते हैं, बल्कि उसकी हुर्मत हर हाल में और हर शख़्स के लिए है। (यानी चाहे मालदार और मालदार के दरमियान हो या मालदार और ग़रीब के दरमियान हो।) प्रत्यक्ष (वाक़ेअ़) इस बात का गवाह है कि कितने मालदार और बड़े बड़े व्यवसायी (ताजिर) इसके कारण मुफ़लिसी के शिकार हुए। सूद की न्यूनतम क्षति

(कम से कम नुक़सान) यह है कि वह माल की बर्कत को ख़त्म कर देता है, गरचे माल देखने में ज़्यादा लगे। नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ». [رواه الحاكم: ٢/ ٣٧، وهو في صحيح الجامع: ٣٥٤٢]

«सूद गरचे (देखने में) ज़्यादा लगे, लेकिन उसका नतीजा (परिणाम) माल का घटाव है।» {हाकिमः २/३७, सहीहुल जामेअ्ः ३५४२} इसी तरह सूद चाहे उसकी मिक़दार (परिमाण) हाई हो या लो, ज़्यादा हो या कम, सबके सब हराम है। सूदख़ोर क़ियामत के दिन क़ब्र से उठाया जाएगा इस हाल में कि वह खड़ा होगा जैसे कि वह खड़ा होता है जिसे शैतान लग कर पागल बना देता है।

यह जुर्म निन्दनीय तो है लेकिन अल्लाह तआ़ला ने सूदख़ोरों को इससे तौबा करने का हुक्म दिया तथा उसकी कैफ़ियत का बयान करते हुए फ़रमायाः

﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٩]

''और अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा अस्ल माल (मूलधन) तुम्हारा ही है, न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए।'' {अल्बक़राः २७९} और यह सरापा इंसाफ़ है।

ज़रूरी है कि मुमिन का दिल इस महा पाप से घृणा तथा नफ़रत करे और इसकी निकृष्टता का अनुभव (क़बाहत

का इहसास) करे, यहाँ तक कि वह लोग जो पैसों के नष्ट हो जाने या चोरी हो जाने के डर से मजबूरन (बाध्य होकर) सूदी बैंकों में रखते हैं, उन्हें यह शुऊ़र तथा इहसास होना चाहिए कि वह उसमें बाध्य होकर ही उसे रखते हैं, और यह कि वह उस शख़्स के मानिंद है जो मुर्दार खाता है या उससे भी बुरा। अतः वह अल्लाह तआ़ला से इस्तिग़फ़ार (माफ़ी तलब) करें और जहाँ तक मुमकिन हो इसका बदील (विकल्प) तलाश करते रहें। उनके लिए बैंकों से सूद का मुतालबा (अभियाचन) करना जायज़ नहीं है, बल्कि अगर उनके एकाउंट में सूद के पैसे रख दिये जाएं तो उनसे जान छुड़ाने के लिए किसी भी जायज़ रास्ते में ख़र्च कर दें, सदक़ा की नियत से नहीं, क्योंकि अल्लाह तआ़ला पाक-पवित्र है, वह पाक-पवित्र ही को क़बूल फ़रमाता है। और उनके लिए जायज़ नहीं है कि वह उससे किसी भी तरह फ़ायदा उठायें, न खाने में, न पीने में, न पहनने में, न सवारी में, न रिहाइश में, न बीवी बच्चों या वालिदैन में ख़र्च करने में, न ज़कात निकालने में, न टैक्स अदा करने में और न अपने से ज़ुल्म को दूर करने में। बल्कि अल्लाह तआ़ला की पकड़ के डर से किसी दूसरे रास्ते में ख़र्च करके अपनी जान छुड़ाएगा।

सामान (सामग्री) का ऐब छिपाना और बेचते समय उसे न बताना

مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا». [رواه مسلم: ١/ ٩٩]

अल्लाह के रसूल ने ﷺ खाने के एक ढेर के पास से गुज़रते हुए उसमें अपना हाथ दाख़िल किया, तो आपकी उँगलियों ने उसे भीगा हुआ पाया, तो आपने फ़रमायाः «ऐ ग़ल्ला के मालिक! यह क्या है?» उसने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उसे बारिश पहुँच गई थी। तो आप ﷺ ने फ़रमायाः «तुमने उसे ऊपर क्यों नहीं कर दिया ताकि लोग देख लें, जो धोका दे वह हम में से नहीं है।» {मुस्लिमः १/६६}

आज कल बहुत सारे विक्रेता (बिक्री करने वाले) जो अल्लाह से नहीं डरते हैं सामान पर स्टीकर लगा देते हैं, या उसे कार्टून के बिल्कुल नीचे रख देते हैं, या केमिकल आदि इस्तेमाल करते हैं जिससे सामान अच्छी शक्ल में दिखता है अथवा शुरू में इंजन में मौजूद ऐब की आवाज़ ज़ाहिर नहीं होती है, लेकिन जब कस्टमर उसे ले आते हैं तो बहुत जल्द ही ख़राब हो जाता है। और बाज़ विक्रेता सामान की मुद्दत ख़त्म होने की तारीख़ (एक्सपायर डेट) चेंज कर देते हैं, या कस्टमर को उसके देखने, चेक करने या टेस्ट करने से रोकते हैं। और बहुत सारे लोग जो गाड़ियाँ तथा आलात (मशीनरी चीज़ें) बेचते हैं उनके ऐबों को नहीं बताते हैं, हालाँकि इस तरह से बेचना हराम है। नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا

بَيِّنَهُ لَهُ». [رواه ابن ماجة: ٢/ ٧٥٤، وهو في صحيح الجامع: ٦٧٠٥]

«मुसलमान मुसलमान का भाई है, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वह सामान में मौजूद ऐब के बताने से पहले अपने किसी भाई से उसे बेचे।» {इब्नु माजाः २/७५४, सहीहुल जामेअ्ः ४७०५} और कुछ लोग यह गुमान करते हैं कि प्रकाश्य निलाम में सिर्फ़ इतना कह देने से उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि -- मैं लोहे का ढेर बेच रहा हूँ -- लोहे का ढेर। इस प्रकार की बिक्री से बरकत उठा ली जाती है, जैसाकि नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». [رواه البخاري، انظر الفتح: ٤/ ٣٢٨]

«क्रेता व विक्रेता दोनों को अपना ख़रीद व फ़रोख़्त (क्रय विक्रय) उस समय तक फ़स्ख़ (बातिल) करने का अधिकार प्राप्त (हक़ हासिल) है जब तक वह एक दूसरे से जुदा न हो जायें। अगर उन दोनों ने सच कहा और बयान कर दिया तो उनके लिए उनके ख़रीद व फ़रोख़्त में बरकत दी जाती है। और अगर झूट बोलें तथा छिपायें तो उनके ख़रीद व फ़रोख़्त की बरकत मिटा दी जाती है।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः ४/३२८}

दलाली करना

दलाल वह व्यक्ति है जिसे ख़रीदने की इच्छा नहीं होती, पर दूसरों को धोका देने के लिए सामान का दाम बढ़ा

चढ़ा कर बोलता है, ताकि हक़ीक़त में ख़रीदने वाले को अधिक मूल्य की ओर ख़ींच ले आए। नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«لَا تَنَاجَشُوا». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١٠/ ٤٨٤]

«तुम लोग दलाली न करो।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १०/४८४} और इसमें कोई शक नहीं कि यह भी एक क़िस्म का धोका है। नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमायाः

«الْـمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ». [انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١٠٥٧]

«प्रतारक (मक्कार) और धोकेबाज़ का ठिकाना जहन्नम है।» {सिलसिलतुल अहादीसुस्सहीहाः १०५७}

हराज (पब्लिक सेल), निलाम घर तथा गाड़ियों के मार्किट में काम करने वाले बहुत सारे दलालों की कमाई ख़बीस तथा हराम होती है, क्योंकि वह वहाँ कई हराम काम का इर्तिकाब करते हैं, जैसे उनका आपस में मूल्य ज़्यादा करने पर इत्तिफ़ाक़ कर लेना, कस्टमर को ख़रीदने पर आकृष्ट (मुग्ध) करना या बेचने के लिए आने वालों के सामान का दाम घटा कर उन्हें धोका देना। बर ख़िलाफ़ (पक्षांतर) इसके अगर सामान उनका या उनमें से किसी का होता है तो मामला इसका बर अ़क्स (विपरीत) होता है यानी वह ग्राहकों के सफ़ों में ठहर कर निलाम में उसकी क़ीमत ख़ूब बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। इस तरह वह अल्लाह के बंदों को धोका देकर नुक़्सान पहूँचाते हैं।

जुमुआ़ की दूसरी अज़ान के बाद ख़रीद व फ़रोख़्त (क्रय-विक्रय) करना

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]

''ऐ वह लोगो जो ईमान लाये हो! जुमुआ़ के दिन जब नमाज़ की अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ पड़ो और ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो।'' {अलजुमुआ़ः ९}

कुछ लोग दूसरी अज़ान के बाद भी अपनी दूकानों में या मस्जिदों के सामने बेचने में लगे रहते हैं, और उनके साथ गुनाह में वह लोग भी शरीक होते हैं जो उनसे ख़रीदते हैं, चाहे मिस्वाक ही क्यों न हो। राजेह क़ौल के मुताबिक़ (प्राबल्य उक्ति अनुसार) यह ख़रीद व फ़रोख़्त बातिल है।

और कुछ होटल, बैकरी तथा फैक्टरी वाले अपने कारकुनों (कर्मचारीयों) को जुमुआ़ की नमाज़ के समय भी काम करने पर मजबूर (वाध्य) करते हैं। बज़ाहिर (देखने में) उनका फ़ायदा ज़्यादा तो होता है लेकिन हक़ीक़त में वह घाटे ही से दोचार होते हैं। अलबत्ता कर्मचारी को चाहिए कि वह नबी ﷺ के इस फ़रमानः

«لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ». [رواه الإمام أحمد: ١/ ١٢٩، وقال أحمد شاكر:

إسناده صحيح، رقم: ١٠٦٥، أصل الحديث في الصحيحين (ز)]

«अल्लाह की नाफ़रमानी में किसी इंसान की फ़रमाबरदारी नहीं की जाएगी।» {मुस्नद अह्मदः १/१२६, अह्मद शाकिर ने कहाः इसकी सनद-सूत्र सहीह है, हदीस नम्बरः १०६५, अ़ल्लामा इब्ने बाज़ ने फ़रमायाः हदीस का अस्ल बुख़ारी व मुस्लिम में है} के अनुसार काम करे।

जुआ

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]

''ऐ ईमान वालो! बात यही है कि शराब तथा जुआ और थान (मूर्तियों के स्थान) तथा फ़ाल निकालने के पाँसे के तीर यह सब गंदी बातें, शैतानी काम हैं, इनसे बिल्कुल अलग रहो, ताकि तुम फ़लाह याब (सफल) हो जाओ।'' {अल्माइदाः ६०}

दौरे जाहिलियत (इस्लाम की स्थापना के पहले के काल) में लोग जुआ खेला करते थे। उनके नज़दीक इसकी मशहूर शक्लों में एक यह थी कि दस लोग बराबर शरीक होकर एक ऊँट ख़रीदते, फिर क़ुरआ़ अंदाज़ी (लॉटरी) करते, उनमें से सात लोगों को उनके उर्फ़ के अनुसार नियुक्त मुख़्तलिफ़ (तैनात किया हुआ भिन्न भिन्न) हिस्सा मिलता था, और बाक़ी तीन लोग कुछ नहीं पाते थे।

दौरे हाज़िर (वर्तमान काल) में जुआ की बहुत सारी शक्लें हैं, उनमें से चंद यह हैं:

- लॉटरी, इसकी भी कई सूरतें हैं। मशहूर सूरतों में एक यह है कि पैसों से नम्बर ख़रीदे जाते हैं, फिर उनमें लॉटरी करके पहले, दूसरे, तीसरे --- विजेता को तरतीबवार मुख़्तलिफ़ क़िस्म के इनआ़मात से नवाज़ते हैं (क्रमानुसार विभिन्न प्रकार के पुरस्कार से पुरस्कृत करते हैं)। यह हराम है, अगरचे लोग इसे अपने तईं ख़ैरी (कल्याणमूलक) काम का नाम देते हैं।

- कोई ऐसा सामान ख़रीदे जिसके अंदर नामालूम (अज्ञात) कोई चीज़ हो, या सामान ख़रीदते समय कोई नम्बर दिया जाता है, फिर लॉटरी करके विजेताओं की तहदीद (निर्धारण) की जाती है और उन्हें इनआ़म दिया जाता है।

- बीमा (इंशूरेन्स): जैसे लाइफ इंशूरेन्स (जीवन बीमा), गाड़ी इंशूरेन्स, गुड्स् इंशूरेन्स (द्रव्य बीमा), फ़ायर इंशूरेंन्स, शामिल (कमप्लीट) इंशूरेन्स तथा दूसरे के ख़िलाफ़ इंशूरेन्स इत्यादि इत्यादि यहाँ तक कि बाज़ गायक (गाने वाले) अपनी आवाज़ों का भी इंशूरेन्स करवाने लगे हैं। {इंशूरेन्स का हुक्म और उसका इस्लामी बदील (विकल्प व्यवस्था) के बारे में जानने के लिए 'अर्रिआसतुल आ़म्मा लिइदारातिल बुहूसुल इल्मिया' से प्रकाशित 'मजल्लतुल बुहूसिल इस्लामिया' संख्या १७, १६ और २० देखें}

यह और इस तरह की तमाम सूरतें जुवे में शामिल हैं। हमारे दौर में तो जुआ के लिए ख़ास क्लब भी मौजूद हैं जिनमें इस महा पाप के इर्तिकाब के लिए स्पेशल ग्रीन टेबुल (विशेष रूप की हरी मेज़ें) होती हैं। इसी तरह जुआ ही की क़िस्मों में से है जो फुटबॉल वग़ैरा के मैचों में बाज़ियाँ रखी

जाती हैं, जैसे कि बाज़ खेलन की दूकानों तथा मनोरंजन केंद्रों (तफ़रीही मक़ामात) में खेल की ऐसी क़िस्में पाई जाती हैं जो जुआ को शामिल हैं, जिसे 'फ्लीबर्ज़' का नाम देते हैं।

रहे प्रतियोगिता तथा मुक़ाबला तो उनकी तीन क़िस्में हैं:

१- जिसका कोई शर्ई मक़्सद हो, तो यह पुरस्कार के साथ तथा बिना पुरस्कार के दोनों तरह जायज़ है, जैसे ऊँट तथा घोड़ा रेस प्रतियोगिता और तीर अंदाज़ी तथा निशानाबाज़ी का मुक़ाबला। राजेह क़ौल के मुताबिक़ इल्मे शरई (प्राबल्य मतानुसार धार्मिक ज्ञान) का प्रतियोगिता -जैसे क़ुरआन हिफ़्ज़ प्रतियोगिता- इसी के अंतर्गत (शामिल) है।

२- जो स्वभावत (बज़ाते ख़ुद) जायज़ हो -जैसे फ़ुट बॉल मैच और रेस कम्पिटीशन (दौड़ प्रतियोगिता)-, और जो मुहर्रमात (निषिद्ध चीज़ों) -जैसे नमाज़ ज़ाये तथा नष्ट करना और शर्मगाह खोलना- से ख़ाली हो, तो यह बग़ैर पुरस्कार के जायज़ है।

३- जो स्वभावत हराम हो या हराम तक पहूँचाने का वसीला (माध्यम) हो, जैसे गंदगी और फ़साद फैलाने वाला प्रतियोगिता जिसका नाम दिया जाता है 'विश्व सुंदरी प्रतियोगिता', या मुक्केबाज़ी (फाइटिंग) का मुक़ाबला जिसमें चेहरों पर मारा जाता है -जो कि हराम है-, या सींग वाले जानवरों तथा मुर्ग़ों को आपस में लड़ाना वग़ैरा।

चोरी

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة المائدة: ٣٨]

''चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, यह बदला है उसका जो उन्होंने किया, अ़ज़ाब अल्लाह की तरफ़ से, और अल्लाह तआ़ला कुव्वत व हिक्मत (शक्ति व प्रज्ञा) वाला है।'' {अल्माइदाः ३८}

चोरी के महा अपराधों (अ़ज़ीम जराएम) में से हज्ज व उमरा की ग़र्ज़ से अल्लाह के घर काबा को आए हुए लोगों के माल-सामग्री चोरी करना है। इस क़िस्म के चोर सबसे अफ़ज़ल सरज़मीन (सर्वश्रेष्ठ भूमि) तथा अल्लाह के घर के आसपास चोरी करके अल्लाह के हुदूद को बेदरेग़ (सीमाओं को निःसंकोच) पार कर जाते हैं। नबी ﷺ ने सूरज गरहन की नमाज़ पढ़ाते समय जहन्नम के दर्शन का उल्लेख करते हुए फ़रमायाः

«لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفَحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْـمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ [أَمْعَاءَهُ] فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ». [رواه مسلم: ٩٠٤]

«उस समय मेरे सामने (जहन्नम की) आग हाज़िर की गई थी जब तुम लोगों ने मुझे पीछे हटते हुए देखा था, (और मैं पीछे हटा था) इस डर से कि उसकी तमाज़त (लूका) मुझे न लग

जाए। और मैंने उसमें लाठी वाले आदमी को देखा जो आग में अपनी आँतों को खींच रहा था। वह अपनी लाठी द्वारा हाजियों के माल-सामग्री चुराता था, अगर पकड़ा जाता तो कहता कि मेरी लाठी में फँस गया था, और अगर पता न चलता तो सामान लेकर भाग जाता।» {मुस्लिमः ६०४}

अ़ज़ीम (बड़ी) चोरियों में से साधारण माल-सामान (सरकारी चीज़ों) का चुराना है। और कुछ वह लोग जो ऐसा करते हैं कहते हैं कि जैसे दूसरे लोग चुराते हैं वैसे ही हम भी चुराते हैं, हालाँकि उनको पता नहीं कि यह सारे मुसलमानों का माल चुराना है, क्योंकि साधारण संपद सारे मुसलमानों की मिलकियत होती है। अल्लाह से न डरने वालों के अ़मल (कर्म) को दलील बना कर उनकी तक़्लीद (अनुसरण) करना जायज़ नहीं है।

और बाज़ लोग काफ़िरों का माल यह बुनियाद बना कर चुराते हैं कि वह काफ़िर हैं, जबकि यह सही नहीं है, क्योंकि जिन काफ़िरों का माल छीनना जायज़ है वह वह काफ़िर हैं जो मुसलमानों से लड़ते हैं, उनकी तमाम कम्पनियाँ और जन (अफ़राद) इसमें शामिल नहीं हैं।

और जेब कतरना (पॉकिट मारना) चोरी में शामिल है। बाज़ लोग दूसरों के घर मेहमान बन कर जाते हैं और चोरी करते हैं, और बाज़ लोग मेहमान का माल चुराके उनकी थैली ख़ाली कर देते हैं। बाज़ लोग दूकानों में प्रवेश करके अपने जेबों तथा कपड़ों में कोई सामान छिपा लेते हैं। इसी तरह बाज़ औ़रतें भी अपने कपड़ों के नीचे कुछ छिपा लेती हैं। और बाज़

लोग छोटी मोटी या सस्ती चीज़ें चुराने को हल्का तथा मामूली समझते हैं, हालाँकि नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».

[رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١٢/ ٨١]

«अल्लाह की लानत (अभिशाप) उस चोर पर जिसका हाथ अंडा चोरी करने के जुर्म में काट दिया जाता है, और (उस पर भी अल्लाह की लानत हो) जिसका हाथ रस्सी चोरी करने के जुर्म में काट दिया जाता है।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १२/८१}

हर चोर पर -जिसने कुछ भी चोरी किया हो- वाजिब है कि वह अल्लाह तआ़ला से तौबा करने के साथ साथ चोरी किया हुआ माल उसके मालिक को वापस करे, चाहे खुले तौर पर वापस करे या छिपा कर, ख़ुद वापस करे या किसी के ज़रीया, सब बराबर है। अगर बहुत कोशिश के बाद भी माल के मालिक तक या उसकी मौत के बाद उसके वारिसीन (उत्तराधिकारियों) तक पहुँचना नामुमकिन (असंभव) हुआ तो वह माल उसकी तरफ़ से सदक़ा कर देगा इस नियत से उसका सवाब माल के मालिक को पहुँचे।

रिश्वत लेना तथा देना

हक़ तथा सत्य को बातिल करने या बातिल को रिवाज देने की ग़र्ज़ से क़ाज़ी या लोगों के दरमियान फ़ैसला करने वाले (जज-विचारक) को रिश्वत देना जुर्म तथा अपराध है, क्योंकि यह अन्याय-अविचार की ओर ले जाती है तथा इससे हक़ीक़ी

हक़्दार पर ज़ुल्म होता है, और इससे फ़ित्ना-फ़साद फैलता है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [سورة البقرة: ١٨٨]

''और तुम लोग एक दूसरे का माल नाहक़ न खाया करो, और न हाकिमों को रिश्वत पहुँचा कर किसी का कुछ माल ज़ुल्म व सितम से अपना लिया करो, हालाँकि तुम जानते हो।'' {अलबक़राः १८८} अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमायाः

«لَعَنَ اللهُ الرَّاشِي وَالْـمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ». [رواه الإمام أحمد: ٢/ ٣٨٧، وهو في صحيح الجامع: ٥٠٦٩]

«फ़ैसला करने-कराने में रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है।» {मुस्नद अहमदः २/३८७, सहीहुल जामेअ़ः ५०६९}

हाँ अगर अपना जायज़ हक़ हासिल करने या ज़ुल्म प्रतिरोध (दूर) करने के लिए रिश्वत देनी पड़े और हाल यह हो कि इसके बग़ैर कोई चारा नहीं तो यह मज़कूरा वईद (उल्लिखित धमकी) में दाख़िल नहीं होगा।

मौजूदा दौर (वर्तमान युग) में रिश्वत व्यापक रूप से (बहुत ज़्यादा) फैल गई है, यहाँ तक कि बाज़ नौकरी करने वालों की आमदनी का ज़रीया उनकी तनख़ाहों से ज़्यादा यही बन गई है, बल्कि बहुत सी कम्पनियों के बजट में यह रिश्वत मुबहम (अस्पष्ट) नामों से एक बंद (विभाग) क़रार पाई है,

अधिकतर मामले न इसके बग़ैर शुरू होते हैं और न इसके बिना ख़त्म होते हैं। नतीजा यह निकलता है कि इसकी वजह से फ़क़ीरों को काफ़ी नुक़्सान का सामना करना पड़ता है और इसी के कारण बहुत सी ज़िम्मेदारियों की अदाएगी में अनियम तथा बिगाड़ देखा जाता है। रिश्वत ही कर्मचारियों का मालिक के काम में ख़राबी पैदा करने का सबब है। बेहतरीन सर्विस उसी को मिलती है जो रिश्वत देता है, और जो नहीं देता है; तो या उसकी ख़िदमत अच्छी तरह नहीं की जाती है या उसका मामला तूल पकड़ लेता है या उसका बिल्कुल ख़्याल नहीं किया जाता है। रिश्वत देने वाले जो बाद में आते हैं अपना काम उन लोगों से बहुत पहले निमटा ले जाते हैं जो रिश्वत नहीं देते हैं। रिश्वत ही के सबब होता यह है कि वह माल जो मालिक का हक़ और अधिकार था, मंदूबों (प्रतिनिधियों) के जेब में चला जाता है। इन कारणों की बुनियाद पर नबी करीम ﷺ की ज़ुबानी इस जुर्म में प्रत्यक्ष या परोक्ष (डाइरेक्ट या इंडाइरेक्ट) रूप से शरीक (हिस्सेदार) हर व्यक्ति के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम (वंचित) रहने की बद्दुआ़ करना कोई अ़जब (आश्चर्य) की बात नहीं। अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْـمُرْتَشِي». [رواه ابن ماجة: ٢٣١٣، وهو في صحيح الجامع: ٥١١٤]

«रिश्वत लेने और देने वालों पर अल्लाह की लानत (अल्लाह की रहमत से दूरी) हो।» {इब्ने माजाः २३१३, सहीहुल जामेअ़ः ५११४}

ज़मीन ग़स्ब (अपहरण) करना

जब अल्लाह का डर मादूम (लुप्त) हो जाता है तब शक्ति तथा बहाने इंसान के लिए मुसीबत बन जाते हैं, जिन्हें वह ज़ुल्म के कामों -जैसे दूसरों पर हाथ उठाना और उनके मालों पर नाजायज़ क़ब्ज़ा करना- में इस्तेमाल (प्रयोग) करता है। और ज़मीन ग़स्ब करना इसी के ज़िम्न (अंतर्गत) में आता है, जिसकी सज़ा बेहद कठिन तथा कठोर (सख़्त) है। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ٥/ ١٠٣]

«जिसने नाहक़ किसी की थोड़ी सी भी ज़मीन ले ली तो क़ियामत के दिन सात तबक़ ज़मीनों तक उसे धसाया जाएगा।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः ५/१०३}

और याला बिन मुर्रा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ أَنْ يَحْفِرَهُ [في الطبراني: يُحْضِرَهُ] حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».

[رواه الطبراني في الكبير: ٢٢/ ٢٧٠، وهو في صحيح الجامع: ٢٧١٩]

«कोई भी आदमी अगर नाहक़ किसी की एक बालिश्त (बिघत) ज़मीन भी ले ले तो अल्लाह तआ़ला उसे सात तबक़ ज़मीन

तक ज़मीन का यह हिस्सा खोदने पर (तबरानी में है: उसे हाज़िर करने पर) मुकल्लफ़ (वाध्य) करेगा, फिर क़ियामत के दिन उसे उसके गले में तौक़ बना कर लटका दिया जाएगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दिया जाए।» {तबरानी कबीर: २२/२७०, सहीहुल जामेअ: २७१६}

ज़मीन की मेंड बदल करके तथा उसकी सीमापहरण (चिन्ह मिटा) करके अपनी ज़मीन बग़ल की ज़मीन से वसीअ् (प्रशस्त) कर लेना इसी में शामिल है। और इसी की ओर नबी ﷺ के निम्नलिखित फ़रमान से इशारा किया गया है:

«لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ». [رواه مسلم بشرح النووي: ١٣/ ١٤١]

«ज़मीन की मेंड बदलने वाले पर अल्लाह की लानत (अल्लाह की रहमत से दूरी) हो।» {मुस्लिम नववी की व्याख्या के साथ: १३/१४१}

सिफ़ारिश करने के कारण हदिया क़बूल करना

लोगों में मान-मर्यादा (इ़ज़्ज़त व मरतबा) अल्लाह की नेमतों में से है अगर बंदा इस पर उसका शुक्र अदा करे। और इस पर शुक्र यह है कि वह इसे मुसलमानों के फ़ायदे के लिए सर्फ़ (व्यय) करे। और यह नबी ﷺ के इस आ़म फ़र्मान (साधारण वाणी) में दाख़िल है:

«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ». [رواه مسلم: ٤/ ١٧٢٦]

«तुम में से जो अपने भाई को फ़ायदा पहूँचाने की ताक़त रखता है तो चाहिए कि वह ऐसा करे।» {मुस्लिमः ४/१७२६} और जो व्यक्ति अपनी जाह व हश्मत (वैभव-शानशौकत) द्वारा

ख़ालिस (विशुद्ध) नियत के साथ अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहूँचाये, उस पर से जुल्म हटा कर या उसके लिए कोई भलाई ला कर, इस तरह कि न वह कोई हराम काम करे और न किसी पर जुल्म व ज़्यादती करे, तो वह अल्लाह के पास अज्र व सवाब का हक़्दार (अधिकारी) होगा। जैसे कि इस बारे में नबी ﷺ का फ़रमान है:

«اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا». [رواه أبو داود: ٥١٣٢، والحديث في الصحيحين، فتح الباري: ١٠/ ٤٥٠، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا]

«सिफ़ारिश करो तुम्हें अज्र व सवाब मिलेगा।» {अबू दाऊदः ५१३२, यह हदीस बुख़ारी और मुस्लिम में है, फ़त्हुल बारीः १०/४५०, अध्यायः अदब, परिच्छेदः मोमिनों का आपस में एक दूसरे का सहायता करना} लेकिन इस शिफ़ाअ़त और वास्ता (मध्यस्थता) पर विनिमय (बदल) लेना नाजायज़ है। इसकी दलील अबू उमामा ﷺ से मरवी (वर्णित) हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً (عَلَيْهَا) فَقَبِلَهَا (مِنْهُ)، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». [رواه الإمام أحمد: ٥/ ٢٦١، وهو في صحيح الجامع: ٦٢٩٢]

«जिसने किसी के लिए सिफ़ारिश की, पस उसने उसे इस पर हदिया पेश किया और उसने उसे क़बूल कर लिया, तो वह सूद के बड़े द्वारों में से एक द्वार के पास आ गया।» {मुस्नद अहमदः ५/२६१, सहीहुल जामेअ़ः ६२६२}

कुछ लोग अपनी जाह व हश्मत (वैभव-शानशौकत) को माल के विनिमय (बदले) पेश करते हैं। किसी को कोई नौकरी

दिलाने, किसी का ओह्दा बढ़ाने (प्रोमोशन कराने), किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफ़र (मुंतक़िल) कराने या किसी बीमार के इलाज (चिकित्सा) का इंतिज़ाम (व्यवस्था) करने इत्यादि पर माल की शर्त लगाते हैं। राजिह क़ौल के मुताबिक़ (प्राबल्य मतानुसार) अबू उमामा ﷺ से मरवी गुज़री हदीस की बुनियाद पर इस तरह का विनिमय तथा मुक़ाबिल लेना हराम है। बल्कि हदीस का ज़ाहिर यह बता रहा है कि विनिमय अगर बग़ैर शर्त (इत्तिफ़ाक़) के भी हो फिर भी उसका लेना हराम है। {यह बात अ़ल्लामा इब्ने बाज़ रहेमहुल्लाह की ज़ुबानी बयान में से है}

नेकोकारों (भलाई करने वालों) को क़ियामत के दिन अल्लाह की तरफ़ से मिलने वाला अज्र व सवाब (बदला व प्रतिदान) ही काफ़ी है। एक आदमी हसन बिन सहल के पास अपनी किसी ज़रूरत की सिफ़ारिश कराने के लिए आये तो उन्होंने (सिफ़ारिश करके) उनकी ज़रूरत पूरी कर दी, तो वह आदमी उनका शुक्रिया अदा करने लगे, तो हसन बिन सहल ने उनसे कहाः किस चीज़ पर आप हमारा शुकरिया अदा कर रहे हैं? हम तो समझते हैं कि माल की ज़कात की तरह जाह व हश्मत (वैभव-शानशौकत) की भी ज़कात है। {इब्ने मुफ़लिह रचित किताब 'अलआदाबुश् शरइयाः २/१७६}

यहाँ इस फ़र्क़ (पार्थक्य) की ओर इशारा कर देना बेहतर समझता हूँ कि किसी व्यक्ति को उजरत (मेहनताना) देकर कोई काम करवाना और विनिमय (बदला-मुक़ाबिल) देकर मामला न ख़त्म होने तक उसे उसके पीछे लगा कर रखना, तो यह अगर शरई शर्तों के अनुसार है तो यह जायज़ इजारा

(ठीका) की क़िस्मों में से है। रही बात अपने मान-मर्यादा तथा मध्यस्थता (इज़्ज़त-मरतबा और वास्ता) के ज़रीया सिफ़ारिश करना और उसके बदले माल लेना तो यह हराम है।

मज़दूर से काम पूरा लेना मगर उसकी मज़दुरी न अदा करना

नबी ﷺ ने मज़दूर का हक़ (अधिकार) जल्द से जल्द अदा करने की तरग़ीब देते (उत्साह प्रदान करते) हुए इरशाद फ़रमायाः

«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقَهُ». [رواه ابن ماجة: ٢/ ٨١٧، وهو في صحيح الجامع: ١٤٩٣]

«मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो।» {इब्ने माजाः २/८१७, सहीहुल जामेअ़ः १४६३} (अ़ल्लामा इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फ़रमायाः सही बात यह है कि इस हदीस को तमरीज़ के सेग़ा -अर्थात शिथिल शब्दों में जैसे फ़लाँ से रिवायत किया गया या कहा गया कि फ़लाँ ने कहा वग़ैरा- के साथ उल्लेख किया जाए, क्योंकि इसमें ज़अ़्फ़ यानी दूर्बलता है)

मुस्लिम समाज में पाये जाने वाले ज़ुल्म की क़िस्मों में से श्रमिक, मज़दूर तथा कर्मचारीयों (मुलाज़िमों) को उनका हक़ (प्राप्य) न देना है। और इसकी कई सूरतें हैं; उनमें सेः

- मज़दूर के हक़ का सिरे से इनकार करना और मज़दूर के पास (अपना हक़ साबित करने के लिए) कोई सुबूत न हो। इस मज़दूर का हक़ अगरचे दुनिया में नष्ट (बरबाद) हो जाए लेकिन क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला के पास उसका

हक़ नष्ट नहीं होगा। क्योंकि मज़लूम (अत्याचारित व्यक्ति) का माल भक्षणकारी यानी खाने वाला ज़ालिम हाज़िर होगा इस हाल में कि उसकी नेकियाँ मज़लूम को दे दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियाँ ख़त्म हो गईं तो मज़लूम के गुनाह उसके ऊपर लाद दिये जाएंगे फिर उसे (ज़ालिम को) जहन्नम रसीद कर (नरक में डाल) दिया जाएगा।

- मज़दूर की मज़दूरी नाहक़ कम कर देना और उसे उसका पूरा हक़ न देना, हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: ١]

''बड़ी ख़राबी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए।'' {अलमुतफ़्फ़ीनः १}

इसकी मिसालों में से एक यह है कि बाज़ लोग जो एक निर्धारित वेतन (मुक़र्ररा तनख़्वाह) के वादे पर कर्मचारियों तथा मज़दूरों को उनके मुल्क (देश) से बुलाते हैं, जब वह आ कर काम करना शुरू कर देते हैं तो उनके साथ की गई एग्रीमेंट को बदल कर कम तनख़्वाह पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं। बेचारे न चाहते हुए भी (बादिले नख़ास्ता) काम करते हैं। बसा औक़ात (कभी कभी) अपना हक़ साबित करने के लिए उनके पास कोई सुबूत भी नहीं होता, तो वह अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देते हैं। और अगर ज़ालिम मालिक मुसलमान हो और काम करने वाला काफ़िर हो तो उसका यह अ़मल (हक़ कम करने का आचरण) अल्लाह के रास्ते से रोकने का सबब बन जाता है, अतः इसका गुनाह भी उसके सर चढ़ जाता है।

- मज़दूर पर काम ज़्यादा कर देना या डियूटी अवधी (काम का वक़्त) बढ़ा देना, लेकिन अस्ल तनख़्वाह के अ़लावा इज़ाफ़ी अ़मल (ओवर डियूटी) की कोई उज़रत न देना।

- उसका हक़ देने में टाल-मटोल करना। बड़ी मेहनत व मशक़्क़त, लगातार तदबीर, शिकवा-शिकायत और अ़दालत का सहारा लेने के बाद ही उसे अपना हक़ मिलता है। बसा औक़ात (कभी कभी) मालिक का तन्ख़्वाह में ताख़ीर (विलंब) करने का मक़सद यह होता है कि कर्मचारी तंग आ कर अपना हक़ छोड़ दे तथा मुतालबा (मांग) करने से रुक जाए, या कर्मचारियों के पैसे अपने कारोबार में लगा कर उनसे फ़ायदा उठाना चाहता है। और बाज़ लोग तो उनकी तन्ख़्वाह के पैसों से सूदी कारोबार करते हैं, और बेचारा मज़दूर को न एक दिन का खाना नसीब होता है और न अपने ज़रूरतमंद परिवार (बाल-बच्चों) के लिए ख़र्च भेज पाता है जिनके ख़ातिर अपना मुल्क छोड़ा है। ऐसे ज़ालिम मालिकों के लिए है क़ियामत के दिन सख़्त अज़ाब तथा हलाकत व बरबादी। अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». [بخاري، انظر فتح الباري: ٤/ ٤٤٧].

«अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है कि तीन तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनका क़ियामत के दिन मैं ख़ुद मुद्दई (वादी) बनूँगा। एक

तो वह व्यक्ति जिसने मेरे नाम पे वादा किया फिर वादा ख़िलाफ़ी की। दूसरा वह जिसने किसी आज़ाद आदमी को बेच कर उसकी क़ीमत खाई। और तीसरा वह व्यक्ति जिसने किसी को मज़दूर रखा, फिर काम तो उससे पूरा लिया, लेकिन उसकी मज़दूरी न दी।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः ४/४४७}

अ़तीया (दान-प्रदान) में बच्चों के दर्मियान अ़दल व इंसाफ़ (समता तथा न्याय) न करना

कुछ लोग जान बूझ कर अ़तीया प्रदान करने तथा हिबा करने में अपने बाज़ बच्चों को ख़ास कर लेते हैं और बाज़ को उससे महरूम रखते हैं। अगर कोई शरई कारण न हो तो राजेह क़ौल के मुताबिक़ (प्राबल्य मतानुसार) ऐसा करना हराम है। शर्ई कारण जैसे किसी बच्चे की कोई ऐसी ज़रूरत पेश आई जो दूसरों को नहीं है, मसलन (उदाहरण स्वरूप): किसी का बीमार पड़ जाना, या मक़रूज़ (ऋणी) हो जाना, या क़ुरआन हिफ़्ज़ करने पर उसे इनआ़म (पुरस्कार) देना, या यह कि उसके पास आमदनी का कोई ज़रीया न होना, या फ़ेमिली के अफ़राद (परिवार सदस्यों) का ज़्यादा होना, या इल्म के तलब (ज्ञानार्जन) में मशग़ूल रहना। लेकिन इसके साथ साथ वालिद (पिता) की यह नीयत रहनी चाहिए कि अगर दुसरे बच्चे के साथ इस क़िस्म की कोई ज़रूरत पेश आई तो उसे भी देगा जिस तरह पहले को दिया था। इस पर सामान्य (आ़म) दलील अल्लाह तआ़ला का यह फ़रमान है:

﴿ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ [المائدة: ٨]

''तुम इंसाफ़ किया करो, वह परहेज़गारी के ज़्यादा क़रीब है, और तुम अल्लाह तआ़ला से डरते रहो।'' {अलमाइदाः ८} और इसकी विशेष (ख़ास) दलील है नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मरवी (वर्णित) हदीस, जिसमें है कि उनके वालिद (पिता) उनको लेकर रसूलुल्लाह ﷺ के पास आए और कहाः

إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَهُ؟» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَارْجِعْهُ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ٥/ ٢١١]

وفي رواية: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. [الفتح: ٥/ ٢١١] وفي رواية: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَنْ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ». [صحيح مسلم: ٣/ ١٢٤٣]

मैंने अपने इस बच्चा को एक ग़ुलाम प्रदान किया है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने पूछाः «क्या तुमने अपने सारे बच्चों को उसके मिस्ल (अनुरूप) प्रदान किया है?» उन्होंने कहाः नहीं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः «तुम उसे वापस ले लो।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः ५/२११} एक दूसरी रिवायत में हैः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः «अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ़ करो।» रावी (वर्णनाकारी नुमान ﷺ) ने कहाः वह वापस जाकर अपना प्रदत्त (दिया गया) अ़तीया वापस ले लिये। {फ़त्हुल बारीः ५/२११} और एक रिवायत में हैः (रसूलुल्लाह ﷺ ने

फ़रमायाः) «तो फिर मुझे गवाह न बनाओ, क्योंकि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता।» {सहीह मुस्लिमः ३/१२४३}

इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह की राय यह है कि मीरास की तरह बेटों को बेटियों का डबल हिस्सा दिया जाएगा। {अबू दाऊद रचित 'मसाएलुल इमाम अहमद': २०४}

बाज़ घराने ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि बाज़ बाप जो अल्लाह से नहीं डरते हैं अपने बच्चों को कुछ देते हुए उनके दरमियान इंसाफ़ नहीं करते हैं (यानी किसी को कम तथा किसी को ज़्यादा देते हैं)। वह अपनी इस हरकत से उनके सीनों को एक दुसरे के ख़िलाफ़ भड़का देते हैं तथा उनके दरमियान बैर व दुशमनी का बीज बो देते हैं। बाज़ दफ़ा किसी को इस लिए देते हैं कि वह चचाओं के मुशाबेह (की तरह) है और दूसरे को इस लिए नहीं देते हैं कि वह मामूओं के मुशाबेह है, या यह कि एक बीवी के बच्चों को वह देते हैं जो दूसरी बीवी के बच्चों को नहीं देते। और कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि एक बीवी के बच्चों को विशेष (स्पेशल) स्कूलों में भर्ती (ऐडमीशन) कराते हैं जबकि दूसरी बीवी के बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। इस नाइंसाफ़ी की सज़ा बाप ही को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि भविष्य में अक्सर महरूम औलाद (मुस्तक़बिल में अधिकांश वंचित बच्चे) बाप के साथ हुस्ने सुलूक (सदव्यवहार) नहीं करते। नबी ﷺ ने उस व्यक्ति से फ़रमाया जिसने अपने बच्चों में किसी को कम तथा किसी को ज़्यादा अ़तीया दिया थाः

«أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟». [رواه الإمام أحمد: ٤/ ٢٦٩، وهو في صحيح مسلم: ١٦٢٣]

«क्या तुम्हें यह बात पसंद नहीं कि वह तुम्हारे साथ हुस्ने सुलूक में बराबर रहें?» {मुस्नद अह्मदः ४/२६६, सहीह मुस्लिमः १६२३}

बग़ैर ज़रूरत के लोगों से माँगना

सहल बिन अलूहन्ज़लिया ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ». قَالُوا: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْـمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: «قَدْرَ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ». [رواه أبو داود: ٢/ ٢٨١، وهو في صحيح الجامع: ٦٢٨٠]

«अपने पास ज़रूरत भर (काफ़ी) माल होते हुए भी जो किसी से माँगता है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नम की आग के अंगारे जमा करता है।» सहाबा किराम ने पूछाः कितना परिमाण (मिक़्दार) माल हो तो माँगना मुनासिब (उचित) नहीं होगा? आप ﷺ ने फ़रमायाः «जितना उसे दोपहर और शाम के खाने के लिए काफ़ी हो जाए।» {अबू दाऊदः २/२८१, सहीहुल जामेअ़ः ६२८०} और इब्ने मसऊ़द ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَو كُدُوشًا فِي وَجْهِهِ».

[رواه الإمام أحمد: ١/ ٣٨٨، انظر صحيح الجامع: ٦٢٥٥]

«अपने पास ज़रूरत भर (काफ़ी) माल होते हुए भी जो किसी से माँगे, तो क़ियामत के दिन यह (भीक माँगना) उसके चेहरे को ज़ख़्मी करेगा या नोचेगा।» {मुस्नद अह्मदः १/३८८, देखें सहीहुल जामेअ़ः ६२५५} और सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ».

[رواه مسلم: ٢٤٤٦].

«जो व्यक्ति अपने माल की ज़्यादती की ख़ातिर लोगों से उनका माल माँगे, तो वह हक़ीक़त में अंगारे माँग रहा होता है, पस चाहे तो उसे कम करे या ज़्यादा करे।» {मुस्लिमः २४४६}

बाज़ माँगने वाले मस्जिदों में लोगों के सामने खड़े होकर अपने शिकवे पेश करते हुए ज़िक्र व तस्बीह में ख़लल (विघ्नता) पैदा करते हैं। उनमें कोई कोई तो झूट का सहारा लेते हुए जाली काग़ज़ात पेश (डुप्लीकेट पेपर्स शो) करते हैं और झूट-मूट के क़िस्से बयान करते हैं। कभी कभी परिवार के सदस्यों (फ़ेमिली के अफ़राद) को मुख़्तलिफ़ मस्जिदों में तक़्सीम कर देते हैं, फिर उन्हें इकट्ठा करते हैं, और इस तरह वह एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद का रुख़ करते रहते हैं, हालाँकि वह इतनी अच्छी हालत में होते हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, जब वह मर जाते हैं तो उनका तरिका (पैतृक संपत्ति) ज़ाहिर होता (मालूम पड़ता) है। दूसरी तरफ़ हक़ीक़त में जो लोग मुहताज (अभावी) होते हैं, उनके लोगों से चिमटकर न

माँगने की वजह से नादान लोग उन्हें मालदार समझते हैं, और उनकी हालत के बारे में पता न चलने की वजह से उन्हें सदक़ा (दान) भी नहीं किया जाता।

अदा न करने की नियत से क़र्ज़ लेना

अल्लाह तआ़ला के नज़दीक बंदों के हुक़ूक़ (अधिकारों) की बड़ी अह्मियत है। यह मुमकिन है कि बंदा तौबा के ज़रीया अल्लाह के हक़ से छुटकारा पा जाए। लेकिन बंदों के हुक़ूक़ अदा करना ज़रूरी है उस दिन से पहले जिस दिन दीनार और दिरहम (रूपये पैसे) का मुतालबा नहीं होगा बल्कि नेकियाँ लेकर या बदियाँ (पाप) लादकर हुक़ूक़ अदा किये जाएंगे। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]

''अल्लाह तआ़ला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत उनके मालिकों को पहूँचा दो।'' {अन्निसाः ५८}

आजकल क़र्ज लेना समाज में आ़म तथा आसान बात हो चुकी है, बाज़ लोग सख़्त ज़रूरत पर नहीं बल्कि विलासिता में प्रसार लाने (सुखभोग में इज़ाफ़ा करने) के लिए तथा दूसरों की अंधी तक़्लीद (कॉपी) करते हुए न्यू माडल की गाड़ियाँ और घर के साज़ व सामान इत्यादि ख़रीदने के लिए क़र्ज़ का बोझ अपने कंधे पर लादते हैं, हालाँकि यह सारी चीज़ें क्षणस्थायी हैं यानी फ़ना तथा विनाश होने वाली हैं। और ऐसे लोग ही अक्सर क़िस्तों पर सामान ख़रीदतें हैं, हालाँकि उसकी बहुत सारी क़िस्में शुबहा (संशय-संदेह) या हराम से ख़ाली नहीं हैं।

क़र्ज़ लेने में तसाहुल (सुस्ती से काम लेना), अदा करने में टाल-मटोल का या दूसरों के माल नष्ट तथा बरबाद करने का कारण बनता है। नबी ﷺ ने इस काम के अंजाम (परिणाम) से सचेत करते हुए फ़रमाया:

«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٥/ ٥٤]

«जो लोगों के माल अदा करने की नियत से क़र्ज़ ले, अल्लाह तआ़ला उसकी तरफ़ से अदा कर देगा, और जो नष्ट करने की नियत से ले अल्लाह तआ़ला उसे विनाश कर देगा।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारी: ५/५४}

लोग ज़्यादातर क़र्ज़ के मामले में काहिली (सुस्ती) बरतते हुए उसे छोटा (हल्का) समझते हैं, हालाँकि वह अल्लाह के नज़दीक अ़ज़ीम (विराट) है, यहाँ तक कि शहीद -जो बड़ी ख़ुसूसियतों, महान प्रतिदान तथा उच्च मक़ाम का अधिकारी है- वह भी क़र्ज़ के बोझ से छुटकारा नहीं पाएगा। इसकी दलील नबी ﷺ का यह फ़रमान है:

«سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ». [رواه النسائي، انظر المجتبى: ٧/ ٣١٤، وهو في صحيح الجامع: ٣٥٩٤]

«सुब्हानल्लाह! क़र्ज़ के बारे में अल्लाह तआ़ला ने कितनी

सख़्त बात उतारी है?! क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो, फिर उसे ज़िंदा किया जाए और फिर शहीद हो, फिर उसे ज़िंदा किया जाए और फिर शहीद हो इस हाल में कि उस पर क़र्ज़ हो, तो वह जन्नत में नहीं दाख़िल होगा यहाँ तक कि उसका क़र्ज़ अदा कर दिया जाए।» {नसाई, देखें अलमुज्तबाः ७/३१४, सहीहुल जामेअ्ः ३५६४} क्या तसाहुल (सुस्ती) और कोताही बरतने वाले इस (वईद तथा धमकी) के बाद भी इससे बाज़ नहीं आएंगे?!

हराम भक्षण (खाना)

अल्लाह से न डरने वालों को यह परवा नहीं होता कि माल कहाँ से कमाए और किस में ख़र्च करे, बस उसका लक्ष्य यही होता है कि पूँजी में किस तरह इज़ाफ़ा (वृद्धि) हो, चाहे निषिद्ध तथा हराम तरीक़ (माध्यम) ही से क्यों न हो, जैसे चोरी, रिश्वत, ग़स्ब, धोखादिही, हराम बेच-कीन, सूदी कारोबार, यतीम का माल भक्षण, हराम काम -मसलनः कहानत, बेहयाई और गाने- पर उज्रत लेना, मुसलमानों के बैतुल माल पर और सरकारी चीज़ों पर ज़्यादती (आक्रमण) करना, दूसरों का माल ज़बरदस्ती ले लेना या बग़ैर ज़रूरत के माँगना इत्यादि। फिर वह उसी से (यानी हराम तरीक़ से कमाए हुए माल से) खाता है, पहनता है, सवार होता है, घर बनाता है या किराया पर लेता है और उसे सजाता है और अपने पेट में हराम डालता है। नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّار أَوْلَى بِهِ». [رواه الطبراني في الكبير: ١٩/ ١٣٦، وهو في صحيح الجامع: ٤٤٩٥]

«हर वह गोश्त जो हराम से उगा (बना) हो आग ही उसका ज़्यादा हक़्दार है।» {तबरानीः १९/१३६, सहीहुल जामेअ़ः ४४९५} और क़ियामत के दिन उससे उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि उसने उसे कहाँ से कमाया और किस में ख़र्च किया? उस वक़्त वह हलाकत तथा ख़सारे (नुक़्सान) से दोचार होगा। अतः अगर किसी के पास हराम माल है तो उससे छुटकारा हासिल करने में जल्दी करे। और अगर किसी आदमी का हक़ हो तो उससे माफ़ी माँगने के साथ साथ जल्द से जल्द उसका हक़ उसे लौटा दे उस दिन के आने से पहले जिस दिन दीनार व दिरहम (रूपये-पैसे) से बदला नहीं चुकाया जाएगा, बल्कि नेकियाँ लेकर या बदियाँ लादकर हक़ अदा किया जाएगा।

शराब पीना चाहे एक क़तरा (विन्दु) ही क्यों न हो

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]

''ऐ ईमानवालो! बात यही है कि शराब और जुआ और थान (मूर्तियों के स्थान) और फ़ाल निकालने के पाँसे के तीर यह सब गंदी बातें, शैतानी काम हैं, इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।'' {अलमाइदाः ९०} अलग रहने का आदेश हराम होने की बलिष्ठ (क़वी तथा मज़बूत) दलीलों में से है।

और अल्लाह तआ़ला ने शराब को काफ़िरों की मूर्तियों तथा उनके माबूदों के साथ संयुक्त (मिला) करके उल्लेख फ़रमाया है। अतः उनकी कोई दलील नहीं रह जाती जो यह कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने शराब को हराम नहीं कहा बल्कि कहा है कि उससे अलग रहो।

और नबी ﷺ की हदीस में शराब पीने वालों के लिए सख़्त सज़ा की बात आई है। जाबिर ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«... إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِـمَنْ يَشْرَبُ الْـمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عِرْقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». [رواه مسلم: ٣/ ١٥٨٧]

«--- निश्चय अल्लाह तआ़ला ने नशा आवर चीज़ें (मादक द्रव्य) पीने वालों के बारे में यह प्रतिज्ञा (वादा) किया है कि वह उन्हें 'तीनतुल ख़बाल' में से पिलाएगा।» सहाबा किराम ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! 'तीनतुल ख़बाल' क्या है? आप ﷺ ने फ़रमायाः «जहन्नमियों का पसीना या उनके (बदन से निकला हुआ) पीप।» {मुस्लिमः ३/१५८७} और इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَنٍ». [رواه الطبراني: ١٢/ ٤٥، وهو في صحيح الجامع: ٦٥٢٥]

«जो व्यक्ति शराब का शैदाई (आसक्त) बनकर मरेगा, वह

अल्लाह से मुलाक़ात करेगा इस हाल में कि वह एक मूर्ती के पुजारी की तरह है।» {तबरानीः १२/४५, सहीहुल जामेअ़ः ६५२५}

दौरे हाज़िर (वर्तमान युग) में मुख़्तलिफ़ क़िस्म की शराब तथा विभिन्न प्रकार की नशेली चीज़ें जनम ली हैं, जिन्हें मुख़्तलिफ़ अ़रबी तथा अ़जीम (अजनबी) नामों से मौसूम (नामकरण) किया जाता है। जैसेः बीअर (Beer), अलकोहल (Alcohol), अरक (Arrack), वोडका (Vodka) और शेम्पेन (Champagne) वग़ैरा। और इस उम्मत में ऐसे लोगों का भी ज़ुहूर (आविर्भाव) हो चुका है जिनके बारे में नबी ﷺ ने फ़रमाया किः

«لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا». [رواه الإمام أحمد: ٥/ ٣٤٢، وهو في صحيح الجامع: ٥٤٥٣]

«मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पियेंगे, मगर 'शराब' के अतिरिक्त उसका दूसरा नाम देंगे।» {मुस्नद अह्मदः ५/३४२, सहीहुल जामेअ़ः ५४५३} वह लोग धोखा तथा दग़ाबाज़ी करते हुए शराब को शराब कहने के बजाए रूहानी शरबत कहते हैं।

﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ﴾ [البقرة: ٩]

"वह अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन हक़ीक़त में वह ख़ुद अपने आपको धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं।" {अलबक़राः ९}

शरीअ़त एक ऐसा अ़ज़ीम ज़ाबिता (महान क़ायदा तथा नियम) लेकर आई है जिससे मामले का क़तई फ़ैसला हो जाता है और खेल-तमाशा करने वालों की जड़ कट जाती है (फ़ित्ना परवरों का क़िला क़मा हो जाता है)। और वह ज़ाबिता नबी ﷺ का यह फ़रमानः

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [رواه مسلم: ٣/ ١٥٨٧]

«हर नशा आवर चीज़ (मादक द्रव्य) शराब है, और हर नशा आवर चीज़ हराम है।» {मुस्लिमः ३/१५८७} अतः हर वह चीज़ जो अ़क्ल व ख़िरद में असर अंदाज़ (विवेक-बुद्धि में प्रभाव विस्तारकारी) हो और नशा लाए हराम है चाहे कम हो या ज़्यादा। नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». [رواه أبو داود: ٣٦٨١، وهو في صحيح أبي داود: [٣١٢٨]

«जिस चीज़ का ज़्यादा परिमाण नशा लाए उसका कम परिमाण भी हराम है।» {अबू दाऊदः ३६८१, सहीह अबू दाऊदः ३१२८} और नाम चाहे जितने प्रकार के हों चीज़ एक ही है और उसका हुक्म मालूम (विदित) है।

अख़ीर में शराबियों के लिए नबी ﷺ की यह नसीहत (सदुपदेश) पेश की जा रही हैः

«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ

فَشَرِبَ فَسَكَرَ لَـمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». [رواه ابن ماجة: ٣٣٧٧، وهو في صحيح الجامع: ٦٣١٣]

«जो व्यक्ति शराब पीकर नशेबाज़ी करे तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। अगर वह मर जाए तो जहन्नम में दाख़िल होगा, और अगर वह तौबा करे तो अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़बूल फ़रमायेगा। फिर अगर वह दोबारा शराब पीकर नशेबाज़ी करे तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। अगर वह मर जाए तो जहन्नम में दाख़िल होगा, और अगर वह तौबा करे तो अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़बूल फ़रमायेगा। और अगर फिर वह दोबारा शराब पीकर नशेबाज़ी करे तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। अगर वह मर जाए तो जहन्नम में दाख़िल होगा, और अगर वह तौबा करे तो अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़बूल फ़रमायेगा। और अगर फिर दोबारा ऐसा करे तो अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसे ज़रूर 'रदग़तुल ख़बाल' में से पिलाएगा।» सहाबा किराम ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! 'रदग़तुल ख़बाल' क्या है? आप ﷺ ने फ़रमायाः «जहन्नमियों के (बदन से निकला हुआ) पीप।» {इब्ने माजाः ३३७७, सहीहुल जामेअ़ः ६३१३}

यह अगर शराबख़ोरों का हाल है तो उनका क्या हाल

होगा जो इससे भी कड़ी तथा तीव्र नशीली चीज़ें -जैसे भांग, गांजा, अफीम इत्यादि- सेवन करते हैं और हमेशा नशा की हालत में रहते हैं।

सोने चाँदी के बर्तन इस्तेमाल (प्रयोग) करना और उसमें खाना पीना

आजकल घर के असबाब बेची जाने वाली कोई ऐसी दूकान नहीं है जिसमें सोने चाँदी के बर्तन या सोने चाँदी के पानी से रंग चढ़ाए हुए बर्तन न हों। इसी तरह मालदारों के घरों में और बाज़ होटलों में इस तरह के बर्तन देखे जाते हैं। बल्कि इस क़िस्म के बर्तन क़ीमती उपहारों में से एक उपहार बन गए हैं जो विभिन्न मुनासबात (उपलक्षों तथा अनुष्ठानों) में लोग एक दूसरे को पेश करते हैं। और बाज़ लोग सोने चाँदी के बर्तन अपने घर में तो नहीं रखते, लेकिन दूसरों के घरों तथा शादी-ब्याह के उत्सवों में इनका इस्तेमाल करते हैं। यह सबके सब इस्लामी शरीअ़त में हराम हैं। इनके इस्तेमाल करने के बारे में नबी ﷺ से सख़्त धमकी आई है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमायाः

«إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». [رواه مسلم: ٣/ ١٦٣٤]

‹‹जो शख़्स सोने चाँदी के बर्तन में खाता या पीता है वह हक़ीक़त में अपने पेट में जहन्नम की आग डाल रहा होता

है।» {मुस्लिमः ३/१६३४} यह हुक्म हर बर्तन तथा खाने के हर क़िस्म के सामान -जैसे प्लेट, काँटे वाले चमचे, चमचे, चाकू- और मेहमान नवाज़ी में पेश किए जाने वाले बर्तनों तथा अनुष्ठान आदि में पेश किए जाने वाले मिठाई के डब्बों को शमिल है।

बाज़ लोग कहते हैं कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करते लेकिन शोकेस में ज़ीनत के तौर पर सजाकर रखते हैं। इसके इस्तेमाल के सद्दे बाब के लिए (इसके प्रयोग के माध्यम को रोकने की ख़ातिर) ऐसा करना भी नाजायज़ है। {यह बात शैख़ इब्ने बाज़ रहेमहुल्लाह के ज़ुबानी बयान में से है}

झूटी गवाही

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ۝٣٠ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦ﴾ [الحج: ٣٠،٣١]

''तुम बुतों की गंदगी से बचते रहो और झूटी बात से भी परहेज़ करते रहो अल्लाह की तौहीद को मानते हुए (और) उसके साथ किसी को शरीक न करते हुए।'' {अल्हज्जः ३०, ३१}

अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू बकरा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, वह अपने बाप से रिवायत करते हैं। उनके बाप ने कहाः

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا- فَقَالَ: «أَلَا

وَقَوْلُ الزُّورِ» قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. [رواه البخاري، انظر الفتح: ٥/ ٢٦١]

हम अल्लाह के रसूल ﷺ के पास थे कि आपने तीन मर्तबा फ़रमायाः «क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूँ?» सहाबा किराम ने कहाः ज़रूर फ़रमायें ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमायाः «अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन (माता पिता) की नाफ़रमानी (अवज्ञा) करना।» -आप टेक लगाए हुए थे उठकर बैठ गए- फिर फ़रमायाः «सुनो! और झूटी गवाही देना।» रावी का बयान है कि आप इसे मुसलसल दुहराते रहे यहाँ तक कि हमने कहाः काश आप ख़ामोश हो जाते। {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः ५/२६१} झूटी गवाही देने से बार बार सावधान करने की वजह यह है कि लोग इस बारे में लापरवाही करते हैं, और हसद तथा दूशमनी जैसी बहुत सारी चीज़ें इंसान को इस पर उभारती (प्ररोचित करती) हैं, और इससे बहुत सारी ख़राबियाँ जनम लेती हैं। देखें तो सही कि झूटी गवाही के कारण कितने हुकूक़ ज़ायेअ् तथा बरबाद (नष्ट) हुए, कितने निरपराध (बेक़ुसूर) अन्याय तथा ज़ुल्म के शिकार हुए, कितने लोग मालिक बन गए उस चीज़ के जिसके वह हक़्दार नहीं थे, या कितने लोग उस नसब (वंश) के साथ संयुक्त कर दिए गए जिस नसब से उसका संबंध नहीं है।

झूटी गवाही के बारे में लापरवाही का मंज़र (दृश्य) अ़दालतों में देखा जाता है। वहाँ आदमी किसी दूसरे से

मुलाक़ात करके कहता है कि तुम मेरा होकर (मेरे पक्ष में) गवाही देना, मैं तुम्हारा होकर (तुम्हारे पक्ष में) गवाही दूँगा। अतः वह ऐसे मामले में गवाह बनते हैं जिसकी हक़ीक़त तथा अवस्था का इल्म होना ज़रूरी होता है, -जैसे किसी ज़मीन या किसी घर की मिलकियत की गवाही देना अथवा किसी के बेकुसूर होने की गवाही देना-, जबकि उससे उसकी मुलाक़ात नहीं हुई मगर अ़दालत के दरवाज़े या चौखट पर। ऐसी गवाही झूटी तथा मिथ्या गवाही है। अतः वैसी गवाही देनी चाहिए जैसी गवाही का ज़िक्र अल्लाह की किताब में हुआ है:

﴿وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف: ٨١]

''और हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते थे।'' {यूसुफ़: ८१}

गाना-बजाना (गीत-म्यूज़िक) सुनना

इब्ने मसऊद ﷺ अल्लाह की क़सम खाकर कहते थे कि अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [لقمان: ٦]

''और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लग़्व (असार) बातों को मोल लेते हैं ताकि लोगों को अल्लाह की राह से बहकायें।'' {लुक़मानः ६} में मज़्कूर ''लहवल् हदीस'' से मुराद गाना है। {तफ़्सीर इब्नु कसीरः ६/३३३} और अबू आ़मिर तथा अबू मालिक अशआ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» [رواه البخاري، انظر الفتح: ١٠/ ٥١]

«बेशक मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग ज़रुर हूंगे जो ज़िना, रेशम, शराब और गाने बजाने को हलाल समझेंगे।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १०/५१} और अनस ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ، وَضَرَبُوا بِالْـمَعَازِفِ» [انظر السلسلة الصحيحة: ٢٢٠٣، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، والحديث رواه الترمذي رقم: ٢٢١٢]

«बेशक इस उम्मत में (कई तरह का अ़ज़ाब) ज़रूर आएगाः ज़मीन में धसना, पत्थरों की बारिश और बुरी सूरत में तब्दीली (परिवर्तन)। और यह उस समय होगा जब वह (उम्मत के लोग) शराब पियेंगे, गाने वाली लौंडियाँ रखेंगे और म्यूज़िक बजायेंगे।» {देखें सिलसिला सहीहाः २२०३, और इसे 'ज़म्मुल मलाही' में इब्नु अबिद्दुनिया की तरफ़ मन्सूब किया है। इस हदीस को तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, हदीस नम्बरः २२१२}

और नबी ﷺ ने तबला से भी मना फ़रमाया तथा बाजा के बारे में फ़रमाया कि वह अहमक़ व फ़ाजिर (निर्बुद्धि व दुराचारी) व्यक्ति की आवाज़ है। साबिक़ उलमा -जैसे इमाम अहमद रहिमहुल्लाह- ने गाने-बजाने के आलात (वाद्य यंत्रों) -जैसे बीन (Lute), मेनडोलीन (Mandoline), बाँसुरी (Flute), सारंगी (Rebeck) और मँजीरे (Cymbals)- के हराम होने की बात उल्लेख किया है। और कोई शक नहीं कि नए गाने-बजाने के आलात (माडर्न वाद्य यंत्र) -जैसे चौतारा (Violin), बर्बत (Zither), पियानो (Piano) और छतार

(Guitar) इत्यादि- नबी ﷺ की हदीस में मना कर्दा (निषिद्ध) वाद्य यंत्र में शामिल हैं, बल्कि यह नए आलात दिल बहलाने (रसिकता व प्रसन्नता) में पुराने आलात -जिनकी मुमानअ़त (मनाही) बाज़ हदीसों में आई है- कहीं ज़्यादा असर अंदाज़ (प्रभावी) हैं। इब्नुल क़य्यिम तथा दूसरे उलमा ने ज़िक्र किया है कि गाने-बजाने इंसान को शराब से ज़्यादा मतवाला करते हैं।

और इसमें कोई शक नहीं कि मनाही उस समय अधिक सख़्त हो जाती है तथा पाप ज़्यादा भयानक हो जाता है जब म्यूज़िक के साथ गाने और गायकीयों एवं गायिनीयों की आवाज़ें हों। तथा मुसीबत उस वक़्त और संगीन हो जाती है जब गाने में इश्क़ व मुहब्बत, प्रेम-प्रीति, आर्जू व तमन्ना और हुस्न व जमाल (रूप-सौंदर्य) की बातें हों। इसी लिए उलमा ने बताया कि गाना ज़िना का डाक (वसीला) है और वह दिल में निफ़ाक़ (कपटता) पैदा करता है। उ़मूमन (साधारणतः) गाने और म्यूज़िक का विषय इस ज़माने में सबसे बड़े फ़ित्नों में से एक फ़ित्ना बन गया है।

आजकल बहुत सारी चीज़ों -जैसे घड़ीयों, घंटीयों, बच्चों के खिलौने और बाज़ टेलीफ़ोन तथा मोबाइलों- में म्यूज़िक दाख़िल होने से मुसीबत और बढ़ गई है। अतः इससे बचने के लिए दृढ़ संकल्प (अ़ज़्मे मुसम्मम) की ज़रूरत है। अल्लाह ही मददगार है।

ग़ीबत

मुसलमानों की ग़ीबत करना और उनकी इ़ज़्ज़तों से

खेलना बहुत सी मजलिसों (सभाओं) की ज़ीनत बन चुकी है। हालाँकि यह ऐसा विषय है जिससे अल्लाह तआ़ला ने अपने बंदों को रोका है, और उससे नफ़रत दिलाई है तथा उसकी ऐसी घिनावनी (जघन्य) मिसाल पेश की है जिससे नफ़्स नफ़रत करते हैं। चुनांचे अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات:١٢]

''और तुम में से कोई किसी की ग़ीबत न करे, क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको उससे घिन आएगी।'' {अलहुजुरातः १२}

नबी ﷺ ने ग़ीबत का मतलब (अर्थ) बयान करते हुए फ़रमायाः

«أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ». [رواه مسلم: ٤/ ٢٠٠١]

«क्या तुम जानते हो ग़ीबत किसे कहते हैं?» सहाबा किराम ने कहाः अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फ़रमायाः «तेरा अपने भाई के बारे में ऐसी बातों का ज़िक्र करना जिनको वह नापसंद करता हो।» पूछा गयाः आप बताएं अगर मेरे भाई में वह चीज़ मौजूद हो जो मैं कह रहा हूँ? आपने फ़रमायाः «अगर उसमें वह चीज़ मौजूद है जो तू कह

रहा है तो फिर तू ने उसकी ग़ीबत की है, और अगर वह चीज़ उसमें नहीं है तो फिर तू ने उस पर बुहतान बाँधा।» {मुस्लिमः ४/२००१}

अतः ग़ीबत यह है कि आप अपने मुस्लिम भाई में मौजूद ऐसी बातों का ज़िक्र करें जिनको वह नापसंद करता हो। चाहे यह बात उसके बदन में हो या उसके दीन और दुनिया में, या उसके नफ़्स या उसके अख़्लाक़ अथवा उसकी पैदाइश में मौजूद हो। और ग़ीबत की बहुत सारी सूरतें हैं, जैसे उसके ऐबों (दोषों) को बयान करना या तनज़ व ताना (व्यंग व कटाक्ष) के तौर पर उसके किसी नक़्ल व हरकत (चालचलन) की नक़्क़ाली करना।

लोग ग़ीबत के विषय में तसाहुल (तुच्छज्ञान) करते हैं हालाँकि वह अल्लाह के नज़दीक क़बीह व शनीअ् (जघन्य व घृणित) है। इस पर आप ﷺ का यह फ़रमान दलालत करता है:

«الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ». [السلسلة الصحيحة: ١٨٧١]

«सूद के बहत्तर दरवाज़े हैं, उनमें सबसे कमतर आदमी का अपनी माँ से ज़िना करने की तरह है, और सबसे बड़ा आदमी का अपने भाई की इ़ज़्ज़त व आबरू पर हमला करना है।» {सिलसिला सहीहाः १८७१}

जिस मजलिस में ग़ीबत हो उसमें हाज़िर शख़्स (उपस्थित व्यक्ति) पर वाजिब है कि वह मुनकर यानी अन्याय

बातों से रोके और मुग़ताब भाई (ग़ीबत की जाने वाले आदमी) की तरफ़ से दिफ़ाअ् करे। इस काम पर तरग़ीब दिलाते हुए नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमायाः

«مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [رواه أحمد: ٦/ ٤٥٠، وهو في صحيح الجامع: ٦٢٣٨]

«जो शख़्स अपने भाई की इ़ज़्ज़त का दिफ़ाअ् करेगा, अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर कर देगा।» {अह्मदः ६/४५०, सहीहुल जामेअ़ः ६२३८}

चुग़लख़ोरी

लोगों में फ़ित्ना-फ़साद फैलाने की ग़र्ज़ से एक की बात दूसरे तक पहूँचाना आपसी तअ़ल्लुक़ात को काटने तथा लोगों के दरमियान कीना कपट व दुशमनी की आग भड़काने के अ़ज़ीम अस्बाब (बड़े कारणों) में से एक सबब है। अल्लाह तआ़ला ने चुग़लख़ोर के इस फ़े'ल की मज़म्मत (कर्म की निंदा) करते हुए फ़रमायाः

﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ [القلم: ١٠-١١]

''तथा आप किसी ऐसे शख़्स का कहना न मानें जो बात बात पर (झूटी) क़समें खाने वाला हो, (और) जो (बार बार झूटी क़सम खाने के कारण लोगों में) बेवक़ार (लाँछित) हो। (और) जो ग़ीबत करने वाला (तथा) चुग़लख़ोर हो।'' {अल्क़लमः १०-११}

हुज़ैफ़ा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ١٠/ ٤٧٢، وفي النهاية لابن الأثير ٤/ ١١: وقيل: القتات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم].

«चुग़लख़ोर जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १०/४७२। इब्नुल असीर की 'अन्निहाया' नामी किताब में है कि 'क़त्तात' यानी 'चुग़लख़ोर' वह व्यक्ति है जो लोगों की ला इल्मी में उनकी बातें सुन लेता है फिर चुग़ली करता है।} और इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया किः

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْـمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى [وفي رواية: وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ]، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ..». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١/ ٣١٧]

नबी ﷺ ने मदीना के बाग़ों में से किसी एक बाग़ के पास से गुज़रते हुए दो ऐसे आदमी की आवाज़ सुनी जिन्हें उनके क़ब्रों में अ़ज़ाब हो रहा था, तो आपने फ़रमायाः «इन दोनों को अ़ज़ाब हो रहा है, लेकिन इन्हें किसी बड़ी चीज़ के कारण अ़ज़ाब नहीं हो रहा है।» फिर आपने फ़रमायाः «क्यों नहीं! बेशक वह बड़ा पाप है (जिसके कारण इन्हें अ़ज़ाब हो रहा है)।» इन में से एक अपने पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुग़ली करता था।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १/३१७}

इस काम की क़बीह सूरतों (जघन्य रुपों) में से एक सूरत यह है कि इसके द्वारा शौहर को बीवी के ख़िलाफ़ तथा

बीवी को शौहर के ख़िलाफ़ भड़का कर उनके तअ़ल्लुक़ात को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश करना। इसी तरह नुक़्सान पहूँचाने की ग़र्ज़ से बाज़ मुलाज़िमों का दूसरों की बात मैनेजर या ज़िम्मेदार तक पहूँचाना भी एक क़िस्म की चुग़लख़ोरी है। और यह सबके सब हराम हैं।

बग़ैर इजाज़त के दूसरों के घरों में झाँकना (दाख़िल होना)

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النور: ٢٧]

''ऐ ईमान वालो! अपने घरों के सिवा और घरों में न जाओ जब तक कि इजाज़त न ले लो और वहाँ के रहने वालों को सलाम न कर लो।'' {अन्नूरः २७} इजाज़त लेने की हिक्मत (कारण) 'घर वालों की पोशीदा चीज़ों को जान लेने का डर' है। जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने इस कारण को वाज़ेह (स्पष्ट) करते हुए इरशाद फ़रमायाः

«إِنَّمَا جُعِلَ الْاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١/ ٢٤]

«निगाह के कारण इजाज़त तलबी का हुक्म नाज़िल किया गया है।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १/२४}

आजकल चूँकि बिल्डिगें एक दूसरे से क़रीब हैं, इमारतें एक दूसरे से मुत्तसिल (मिली हुई) हैं तथा खिड़कियाँ और

दरवाज़े एक दूसरे के मुक़ाबिल (आमने-सामने) हैं, इस लिए पड़ोसियों के सामने एक दूसरे के भेद के प्रकाश पाने का एहतिमाल (आशंका) ज़्यादा हो गया है। (दूसरी बात यह है कि) बहुत सारे लोग अपनी निगाहें नीची नहीं रखते हैं। और ऊपर रहने वाले बाज़ लोग अ़म्दन (जानबूझ कर) अपनी खिड़कियों तथा छतों से नीचे रहने वाले पड़ोसियों के घरों में ताकते-झाँकते हैं, जबकि ऐसा करना ख़ियानत है तथा पड़ोसियों की हुर्मत (सम्मान) की पामाली है, और हराम तक पहुँचने का ज़रीया व माध्यम है। और इसी के सबब बहुत सारे फित्ने और मुसीबतें रूनुमा होते (सामने आते) हैं। इस बिषय के संगीन होने पर दलील के तौर पर यह बात काफ़ी है कि ताकने-झाँकने वाले की आँख फोड़ देने पर शरीअ़त में कोई दियत नहीं है। जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ». [رواه مسلم: ٣/ ١٦٩٩] وفي رواية: «فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ». [رواه الإمام أحمد: ٢/ ٣٨٥، وهو في صحيح الجامع: ٦٠٢٢]

«जो शख़्स दूसरों के घर में बग़ैर उनकी इजाज़त के झाँके, तो उनके लिए उसकी आँख फोड़ देना हलाल हो जाता है।» {मुस्लिमः ३/१६६६} दूसरी रिवायत में हैः «अगर उन्होंने उसकी आँख फोड़ दी तो न कोई दियत है और न क़िसास।» {मुस्नद अहमदः २/३८५}

तीसरे को छोड़कर दो आदमी का आपस में सरगोशी (कानाफूसी) करना

यह मजलिसों की आफ़तों में से एक आफ़त है, और मुसलमानों के दरमियान तफ़रक़ा पैदा करने (फूट डालने) तथा उनके सीनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए शैतान के चक्रांतों (चालों) में से एक चक्रांत है। रसूलुल्लाह ﷺ ने इसका हुक्म और इसकी इल्लत (विधान और कारण) बयान करते हुए इरशाद फ़रमायाः

«إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، [مِنْ] أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١١/ ٨٣]

«जब तुम तीन आदमी हो तो तीसरे को शामिल किये बग़ैर दो आदमी कानाफूसी न करो यहाँ तक कि लोगों से मिल जाओ, क्योंकि ऐसा करना उसे रंजीदा कर (दुश्चिंता में डाल) देता है।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः ११/८३} और चौथे --- को छोड़कर तीन जनों का कानाफूसी करना इसी के अंतर्गत है । इसी तरह दो आदमियों का ऐसी ज़ुबान में बात करना जिसे तीसरा न समझता हो कानाफूसी में शामिल है। निःसंदेह कानाफूसी में एक तरह से तीसरे की हिक़ारत होती है, या उसे इस गुमान में डाल दिया जाता है वह दोनों उसके साथ बुराई वग़ैरा का इरादा (उसके ख़िलाफ़ साज़िश) कर रहे हैं।

टख़ने के नीचे कपड़ा लटकाना

टख़ने के नीचे लटका कर कपड़े पहनने को लोग आसान तथा हल्का (छोटा मोटा) पाप ख़्याल करते हैं, हालाँकि

वह अल्लाह के नज़दीक अ़ज़ीम (बड़ा अपराध) है। बाज़ लोगों के कपड़े ज़मीन को छू जाते हैं तथा बाज़ लोग उसे अपने पीछे घसीटते हुए चलते हैं। अबू ज़र्र ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، الْمُسْبِلُ [وفي رواية: إِزَارَهُ]، وَالْمَنَّانُ [وفي رواية: الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ]، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ». [رواه مسلم: ١/١٠٢]

«तीन लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन न बात करेगा, न उनकी तरफ़ रहमत की दृष्टि से देखेगा और न उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब (कष्टजनक शास्ति) होगा। (वह लोग हैं) अपने तह्बंद को (टख़ने के नीचे) लटकाने वाला, इहसान जतलाने वाला और झूटी क़स्मों से अपने सामान बेचने वाला।» {मुस्लिमः १/१०२}

और जो शख़्स यह कहे कि मैं अपने कपड़े तकब्बुर (गर्व) से नहीं लटकाता तो वह अपने नफ़्स का ऐसा तज़किया (सफाई पेश) करता है जो मक़बूल (मान्य) नहीं है। क्योंकि कपड़े लटकाने वाले के लिए हदीस में जिस धमकी का उल्लेख हुआ है वह आ़म है, चाहे वह तकब्बुर के इरादा से लटकाये या बग़ैर तकब्बुर के इरादा से लटकाये। जैसाकि आप ﷺ का फ़रमान इस पर दलालत करता हैः

«مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ». [رواه الإمام أحمد: ٦/ ٢٥٤، وهو في

صحيح الجامع: ٥٥٧١]

«तहबंद का जो हिस्सा टख़नों से नीचे है वह दोज़ख़ में है।» {मुस्नद अह्मदः ६/२५४, सहीहुल जामेअ़ः ५५७१} और अगर तकब्बुर से लटकाये तो उसकी सज़ा ज़्यादा सख़्त तथा बड़ी है। जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [رواه البخاري: ٣٤٦٥]

«जो शख़्स तकब्बुर के साथ अपने कपड़े लटकाता है, क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसकी तरफ़ रहमत की निगाह (करूणा की दृष्टि) से नहीं देखेगा।» {बुख़ारीः ३४६५} और ऐसा इस लिए कि उसने एक साथ दो हराम का इर्तिकाब किया। लटकाना हर लिबास में हराम है, जैसाकि इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से वर्णित (मरवी) हदीस में रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعَمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [رواه أبو داود: ٤/ ٣٥٣، وهو في صحيح الجامع: ٢٧٧٠]

«लटकाना तहबंद, क़मीस, पगड़ी सभी में है, जो शख़्स भी किसी कपड़े को तकब्बुर के साथ लटकायेगा क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसको रहमत की नज़र से नहीं देखेगा।» {अबू दाऊदः ४/३५३, सहीहुल जामेअ़ः २७७०} अलबत्ता औ़रतों के लिए सतर्कता मूलक (इहतियात के तौर पर) पैर के पर्दा की ग़र्ज़ से एक बालिश्त या एक गज़ लटकाने की इजाज़त है,

क्योंकि हवा वग़ैरा से उनके पैर खुलने का डर होता है। लेकिन लटकाने में हद से तजावुज़ (सीमालंघन) करना उनके लिए भी जायज़ नहीं है, जैसे शादी-ब्याह में बाज़ दुल्हनों के कपड़े कई बालिश्त तथा कई मीटरों तक लटकते रहते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी यह नौबत आजाती है कि दुल्हन के पीछे लटकते कपड़े किसी को पकड़े रहना पड़ता है।

मर्दों के लिए किसी भी प्रकार के सोने का सामान इस्तेमाल करना

अबू मूसा अशअ़री ﷺ से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا». [رواه الإمام أحمد: ٤/ ٣٩٣، انظر صحيح الجامع: ٢٠٧]

«मेरी उम्मत की औ़रतों के लिए रेशम और सोना हलाल कर दिया गया है, और उसके मर्दों पर हराम किया गया है।» {मुस्नद अहमदः ४/३६३, देखें सहीहुल जामेअ़ः २०७}

आजकल मार्किट में ख़ास मर्दों के लिए मुख़्तलिफ़ क़ेट के सोना से या पूरे तौर पर सोने का पानी चढ़ा कर चंद चीज़ें तैयार की गई हैं, जैसे घड़ी, चश्मा, बटन, क़लम, चैन तथा कुंजीदान इत्यादि। और बाज़ प्रतियोगिता के पुरस्कार का एलान करते हुए यह कहना/लिखना कि 'मर्दों के लिए सोने की घड़ी Men Gold Watch' एक मुनकर तथा अन्याय काम है।

इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि

रसूलुल्लाह ﷺ एक आदमी के हाथ में सोने की एक अंगूठी देखकर उसे निकाल फेंका, और फ़रमायाः

«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟!» فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللهِ! لَا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [رواه مسلم: ٣/ ١٦٥٥]

«(क्या) तुम में से कोई आग की चिंगारी अपने हाथ में उठाने का इरादा करता है?» रसूलुल्लाह ﷺ के चले जाने के बाद उस आदमी से कहा गयाः तुम अपनी अंगूठी ले लो और उससे फ़ायदा उठाओ। उसने कहाः नहीं, अल्लाह की क़सम! मैं उसको कभी नहीं उठाउँगा, जिसे रसूलुल्लाह ﷺ ने फेंक दिया है। {मुस्लिमः ३/१६५५}

औ़रतों का छोटा (शॉर्ट), पतला तथा तंग (टाइट) कपड़ा पहनना

इस दौर में हमारे दुशमनों ने हम पर जिन चीज़ों के ज़रीया हमला किया है उनमें से यह मुख़्तलिफ़ डिज़ाइन के लिबास-पोशाक तथा विभिन्न स्टाइल व फ़ैशन के ड्रेस-यूनीफॉम हैं जो मुसलमानों में आ़म हो चुके हैं। यह इतने शॉर्ट अथवा इतने पतले या इतने टाइट होते हैं कि इनसे शर्मगाह (लज्जास्थान) भी नहीं ढकते। इनमें बहुत से ऐसे लिबास होते हैं जिनका औ़रतों के दर्मियान तथा महरमों के सामने भी पहनना जायज़ नहीं है। आख़िरी ज़माना की औ़रतों में इस तरह के लिबास के ज़ाहिर होने की ख़बर हमें नबी ﷺ ने दी

है। जैसाकि अबू हुरैरा ﷺ की हदीस में आया है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا». [رواه مسلم: ٣/ ١٦٨٠]

«दोज़ख़ियों की दो क़िस्में हैं जिनको मैं ने नहीं देखाः एक क़िस्म वह लोग हैं जिनके पास गाय की दुमों के मानिंद (पूंछों के मिस्ल) कोड़े हूँगे जिनसे वह लोगों को मारेंगे। दूसरी क़िस्म वह औ़रतें हैं जो (बज़ाहिर) लिबास पहने हूँगी, लेकिन नंगी हूँगी, अपने कंधों को हिलाते हुए मटक मटक कर चलेंगी, उनके सर लम्बे गर्दन वाले ऊँटों के कोहान के मिस्ल लचकदार हूँगे, वह औ़रतें न जन्नत में जायेंगी और न ही जन्नत की ख़ुश्बू पायेंगी हालाँकि जन्नत की ख़ुश्बू इतनी इतनी दूर से आ रही होगी।» {मुस्लिमः ३/१६८०}

और नीचे से लम्बाई में खुला ड्रेस या कई ओर से खुला लिबास जो बाज़ औ़रतें पहनती हैं, इन्ही (हराम) लिबासों में शामिल (के अंतर्गत) है। क्योंकि इस तरह के लिबास पहनने से शर्मगाह (या उसका कुछ हिस्सा) ज़ाहिर हो जाता है, और साथ ही साथ इसमें काफ़िरों की मुशाबहत (अनुरुपता) है, और फ़ैशनों तथा स्टाइलों में और उनकी ईजाद कर्दा (आविष्कृत)

घृणित लिबासों में उनका अनुकरण (इत्तिबाअ़) है। हम अल्लाह से हिफ़ाज़त और सलामती का सवाल करते हैं।

इसी तरह बाज़ कपड़ों में मनकूश (चित्रित/अंकित) बुरी तस्वीरें भी ख़तरनाक उमूर (विषयों) में से हैं। -जैसे गायकों की तस्वीरें, संगीत में ताल देने वाले ग्रूप की तस्वीरें, शराब के बोतलों की तस्वीरें, ऐसे रुह (प्राण) वाले की तस्वीरें जो शरीअ़त में हराम है, सलीब (क्रूस) की तस्वीरें अथवा ख़बीस क्लबों या ऑर्गनाइज़ेशनों के लोगो (तनज़ीमों के शिआ़र), या इ़ज़्ज़त व शरफ़ और इफ़्फ़त व पाकदामनी को दाग़दार करने वाली इबारतें (बातें) लिखना जो ज़्यादातर अजनबी (ग़ैर अ़रबी) ज़ुबानों में होती हैं।

मर्द व औ़रत का अपने बाल में दूसरे इंसान का या इंसान के अ़लावा किसी और का बाल लगवाना

अस्मा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, उन्होंनें कहाः एक औ़रत नबी ﷺ के पास आकर कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी दुल्हन बेटी के बाल खसरा (चीचक) की बीमारी की वजह से गिर गए हैं। तो क्या मैं उसके सर में मसनूई़ (कृत्रिम/बनावटी) बाल मिला सकती हूँ? तो आप ﷺ ने फ़रमायाः

«لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْـمُسْتَوْصِلَةَ» [رواه مسلم: ٣/ ١٦٧٦]

«अल्लाह तआ़ला ने उस औ़रत पर लानत (शाप) की है जो मसनूई़ बाल मिलाती है और जो मिलवाती है।» {मुस्लिमः ३/१६७६}

और जाबिर ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि:

زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْـمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا. [رواه مسلم: ٣/ ١٦٧٩]

नबी ﷺ ने औरत को अपने सर में कुछ मिलाने से मना फ़रमाया है। {मुस्लिमः ३/१६७९}

हमारे दौर में इसकी एक मिसाल कृत्रिम केश का खोंपा (बनावटी बालों का गुच्छा) है, और बाल मिलवाने वाली की मिसाल केश विन्यासकारिणीयों की है जिनके हॉल अन्याय से भरे होते हैं।

इस हराम कर्म की एक मिसाल अपने बालों में मुस्तआ़र (अस्थायी) बालों के मिलाने की भी है, जैसे बाज़ अभागा-अभागी नायक-नायिका जो ड्रामों तथा थिएटरों में (अपने बालों में) मिलाती हैं।

वेश-भूषा, बात-चीत तथा चाल-चलन में नारी-पुरुष का एक दूसरे की मुशाबहत (अनुरूपता) अख़्तियार करना

अल्लाह तआ़ला ने अपने बंदों के लिए जो फ़ितरत मुक़र्रर (प्रकृति निर्णय) फ़रमाया है उसका तक़ाज़ा (मांग) यह है कि मर्द अपनी पैदाइशी मर्दानगी (स्वभाविक पुरुषत्व) की और औरत अपनी पैदाइशी निसूवानियत (स्वभाविक नारीत्व) की हिफ़ाज़त करे। और यह उन अस्बाब (माध्यमों) में से है कि जिसके बग़ैर लोगों की ज़िंदगी संवर नहीं सकती। और मर्दों का औरतों की मुशाबहत तथा औरतों का मर्दों की मुशाबहत अख़्तियार करना फ़ितरत की मुख़ालफ़त (प्रकृति की विरोधिता) करना और फ़ित्ने-फ़साद के द्वार खोलना है एवं समाज में बद

नज़्मी (दुर्व्यवस्था) फैलाना है, जिसका शरई हुक्म हराम है। क्योंकि अगर शरई नुसूस (शरीअ़त की दलीलों) में कोई ऐसा काम जिसके करने वाले पर लानत (शाप) की जाये, तो वह उसके हराम होने की दलील होती है, और इस बात पर दलालत करती है कि वह काम कबीरा गुनाहों के अंतर्गत है। अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि:

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْـمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْـمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ١٠/ ٣٣٢].

«रसूलुल्लाह ﷺ ने औ़रतों की मुशाबहत अख़्तियार करने वाले मर्दों पर तथा मर्दों की मुशाबहत अख़्तियार करने वाली औ़रतों पर लानत फ़रमाई है।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारी: १०/३३२} और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ही से मरवी (वर्णित) दूसरी हदीस में है कि:

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْـمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْـمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ». [رواه البخاري، الفتح: ١٠/ ٣٣٣].

«वेश-भूषा आदि में औ़रतों की मुशाबहत अख़्तियार करने वाले मर्दों पर तथा मर्दों की मुशाबहत अख़्तियार करने वाली औ़रतों पर रसूलुल्लाह ﷺ ने लानत फ़रमाई है।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारी: १०/३३३}

मुशाबहत कभी चाल-चलन, आचार-आचरण और चलने-फिरने में होती है, जैसे जिस्म को औ़रतों की शक्ल में

ढालना, उनके अंदाज़ में बात-चीत करना तथा उनकी शैली में चलना-फिरना।

और मुशाबहत पोशाक-परिच्छद में भी होती है, अतः मर्द के लिए हार-माला, कंगन, पाज़ेब (घुँघरू) तथा बालीयाँ इत्यादि पहनना -जैसे कि यह निर्बोध व नासमझ क़िस्म के लोगों में आ़म है- जायज़ नहीं है। इसी प्रकार औ़रत के लिए ऐसा लिबास पहनना जो मर्द के लिए ख़ास हो -जैसे सौब (लम्बा कुर्ता) व शर्ट प्रभृति- जायज़ नहीं है, बल्कि हैअत-हुलया (आकार-आकृति) और कटिंग तथा स्टाइल व डिज़ाइन में भी विरोधिता (मुख़ालफ़त) ज़रूरी है। और पोशाक-परिच्छद में एक दूसरे की विरोधिता ज़रूरी होने की दलील अबू हुरैरा ﷺ से मरवी (वर्णित) वह हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः «لَعَنَ اللهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْـمَرْأَةِ، والْـمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ». [رواه أبو داود: ٤/ ٣٥٥، وهو في صحيح الجامع: ٥٠٧١].

«औ़रत का पोशाक पहनने वाले मर्द पर तथा मर्द का पोशाक पहनने वाली औ़रत पर अल्लाह तआ़ला ने लानत फ़रमाई है।» {अबू दाऊदः ४/३५५, सहीहुल जामेअ़ः ५०७१}

बालों को काले रंग से रंगना (बालों में काला ख़िज़ाब लगाना)

नबी ﷺ के निम्नोक्त फ़रमान में मज़कूर (उल्लिखित) धमकी के अनुसार सहीह मत यह है कि बालों में काला ख़िज़ाब लगाना हराम है।

«يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ». [رواه أبو داود: ٤/ ٤١٩، وهو في صحيح الجامع: ٨١٥٣. (والنسائي بإسناد صحيح [ز])].

«आख़िरी ज़माना में ऐसी क़ौम जनम लेगी जो अपने बालों को कबूतर के सीने की तरह काले रंग से रंगीन करेंगे, जिसके कारण वह जन्नत की ख़ुशबू तक नहीं पाएगी।» {अबू दाऊदः ४/४१९, सहीहुल जामेअ़ः ८१५३, (इब्नु बाज़ रहेमहुल्लाह ने फ़रमायाः इस हदीस को नसई ने सही सनद के साथ रिवायत किया है)}

बुढ़ापे का असर (बालों में सफ़ेदी) ज़ाहिर होने वाले लोगों में यह अ़मल ज़्यादा आ़म है। चुनांचे वह अपने (सफ़ेद) बालों को काले रंग से बदल कर कई फ़साद तथा बिगाड़ की जनम देते हैं, जैसे धोका देना, अल्लाह की तख़्लीक़ (रचना) पर पर्दा डालना और वास्तविक अवस्था के अतिरिक्त कृत्रिम अवस्था से तृप्त होना (अस्ली हालत के अ़लावा नक़्ली हालत से ख़ुश होना)। निःसंदेह व्यक्तिगत आचार (शख़्सी सुलूक) पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और इंसान कभी कभी इससे धोका भी खा जाता है। सहीह सनद (विशुद्ध सूत्र) से साबित है कि नबी ﷺ अपने बालों की सफ़ेदी को मेहँदी से तथा इस प्रकार की ऐसी चीज़ से जिसमें पीलापन, लालपन या भूरापन होता था परिवर्तन करते थे। अनुरूप मक्का विजय (फ़त्हे मक्का) के दिन जब अबू बक्र ؓ के पिता अबू क़ुहाफ़ा लाये गये, उस समय उनके सर और दाढ़ी के बाल अत्यधिक पकने के कारण सफ़ेद फूल की तरह दिखाई दे रहे थे, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«غَيِّرُوا هَذَا بِشَيءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ». [رواه مسلم: ٣/ ١٦٦٣].

«किसी चीज़ (रंग) से इसे बदल दो और काले रंग से बचो।» {मुस्लिमः ३/१६६३} और सही बात यह है कि इस विषय में औरत भी मर्द की तरह है, अतः वह भी अपने उन बालों को जो काले नहीं हैं काले रंग से रंग नहीं सकती।

कपड़े, दीवार तथा काग़ज़ इत्यादि में प्राणी (ज़ी रूह) की तस्वीर उतारना

अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْـمُصَوِّرُونَ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١٠/ ٣٨٢].

«क़ियामत के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे सख़्त अ़ज़ाब भोग करने वाले तस्वीर उतारने वाले लोग हूँगे।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १०/३८२} और अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً...». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١٠/ ٣٨٥].

«अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो मेरे पैदा करने की तरह पैदा करने की कोशिश करता है, (अगर हो सके तो) एक दाना या एक ज़र्रा (कण) ही पैदा करके दिखाए।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १०/३८५} और इब्ने

अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ. [رواه مسلم: ٣/ ١٦٧١].

«हर तस्वीर उतारने वाला दोज़ख़ में जाएगा, उसकी उतारी हुई हर तस्वीर में (अल्लाह तआ़ला) रूह (प्राणवायु) डालेगा, पस वह उसे जहन्नम में अ़ज़ाब देगी।» इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमायाः अगर तुम करना ही चाहते हो तो वृक्ष (दरख़्त) तथा आत्माहीन (जिसमें रूह न हो ऐसी) चीज़ों की तस्वीर उतारो। {मुस्लिमः ३/१६७१}

उक्त हदीसों से इंसानों तथा जानवरों -चाहे वह छाया विशिष्ट हों या छायाहीन- में से हर प्राणी की तस्वीर की हुर्मत साबित होती है, चाहे वह तस्वीर छापी जाए, खींची जाए, काट काट कर बनाई जाए, नक़्श व निगार करके अंकन की जाए, तराश कर प्रस्तुत की जाए या फ़्रेम में रखकर तैयार की जाए, इनमें कोई फ़र्क़ (अंतर) नहीं है, क्योंकि तस्वीरों के हराम होने के बारे में वर्णित सारी हदीसें हर तरह की तस्वीरों को शामिल हैं।

मुसलमान को चाहिए कि शरीअ़त की दलीलों के सामने अपने आपको टेक दे, और वाद विवाद (बहस मुबाहसा) करते हुए यह न कहे कि न तो मैं उनकी इबादत करता हूँ और न ही उनको सज्दा करता हूँ!! अगर अ़क़्लमंद अपनी

अ़क़्लमंदी की निगाह (ज्ञानी अपने ज्ञान की दृष्टि) से दौरे हाज़िर में तस्वीर के कारण फैली ख़राबियों में से सिर्फ़ एक ख़राबी पर ग़ौर करे तो वह शरीअ़त में तस्वीर के हराम होने की हिक्मत को जान जाएगा। कामोत्तेजना (शहवत अंगेज़ी) जैसा अ़ज़ीम फ़ित्ना तस्वीरों से जनम लेता है, बल्कि व्यभिचार में पतित (फ़वाहिश में वाक़ेअ़) होने का ज़रीया तथा माध्यम यह तस्वीरें हैं।

मुसलमान को चाहिए कि वह अपने घर में किसी प्राणी (ज़ी रुह) की तस्वीर न रखे, ताकि यह उसके घर में फ़रिश्तों के न प्रवेश करने का सबब न बने। क्योंकि नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः

«لَا تَدْخُلُ الْـمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ١٠/ ٣٨٠].

«जिस घर में कूत्ता या तस्विरें हूँ उसमें फ़रिश्ते प्रवेश नहीं करते।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १०/३८०}

बाज़ घरों में मूर्तीयाँ पाई जाती हैं जिनमें से कुछ काफ़िरों के माबूदों की मूर्तीयाँ भी होती हैं, जो तोहफ़े के नाम पर और ज़ीनत के तौर पर रखी जाती हैं, हालाँकि इसकी हुरमत (निषिद्धि) दूसरी तस्वीरों की तुलना (मुक़ाबला) में ज़्यादा सख़्त है। इसी तरह लटकाई हुई तस्वीरों की हुरमत न लटकाई हुई तस्वीरों से ज़्यादा सख़्त है। क्योंकि इन (लटकाई हुई) तस्वीरों ने कितनों को ताज़ीम व सम्मान की ओर धकेला, कितनों के दबे ग़मों को ताज़ा किया तथा कितनों को फ़ख़्र व

गर्व के चौखट पे ला खड़ा किया!! और यह कहना सही न होगा कि तस्वीरें यादगार के लिए हैं, क्योंकि मुसलमानों में से किसी प्रिय (अ़ज़ीज़) या रिश्तेदार की ह़क़ीक़ी याद तो दिल में होती है, पस उनके लिए रहमत व मग़फ़िरत (दया व क्षमा) की दुआ़ की जाएगी।

अतः सारी तस्वीरों को निकालना या मिटाना वाजिब (आवश्यक) है। मगर वह तस्वीरें जिनका निकालना मुश्किल तथा कठिन हो तो और बात है, जैसे डब्बों, शब्दकोषों, रीफ़रेन्स बुक्स (हवाला की किताबों) फ़ायदेमंद किताबों में मौजूद तस्वीरें। अल्बत्ता हो सके तो इनको भी मिटाने की कोशिश करे। और उन चीज़ों से सचेत (होशयार) रहे जिनके बाज़ में निकृष्ट (बुरी) तस्वीरें होती हैं। हाँ, ऐसी तस्वीरें रखी जा सकती हैं, जिनकी ज़रुरत पड़ती है, जैसे शनाख़्ती कार्ड (पहचान पत्र) के लिए। बाज़ उलमा ने इस्तेमाल के ज़रीया बोसीदा (पुराना) की जाने वाली तस्वीरों –जैसे पापोश, कार्पेट इत्यादि में मौजुद तस्वीरों– की इजाज़त दी है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]

''तो जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो।'' {अत्तग़ाबुनः १६}

गढ़ करके झूटे ख़्वाब (सपना) बयान करना

बाज़ लोग मर्यादा (फ़ज़ीलत), लोगों में शोह्रत के हुसूल (ख्याति प्राप्ति) के लिए, माली मनफ़अ़त की ग़रज़ (आर्थिक

लाभ के उद्देश) से या अपने दुशमनों को भय प्रदर्शन करने (डराने) इत्यादि के लिए देखे बग़ैर मिथ्या ख़्वाबों का आश्रय लेते हैं (यानी गढ़ करके झूटे ख़्वाब बयान करते हैं)। और चूँकि बहुत से अ़वाम ख़्वाबों के बारे में अ़क़ीदत (आस्था) तथा उनसे बलिष्ठ संबंध (गहरा तअ़ल्लुक़) रखते हैं, इस लिए वह इस झुट के ज़रीया प्रतारित (धोखे के शिकार) होते हैं। ऐसा करने वालों के लिए हदीस में सख़्त धमकी आई है। नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، وَيَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ٦/ ٥٤٠].

«सबसे बड़े झूट तथा गढ़त में से हैः आदमी का अपने को दूसरे के बाप की ओर निस्बत (संयोजन) करना, या अपनी आँखों को वह चीज़ दिखलाना जिसको उसने नहीं देखा (यानी जो ख़्वाब नहीं देखा उसको बयान करना) अथवा रसूलुल्लाह ﷺ की तरफ़ ऐसी बात मन्सूब (संबद्ध) करना जो आपने नहीं फ़रमाई।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः ६/५४०} दूसरी हदीस में नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमायाः

«مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ...». [رواه البخاري، انظر الفتح: ١٢/ ٤٢٧].

«जो शख़्स ऐसा ख़्वाब बयान करे जो उसने देखा नहीं, तो (क़ियामत के दिन) उसको बराबर तक्लीफ़ दी जाती रहेगी कि दो जौ के दानों के दरमियान गिरह लगाए, लेकिन वह कभी

गिरह न लगा सकेगा--- ।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १२/४२७} और दो जौ के दरमियान गिरह लगाना असंभव (नामुम्किन) बात है। अतः जैसी करनी वैसी भरनी (जैसा कर्म तैसा फल)।

क़ब्रों पर बैठना, उनको रौंदना तथा क़ब्रिस्तान में पेशाब-पाख़ाना करना

अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसुलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». [رواه مسلم: ٢/ ٦٦٧].

«तुम में से कोई आदमी अंगारे पर बैठे, और अंगारा उसके कपड़ों को जला दे और उसका असर उसके चमड़े तक पहुँच जाए, उसके लिए यह बेहतर है इससे कि वह किसी क़ब्र पर बैठे ।» {मुस्लिमः २/६६७}

बाज़ लोग क़ब्रों को रौंदते हुए चलते हैं। जब वह अपने मैयत को दफ़नाने जाते हैं, तो आसपास में क़बरस्थ (मदफ़ून) दूसरे मुर्दों का इहतिराम (सम्मान) किये बग़ैर क़ब्रों को अपने पैरों से (और कभी अपने जूतों से) रौंदते हुए बिल्कुल झिझक नहीं करते हैं। इस आचरण के बड़ा भारी (भयानक) होने के सिलसिले में रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैः

«لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ...». [رواه ابن ماجة: ١/ ٤٩٩، وهو في صحيح الجامع: ٥٠٣٨].

«मेरा किसी अंगारे पर या किसी तलवार पर चलना, अथवा पैरों के साथ अपने जूतों को सी देना, मेरे नज़दीक किसी मुसलमान की क़ब्र पर चलने से ज़्यादा पसंदीदा तथा बेहतर है।» {इब्नु माजाः १/४६६, सहीहुल जामेअ्ः ५०३८} (अगर यह है उनका अंजाम जो क़ब्रों पर चलते हैं) तो उनका क्या अंजाम होगा जो क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर क़ब्ज़ा जमा कर उस पर तिजारती या रिहायशी बिल्डिंग निर्माण करने के लिए प्रकल्प क़ायम करते हैं।

इसी तरह बाज़ बदनसीब क़ब्रिस्तानों में पेशाब-पाख़ाना करते हैं। जब उन्हें क़ज़ाए हाजत (पेशाब-पाख़ाना) की ज़रूरत होती है, तो क़ब्रिस्तान की दीवार पर चढ़ कर या उसमें प्रवेश हो कर अपनी गंदगी और मैला से मुर्दों को तक्लीफ़ देते हैं। नबी ﷺ फ़रमाते हैं:

«وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقَبْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوقِ». [التخريج السابق].

«मुझे इसकी परवा नहीं है कि क़ब्र के बीच में क़ज़ाए हाजत करूँ या बाज़ार के बीच में।» {साबिक़ हवाला} अर्थात क़ब्रिस्तान में पेशाब-पाख़ाना करना उसी तरह क़बीह (जघन्य) है, जिस तरह बाज़ार में लोगों के सामने शरमगाह (लज्जास्थान) खोल कर पेशाब करना क़बीह है। और जो लोग जान-बुझकर क़ब्रिस्तानों में (ख़ासकर उन क़ब्रिस्तानों में जो वीरान हो चुके हूँ और जिनकी दीवारें गिर चुकी हूँ) गंदगी, मैल-कुचेल तथा कूड़ा-करकट फेंकते हैं, उक्त धमकी में वह लोग भी शरीक हैं। क़ब्रिस्तानों की ज़ियारत के समय जिन आदाब का ख़्याल रखना

चाहिए उनमें से एक यह है कि क़ब्रों के बीच चलने का इरादा करते समय अपने जूते उतार (खोल) ले।

पेशाब से न बचना

इस्लामी शरीअ़त की ख़ूबियों में से यह है कि उसने हर वह चीज़ जिसमें इंसान की भलाई है बयान कर दिया है। और उन्ही में से एक अपवित्रता (नजासत) दूर करना है। और इसी के लिए इस्तिंजा तथा इस्तिज़्मार (पानी अथवा ढेला या पत्थर आदि से अपत्रिता दूर करने) का हुक्म जारी किया गया है। और साफ़-सफ़ाई (परिष्कार-परिच्छन्नता) किस तरह हासिल की जाएगी, उसका भी तरीक़ा बता दिया गया है। मगर बाज़ लोग नजासत दूर करने के सिलसिले में सुस्ती से काम लेते हैं तथा बद इहतियाती बरतते हैं, जिसके कारण उनके कपड़े या उनके शरीर में नापाक चीज़ (गंदगी) लग जाती है, और इसके नतीजे में उनकी नमाज़ सहीह नहीं होती है। नबी ﷺ ने फ़रमाया कि यह (यानी पेशाब से न बचना) क़ब्र में अ़ज़ाब होने के अस्बाब (कारणों) में से एक है। इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा कि:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْـمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى [وفي رواية: وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ]، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ..». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١/٣١٧]

नबी ﷺ ने मदीना के बाग़ों में से किसी एक बाग़ के पास से

गुज़रते हुए दो ऐसे आदमी की आवाज़ सुनी जिन्हें उनके क़ब्रों में अ़ज़ाब हो रहा था, तो आपने फ़रमायाः «इन दोनों को अ़ज़ाब हो रहा है, लेकिन इन्हें किसी बड़ी चीज़ के कारण अ़ज़ाब नहीं हो रहा है।» फिर आपने फ़रमायाः «क्यों नहीं! बेशक वह बड़ा पाप है (जिसके कारण इन्हें अ़ज़ाब हो रहा है)।» इन में से एक अपने पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुग़ली करता था।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १/३१७} बल्कि आप ﷺ ने यहाँ तक फ़रमाया किः

«أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ». [رواه الإمام أحمد: ٢/ ٣٢٦، وهو في صحيح الجامع: ١٢١٣].

«अक्सर (अधिकांश) क़ब्र का अ़ज़ाब पेशाब की वजह से होता है।» {मुस्नद अहमदः २/३२६, सहीहुल जामेअ़ः १२१३}

'पेशाब से न बचना' के अंतर्गत है (जुमरा में आता है) जो शख़्स पूरे तौर पर पेशाब कार्य समाधा (ख़त्म) होने से पहले उठ जाए, अथवा जानबूझ कर ऐसी हैअत व कैफ़ियत (अवस्था) में या ऐसी जगह में पेशाब करे कि उसका पेशाब उसी पर लौट आए, अथवा इस्तिंजा या इस्तिजमार न करे, या करे लेकिन सही ढंग से नहीं।

दौरे हाज़िर (वर्तमान युग) में काफ़िरों का अनुकरण (देखा देखी) करते हुए बाज़ टॉइलेटों में पेशाब के लिए ऐसी जगहें बनाई गई हैं जो दीवारों के साथ लगी (संयुक्त) तथा ओपेन (खुली) हैं। वहाँ लोग आते हैं और आने-जाने वालों के सामने बेशर्म (निर्लज्ज) होकर पेशाब करते हैं, फिर नापाकी की हालत में अपना कपड़ा पहन कर चले जाते हैं। और इस तरह

वह दो घिनावने हराम काम (का इर्तिकाब) करते हैं: १- लोगों की निगाह से अपने शर्मगाह की हिफ़ाज़त नहीं करते हैं। २- (पानी, ढेला, पत्थर या टीशू पेपर वग़ैरा से अपने शर्मगाहों को पाक-साफ़ न करने के कारण) पेशाब से नहीं बचते हैं।

चोरी-छिपे किसी की बात सुनना जबकि वह इसे नापसंद करता हो (जासूसी करना)

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

﴿وَلَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحجرات: ١٢].

''और तुम जासूसी न करो।'' {अलहुजुरातः १२} अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[رواه الطبراني في الكبير: ١١/ ٢٤٨-٢٤٩، وهو في صحيح الجامع: ٦٠٠٤]

«जो शख़्स किसी की बात सुने इस हाल में कि वह उसे नापसंद करता हो, तो क़ियामत के दिन उसके कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा।» {तबरानी कबीरः ११/२४८-२४९, सहीहुल जामेअ़: ६००४}

और अगर वह उसको नुक़्सान (क्षति) पहूँचाने की ग़रज़ से उसकी बातें उसकी अज्ञता (लाइल्मी) में दूसरों के पास बयान करे, तो वह जासूसी के पाप के साथ साथ चुग़लख़ोरी करने के पाप का भी मुस्तहिक़ (अधिकारी) होगा। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ». [رواه البخاري، الفتح: ١٠/ ٤٧٢، والقتات الذي يتسمع إلى حديث القوم وهم لا يشعرون به ثم ينقله].

«चुग़लख़ोर जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १०/४७२। 'क़त्तात' यानी 'चुग़लख़ोर' वह व्यक्ति है जो लोगों की बात उनकी ला इल्मी में सुन लेता है फिर दूसरों के सामने बयान करता है।}

पड़ोसियों के साथ बद सुलूकी (कुआचरण) करना

अल्लाह तआ़ला ने पड़ोसी के बारे में वसियत करते हुए फ़रमायाः

﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا﴾ النساء: ٣٦].

''और अल्लाह तआ़ला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक व इह़्सान करो, और रिश्तेदारों से, और यतीमों से, और मिस्कीनों से, और क़रीब के पड़ोसी से, और दूर के पड़ोसी से, और पह़लू के साथी से, और राह के मुसाफ़िर से, और उनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं, निःसंदेह अल्लाह तआ़ला तकब्बुर करने वालों (अहंकारियों) को तथा घमंड करने वालों को पसंद नहीं फ़रमाता।'' {अन्निसाः ३६}

पड़ोसी के हक़ तथा अधिकार अ़ज़ीम (महान) होने के

कारण उसको तक्लीफ़ देना हराम है। अबू शुरैह् ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ» قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١٠/ ٤٤٣].

«अल्लाह की क़सम! वह (कामिल) मो'मिन नहीं है, अल्लाह की क़सम! वह (कामिल) मो'मिन नहीं है, अल्लाह की क़सम! वह (कामिल) मो'मिन नहीं है।» पूछा गया: कौन? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: «जिसका पड़ोसी उसकी तक्लीफ़ से मामून (सूरक्षित) नहीं रहता।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारी: १०/४४३}

नबी ﷺ ने पड़ोसी का अपने पड़ोसी की प्रशंसा या निंदा (तारीफ़ या मज़म्मत) करने को सदाचार तथा कदाचार का मानदंड (अच्छे और बुरे सुलूक का मेयार) क़रार दिया। इब्ने मसऊद ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक आदमी ने नबी ﷺ से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ने पड़ोसी के साथ अच्छा किया या बुरा किया, मुझे यह कैसे मालूम होगा? तो नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ أَسَأْتَ». [رواه الإمام أحمد: ١/ ٤٠٢، وهو في صحيح الجامع: ٦٢٣].

«जब तुम अपने पड़ोसियों को यह कहते हुए सुनो कि 'तुमने अच्छा किया' तो जानो कि तुमने अच्छा किया, और जब तुम

उन्हें यह कहते हुए सुनो कि 'तुमने बुरा किया' तो जानो कि तुमने बुरा किया।» {मुस्नद अह्मदः १/४०२, सहीहुल जामेअ्ः ६२३}

विभिन्न रूप (मुख़्तलिफ़ तरीक़े) से पड़ोसियों को तक्लीफ़ दी जाती है, जैसेः मुश्तरक (मिलीजुली) दीवार में लकड़ी गाड़ने न देना, पड़ोसी की इजाज़त के बग़ैर दीवार पर इतनी बुलंद तामीर (निर्माण) करना कि धूप या हवा उसके घर में प्रवेश न करने पाये, उसके घर की तरफ़ खिड़की लगाना और उसके भेद जानने के लिए उससे झाँकना, तंग करने वाली आवाज़ों -जैसे खटखटाना और चीख़ना चिल्लाना- से तक्लीफ़ पहूँचाना, ख़ासकर सोने तथा आराम-विश्राम के समय, उसके बच्चों को मारना अथवा उसके दरवाज़े की चौखट के पास कचड़ा फेंकना। उक्त आचार-व्यवहार अगर पड़ोसी के साथ किये जाएं, तो पाप और बड़ा तथा दुगना हो जाता है। नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ .. لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ». [رواه البخاري في الأدب المفرد برقم: ١٠٣، وهو في السلسلة الصحيحة: ٦٥]

«आदमी का दस औ़रतों से ज़िना करने का जुर्म अपने पड़ोसी की एक औ़रत से ज़िना करने की अपेक्षा (बनिस्बत) आसान तथा हल्का है। -- अनुरूप आदमी का दस घरों से चोरी करने का जुर्म अपने पड़ोसी के घर से चोरी करने की अपेक्षा (बनिस्बत) आसान तथा हल्का है।» {बुख़ारी ने अलअदबुल मुफ़रद में

इसे रिवायत किया है, नम्बरः १०३, सहीहुल जामेअ़ः ६५} बाज़ ग़द्दार पड़ोसी की नाइट शिफ्ट डियूटी में उसकी अनुपस्थिति (ग़ैर मौजूदगी) को ग़नीमत समझ कर फ़साद पैदा करने के लिए उसके घर में प्रवेश करते हैं। पस उसके लिए कठिन दिन के अ़ज़ाब द्वारा हलाकत व बरबादी है।

वसीयत में हक़दार का हक़ मारकर या घटाकर उसे नुक़्सान पहूँचाना

इस्लामी शरीअ़त के क़ायदों में से एक क़ायदा (नीति) यह है किः 'ला इल्मी (अज्ञता) में किसी को नुक़्सान पहूँचायें और न जानबूझ कर किसी को नुक़्सान पहूँचायें'। मसलन (उदाहरण स्वरूप)ः शरीअ़त स्वीकृत सारे उत्तराधिकारीयों (शरीअ़त की तरफ़ से मुक़र्रर कर्दा वारेसीन) को या उनमें से किसी को विरासत से महरूम करके नुक़्सान पहूँचाना। जो शख़्स ऐसा करेगा उसके लिए नबी ﷺ की ज़ुबानी घोषित यह धमकी हैः

«مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ». [رواه الإمام أحمد: ٣/ ٤٥٣، انظر صحيح الجامع: ٦٣٤٨].

«जो दूसरों को नुक़्सान पहूँचायेगा अल्लाह उसे नुक़्सान पहूँचायेगा, और जो दूसरों को तक्लीफ़ देगा अल्लाह उसको तक्लीफ़ देगा।» {मुस्नद अह्मदः ३/४५३, देखेंः सहीहुल जामेअ़ः ६३४८}

वसीयत द्वारा नुक़्सान पहूँचाने की शक्लों (रूपों) में से हैः किसी वारिस को उसके शरई हक़ (वैध अधिकार) से

महरूम करना, अथवा शरई़ नियम-क़ानून के ख़िलाफ़ किसी वारिस के लिए वसीयत करना, या सुलुस (तृतीयांश) से ज़्यादा की वसीयत करना।

उन स्थानों (मुल्कों) में जहाँ शरई़ क़ानून के मुताबिक़ फ़ैसला नहीं होता, वहाँ हक़्दार को उसका वह हक़ जो अल्लाह ने उसे दिया है मिलना मुश्किल तथा कठिन हो जाता है। क्योंकि वहाँ मानव रचित क़ानून लागू है, जो शरीअ़त के ख़िलाफ़ फ़ैसला करता है, और वकील के पास लिखी हुई ज़ालिमाना वसीयत नाफ़िज़ (लागू) करने का हुक्म देता है। अतः उनके हाथों की लिखाई को और उनकी कमाई को हलाकत और अफ़सोस है।

नर्द (चौसर) का खेल

लोगों में आ़म तथा प्रचलित बहुत सारे खेल बहुत सी हराम चीज़ों को शामिल हैं। उनमें से एक नर्द है जिससे शुरू करके दूसरे बहुत से खेलों की तरफ़ मुंतक़िल (स्थानंतरित) होते हैं, जैसे डाइस वग़ैरा। नबी ﷺ ने इस नर्द से जो जुआ के दरवाज़े खोलता है सावधान करते हुए फ़रमायाः

«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ». [رواه مسلم: ٤/ ١٧٧٠].

«जिसने नर्द का खेल खेला, गोया उसने अपने हाथ को सुअर के गोश्त तथा उसके ख़ून से रंग लिया।» {मुस्लिमः ४/१७७०} और अबू मूसा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». [رواه الإمام أحمد: ٤/ ٣٩٤، وهو في صحيح الجامع: ٦٥٠٥].

«जो नर्द का खेल खेला, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की।» {मुस्नद अहमदः ४/३६४, सहीहुल जामेअ़ः ६५०५}

मोमिन तथा उस व्यक्ति को शाप (लानत) करना जो इसका मुस्तहिक़ न हो

बहुत से लोग जो ग़ुस्से की हालत में अपनी ज़ुबानों को कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं, जल्द ही शाप करना शुरू कर देते हैं। पस वह इंसान, चौपाया, जड़ पदार्थ (जमादात), ज़माना तथा समय को शाप करते हैं। बल्कि कभी कभी ख़ुद को, अपने बाल-बच्चों को, शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को भी शाप करते हैं। हालाँकि यह एक मुंकर (अन्याय) तथा संगीन विषय है। अबू ज़ैद साबित बिन ज़ह्हाक अन्सारी ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«... وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١٠/ ٤٦٥].

«--- किसी मोमिन को शाप करना उसके क़त्ल के मानिंद (हत्या सदृश) है।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १०/४६५} और चूँकि शाप ज़्यादातर औ़रतों की ओर से होती है, इसी लिए नबी ﷺ ने फ़रमाया कि यह उनके जहन्नम में दाख़िल होने के अस्बाब (कारणों) में से एक सबब है। इसके अ़लावा लानत करने वाले क़ियामत के दिन सिफ़ारिशी नहीं हूँगे। इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि जिस पर लानत किया है, अगर वह इसका

मुस्तहिक़ नहीं है तो वह लानत उस पर लौट आएगी। अतः वह अल्लाह की रह्मत से दूरी की बद दुआ अपने नफ़्स पर ही करने वाला होगा।

नौहा करना (मैयत पर रोना पीटना)

अ़ज़ीम मुनकर (महा निंदित तथा गर्हित) कामों में से बाज़ औ़रतों का मैयत पर विलाप करना (चीख़-चिल्ला कर रोना), उसकी ख़ूबियाँ शुमार करना, चेहरा पर तमाचा मारना, कपड़े फाड़ना और बाल मुँडाना या कसना और कटवाना। यह सारी चीज़ें अल्लाह के फ़ैसले से राज़ी न होने तथा मुसीबत पर सब्र न करने की दलील है। ऐसा करने वालों पर नबी ﷺ ने लानत की है। अबू उमामा ؓ से मरवी (वर्णित) है:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ». [رواه ابن ماجة: ١/ ٥٠٥، وهو في صحيح الجامع: ٥٠٦٨].

«रसूलुल्लाह ﷺ ने अपना चेहरा नोचने वाली, अपना गरेबान फाड़ने वाली और हलाकत व मौत को बुलाने वाली औ़रत पर लानत फ़रमाई है।» {इब्नु माजाः १/५०५, सहीहुल जामेअ़ः ५०६८} और अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ؓ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«لَيْسَ مَنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ٣/ ١٦٣].

«वह हम में से नहीं है जो रुख़्सार (गाल) पीटे, गरेबान फाड़े

और जाहिलयत के कलिमात (शब्द) कहे।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः ३/१६३} दूसरी हदीस में नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». [رواه مسلم برقم: ٩٣٤].

«नौहा करने वाली जब मौत से पहले तौबा न करे, तो क़ियामत के दिन वह उठाई जायेगी इस हाल में कि उस पर गंधक का कुर्ता और ज़ंग की क़मीस होगी।» {मुस्लिम, हदीस नम्बरः ६३४}

चेहरे पर मारना और दाग़ लगाना

जाबिर ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ». [رواه مسلم: ٣/ ١٦٧٣].

«रसूलुल्लाह ﷺ ने चेहरे पर मारने तथा दाग़ लगाने से मना फ़रमाया है।» {मुस्लिमः ३/१६७३}

बहुत से बाप अपने बेटों को तथा शिक्षक अपने छात्रों को और मालिक अपने नौकरों को सज़ा देते हुए उनके चेहरों पर हाथों से या दूसरी चीज़ों से मारते हैं। ऐसा करने में जहाँ चेहरे की बेइ़ज़्ज़ती (अवमानना) है जिसे अल्लाह ने इ़ज़्ज़त बख़्शी है, वहाँ उसके बाज़ अहम हवास के खोने का भी अंदेशा है, जिसके कारण उसे पछतावा का शिकार होना पड़ेगा, और कभी क़िसास की भी नौबत आ सकती है।

जानवरों के चेहरे पर दाग़ना यानी ऐसा इम्तियाज़ी (पार्थक्यकारी) निशान लगाना कि हर जानवर का मालिक अपने अपने जानवर को पहचान सके, या अगर वह गुम हो जाए तो उसके पास लौटाया जा सके। ऐसा करना हराम है, क्योंकि इसमें जानवर को बद शक्ल करना (जानवर की आकृति बदलना) है तथा उसको अ़ज़ाब (कष्ट) देना है। और अगर कोई यह हुज्जत पेश करे कि यह उसके क़बीले का उ़र्फ़ (ख़ानदान का प्रथा) तथा इम्तियाज़ी निशान है, तो चेहरा के अ़लावा दूसरे स्थान में दाग़ सकता है।

किसी शरई़ उ़ज़्र के बिना तीन दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से बात न करना (संबंध न रखना)

मुसलमानों के दरमियान संबंध छिन्न (क़तए त़अ़ल्लुक़) करना शैतान के चक्रांतों में से है। और बहुत से वह लोग जो शैतान का पदांक अनुसरण करते (उसके क़दम बक़दम चलते) हैं, बग़ैर किसी शरई़ कारण -जैसे माद्दी इख़्तिलाफ़ या फ़ुजूल झगड़ा- के अपने मुसलमान भाईयों से सालों साल तक संबंध छिन्न किये रहते हैं। आदमी कभी कभी क़सम खा लेता है कि वह उससे बात ही नहीं करेगा। और कभी नज़्र (मिन्नत) मान लेता है कि वह उसके घर में दाख़िल नहीं होगा। अगर रास्ते में मुलाक़ात होती है तो मुँह फेर लेता है, और अगर किसी मजलिस में मुलाक़ात होती है तो उसको छोड़कर उसके आगे पीछे के सारे लोगों से मुसाफ़हा करता है। जबकि मुस्लिम समाज के कमज़ोर होने के अस्बाब में से एक उक्त आचरण

है। इसी लिए इस सिलसिले में शरीअ़त का हुक्म दोटूक (अकाट्य) है तथा धमकी सख़्त है। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«لَا يَحِلُّ لِـمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ». [رواه أبو داود: ٥/ ٢١٥، وهو في صحيح الجامع: ٧٦٣٥].

«किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह तीन दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से क़तए तअ़ल्लुक़ (संबध छिन्न) किये रखे। जो शख़्स तीन दिन से ज़्यादा क़तए तअ़ल्लुक़ किये रखेगा और उस अ़र्सा (काल) में मरेगा, तो वह दोज़ख़ में दाख़िल होगा।» {अबू दाऊदः ५/२१५, सहीहुल जामेअ़ः ७६३५} और अबू ख़राश अस्लमी ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ». [رواه البخاري في الأدب المفرد، حديث رقم: ٤٠٦، وهو في صحيح الجامع: ٦٥٥٧].

«जो शख़्स अपने भाई को एक साल तक छोड़े रखे, तो गोया उसने उसका ख़ून बहाया।» {बुख़ारी की अलअदबुल मुफ़रद, हदीस नम्बरः ४०६, सहीहुल जामेअ़ः ६५५७}

मुसलमानों से क़तए तअ़ल्लुक़ की सज़ा में इतना ही काफ़ी है कि वह अल्लाह की क्षमा से वंचित (मग़फ़िरत से महरूम) रहेगा। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا أَوْ ارْكُوا (يعني أخروا) هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا». [رواه مسلم: ٤/ ١٩٨٨].

«हर हफ़्ता दो मरतबा यानी सोमवार और जुमेरात के दिन लोगों के आमाल (कर्म) पेश किए जाते हैं। पस हर मोमिन बंदे को माफ़ कर दिया जाता है सिवाय उस बंदे के जिसके दरमियान और उसके (मुस्लिम) भाई के दरमियान दुश्मनी हो। उनके बारे में कहा जाता है: इन्हें छोड़ दो या इनका मामला विलंब (मुअख़्ख़र) कर दो यहाँ तक कि वह लौट जाएं यानी आपस में सुलह कर लें।» {मुस्लिमः ४/१९८८}

दोनों विवादियों में से जो तौबा करे उसे चाहिए कि वह अपने साथी के पास जाए और सलाम के साथ उससे मिले। अगर उसने ऐसा किया और उसके साथी ने मुँह फेर लिया तो वह भार मुक्त (बरीउज़्ज़िम्मा) हो गया, और अब ज़िम्मेदारी इनकारी के कंधे पे आ गई। अबू अय्यूब ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». [رواه البخاري، فتح الباري: ١٠/ ٤٩٢].

«किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने भाई को तीन रात से ज़्यादा छोड़े रखे, दोनों मुलाक़ात करें तो यह इधर मुँह कर ले और वह उधर मुँह कर ले, और उन दोनों में से

बेहतर वह है जो सलाम करने में पहल करे।» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारीः १०/४६२}

लेकिन अगर क़तए तअ़ल्लुक़ पर (संबंध छिन्न करने का) कोई शरई़ उ़ज़्र हो -जैसे नमाज़ का छोड़ना या कोई बुराई निरंतर करते रहना- तो (ऐसी सूरत में देखना है कि) अगर क़तए तअ़ल्लुक़ क़ुसूरवार (दोषी) के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और उसे सही रास्ता पर ला खड़ा करेगा, या उसके दिल में ग़लती का इहसास (अनुभूति) डाल देगा, तो क़तए तअ़ल्लुक़ करना वाजिब तथा ज़रूरी है। और अगर क़तए तअ़ल्लुक़ का नतीजा यह निकले कि क़ुसूरवार उपेक्षा पर उपेक्षा (एराज़ पर एराज़) किये जा रहा है, और सरकशी, नफ़रत, दुशमनी तथा पाप में इज़ाफ़ा (वृद्धि) ही हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क़तए तअ़ल्लुक़ जायज़ नहीं होगा। क्योंकि इससे शरई़ मसलहत तो पूरी (शरीअ़त का स्वार्थ तो साधित) होगी ही नहीं, बल्कि उल्टा फ़साद व बिगाड़ में इज़ाफ़ा होगा। अतः उचित यह है कि उसके साथ एहसान करते रहे, उसे नसीहत करते रहे तथा याद दिलाते रहे। {जैसे कि नबी ﷺ ने मसलहत के पेशे नज़र काब बिन मालिक और उनके दोनों साथियों के साथ क़तए तअ़ल्लुक़ किया था। जबकि आपने अ़ब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलूल और मुनाफ़िक़ों से क़तए तअ़ल्लुक़ नहीं किया था, क्योंकि उनसे क़तए तअ़ल्लुक़ न करने ही में उनके लिए ज़्यादा भलाई थी। (तअ़लीक़ इब्नु बाज़ रहेमहुल्लाह)}

परिसमाप्ति (ख़ातिमा): यह हैं वह बाज़ मुंतशिर (प्रचलित) हराम विषय जिनका जमा करना (अल्लाह की

तौफ़ीक़) से संभव हुआ। हम अल्लाह सुब्हानहु व तआ़ला से उसके अस्माए हुस्ना के माध्यम (बेहतरीन नामों के वसीले) से सवाल करते हैं कि वह हमें अपने डर से हिस्सा अ़ता फ़रमाए, जो हमारे और उसकी नाफ़रमानी के बीच रुकावट बने, और अपनी फ़रमाबर्दारी से इस क़दर कि जिसके साथ वह हमें अपनी जन्नत तक पहूँचा दे। और हमारे गुनाहों को बख़्श दे तथा हमसे हमारे कामों में जो अकारण ज़्यादती हुई है उसे भी माफ़ फ़रमा दे। और अपने हलाल के ज़रीया हराम से तथा अपने फ़ज़्ल व करम के ज़रीया दूसरों से बेनियाज़ कर दे। और हमारी तौबा क़बूल फ़रमाए तथा हमारे गुनाहों को धो दे, बेशक वही सुनने वाला और क़बूल करने वाला है। दुरूद और सलाम नाज़िल हो उम्मी (अनपढ़) नबी मुहम्मद पर और उनके परिवार-परिजन (आल व औलाद) तथा तमाम साथियों (सहाबए किराम) पर। सब तारीफ़ अल्लाह तआ़ला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है।

❁ ❁ ❁ समाप्त ❁ ❁ ❁